राजस्थान विधान सभा

२८ वीं बैठक, बुद्धवार, दिनांक ११ अप्रेल, सन् १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-१३ बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर -

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ४२६

किशनगढ़ में सिविल कोर्ट में फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स एवं उनके इन्क्रीमेंट

श्री चांदमल मेहता—क्या विधि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ में सिविल कोर्ट में फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स की कितनी संख्या है ?

(ख) उक्त फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स को कितने समय से इन्क्रीमेंट नहीं मिला है ?

(ग) इन्क्रीमेंट नहीं मिलने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) सिविल जज अदालत किशनगढ़ में निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं :—

१. प्रोसेस सर्वर (तामील कुनिन्दा)	६
२. चपरासी	६
जोड़	१२

(ख) उनको वार्षिक वेतन वृद्धि अभी नहीं मिली है।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ग) इसका कारण यह है कि इनका फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है। इस कार्य में रूकावट इस कारण हुई कि चपरासियों की स्ट्रेन्थ फिक्स करने में सरकार और उच्च न्यायालय के बीच बहुत समय तक लिखा पढ़ी होती रही है। अब सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश भिजवा दिये गये हैं, जिससे चपरासियों और तामील कुनिन्दाओं का फिक्सेशन बहुत ही शीघ्र हो जावेगा और सब सम्बन्धित कर्मचारियों को उनकी वेतन वृद्धि मिलने लगेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री कस्तूर चन्द।

श्री सन्तोष सिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, दूसरी मोटर अब आयेगी।

श्री अध्यक्ष—श्री हंसराज जटिया।

प्रश्न संख्या ४३१

धौलपुर से कस्बा बाड़ी को दी गई बिजली सम्बन्धी बकाया रकम की वसूली

श्री हंसराज जटिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या धौलपुर से कस्बा बाड़ी को बिजली दी जाती है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त कस्बे को ठीक तौर से बिजली मिल जाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां पर क्या संतोषजनक व्यवस्था करने जा रही है ?

(२) बिजली की बकाया कितने दिनों में वसूल की जाती है ?

(३) क्या धौलपुर सब डिविजन में कोई रकम बकाया है ? यदि हां, तो कितनी है और वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(१) हां इस कस्बे को लगातार सप्लाई मिलती है। कभी कभी तो वोल्टेज की शिकायतें होती हैं, जिनको ठीक करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(२) बिजली के बिलों की अदायगी उनके मिलने की तारीख के एक महिने के अन्दर हो जानी चाहिये।

(३) हां; जनवरी, ५६ तक ३,१६,६४५ रू० ८ आने ६ पाई कुल बकाया है जिसमें से ३६,७३६ रू० १३ आने ६ पाई प्राइवेट उपभोक्ताओं के हैं। वसूली करने के लिये डिस्कनेक्शस

[श्री रामनिवास मिर्धा]

किये जा रहे हैं। पब्लिक डिमान्ड रिकावरी एक्ट के अन्तर्गत भी उन उपभोक्ताओं से, जिनसे लगातार वसूली नहीं हो रही हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

श्री हंसराज जटिया—३६,७३६ रुपया आपने बताया पर यह नहीं बताया कि किस। गिस में कितना २ बाकी है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसकी लिस्ट आपने नहीं मांगी, कुल रकम आपने मांगी वह बता दी।

श्री हंसराज जटिया—क्या यहां पूरी लिस्ट बता सकते हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—लिस्ट मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४३२

भूस्वामी आंदोलन के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में गिरफ्तारियां एवं लाठी चार्ज इत्यादि

श्री जगतसिंह झाला—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क. राजस्थान भूस्वामी आन्दोलन के अन्तर्गत अब तक किन २ जिलों में कितने २ व्यक्तियों की गिरफ्तारियां हुई हैं ?

ख. कौन २ से जिलों में किस २ स्थान पर पुलिस को सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज करना पड़ा व कितने २ व्यक्ति आहत हुए हैं?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) owing the number of arrests upto 15th March, 1956:—

जयपुर ४४५, सीकर ३६५, जोधपुर ३७५, जालौर २६२, सिरोही ५०४, नागौर ५६३, भीलवाडा ६३६, उदयपुर ११४, चित्तौडगढ़ १७३, भीलवाड़ा ११०, बूंदी १३, बाड़मेर जैसलमेर १६।

(ख) Statement showing the places, dates and number of persons injured:

१.	सिरोही	सिरोही	११-१-५६	७
२.	नागौर	नागौर	१६-१-५६	६

Page No 4

[श्री रामकिशोर व्यास]

३.	डीड़वाना	डीड़वाना	२०-२-५६	८
४.	पाली	पाली	१४-२-५६	२
५.	पाली	पाली	१५-२-५६	४
६.	जोधपुर	जोधपुर	१८-१-५६ (दो बार)	४
७.	जोधपुर	जोधपुर	२३-१-५६	१
८.	जोधपुर	जोधपुर	२-२-५६	२२
६.	चित्तौड़	चित्तौड़	४-१-५६	
१०.	गंगनार	,,	८-२-५६	लिखने योग्य कोई घायल
११.	,,	,,	१७-२-५६	नहीं हुआ।
१२.	कपासिन	,,	६-३-५६	
१३.	जैसलमेर	जैसलमेर	१३-३-५६	१६

प्रश्न संख्या ४३३

पशु चिकित्सालयों के किराये की सरकार द्वारा दी गई धनराशियें

श्री प्रभूदयाल—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क. सरकार को पशु चिकित्सालयों के किराये के किस २ वर्ष में कितने २ रूपये देने पड़े हैं ?

ख. क्या सरकार ने भी कहीं पशु चिकित्सालय बनाये हैं ? यदि हां तो कहां ?

ग. उक्त कार्य के लिये बजट में कौन २ से सन् में आज तक कितने २ रूपये रखे गये थे ?

घ. यदि नहीं रखे गये, तो क्यों नहीं ?

Page No 5

श्री भोगीलाल पंड्या—क. राजस्थान सरकार को पशु चिकित्सालयों के किराये के लिये निम्नलिखित वर्षों में इस प्रकार धन राशि देनी पड़ी :

१९५२	५३	में	१६,५५२।४।० रू०
१९५३	५४	में	१६,९९८।१०।० "
१९५४	५५	में	१७,९९८।०।० "
१९५५	५६	में	२१,८८८।११।० "

ख. हां। राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित स्थानों पर पशु चिकित्सालय बनाये व बन रहे हैं—

क. उदयपुर पशु चिकित्सालय बन रहा है।

ख. पाली "

ग. सवाई माधोपुर "

घ. बूंदी "

ङ. भीलवाडा बन चुका है

च. राजसमन्द बन चुका है

छ. कोटा अभिवृद्धि की जा रही है

ज. जयपुर बन रहा है।

ग. पी. डब्ल्यू. डी बजट में अस्पतालों के

सन्	५४—५५ में	१,६१,००० रूपये	
सन्	५५—५६ में	२,२५,०००	"
सन्	५६—५७ में	१,००,०००	" रखे गये।

घ. प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रभुदयाल—बीकानेर डिविजन में भी वहीं बन रहा है कि नहीं?

श्री भोगीलाल ंड्या—दीगर सभी जगहों के लिये ६५०००० रू० रखा है, ६ सेकिन्ड क्लास के होस्पिटल और १२ डिस्पेन्सरीज रखी गई हैं, उसमें शायद बीकानेर में भी रखें।

श्री प्रभुदयाल—ये कहां कहां बनेगें ?

श्री भोगीलाल पं ा—अभी स्थानों का निर्णय नहीं लिया है ?

श्री प्रभुदयाल—जबकि सरकार इतनी जगहों पर इतना इतना काम होगा और इतना रूपया सरकार खर्च कर रही है तो कहीं बीकानेर का भी तो नाम होना चाहिये। कम से कम रिपेअर में तो नाम होना चाहिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अर्ज किया कि अभी सब स्थानों का निर्णय नहीं किया है, अभी कैसे बताया जा सकता है कि कहां कहां किया जायगा।

श्री प्रभुदयाल—जब और डिस्ट्रिक्टों का ध्यान रखा गया तो बीकानेर का ध्यान क्यों नहीं रखा गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहां बिल्डिंगस दूसरे नहीं थे वहां पहले बनाये।

श्री गुरूदयालसिंह संधु—६ लाख का आपने बताया उसमें से बीकानेर पर कितना खर्च किया जाएगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—६ लाख ५० हजार रूपये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इसके रखे गये हैं जिसमें ६ होस्पिटल और १२ डिस्पेन्सरीज बनाई जावेंगी। कहां बनाई जावेंगी यह अभी तय नहीं हुआ है।

श्री गुरूदयालसिंह संधु—बीकानेर डिविजन में बनाया जावेगा या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आवश्यकता पहले ध्यान में रखते हुए बनाया जायगा।

श्री प्रभुदयाल—बीकानेर डिविजन में किन किन जगह बनाये जावेगें ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४३४

राजस्थान के निर्माण के पश्चात भूतपूर्व राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग के ड्राइवरों का फिक्सेशन

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान के निर्माण के बाद भूतपूर्व राजस्थान सरकार की सेवाओं के कितने ड्राइवर स्वास्थ्य विभाग में किस किस तारीख को काम पर लगाये गये ?

(२) उक्त ड्राइवरों का फिक्सेशन किस किस तारीख से किया गया है और कितना कितना एरियर दिलाया गया ?

(३) किशनगढ़ सब डिविजन में काम करने वाले ऐसे कौन कौन ड्राइवर हैं जिनका फिक्सशन सन् १९५० से न होकर बाद में किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद (स्वास्थ्य मंत्री)—(१) तीन ड्राइवर तो ऐसे लिये गये हैं जो राजस्थान बनने से पहले ही फारमर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में थे उनके नाम व विभाग में आने की तारीख इस प्रकार है—

नाम.	विभाग में रखने की तारीख.
१. श्री शंकर	६.४.१९४७
२. श्री देवीलाल	१.७.१९४६
३. श्री लक्ष्मणसिंह	३.२.१९४८.

निम्नलिखित ऐसे ४ ड्राइवर राजस्थान बनने के बाद स्वास्थ्य विभाग में आये—

नाम	विभाग में रखने की तारीख
१. श्री चांदमल	१.६.१९५१
२. श्री हरिसिंह	३१.७.१९५२
३. श्री नाहरसिंह	२३.८.१९५२.
४. श्री माधोलाल दवे	२७.१२.१९५१.

(२) नाम	फिक्सेशन की तारीख	एरियर जो मिला
१. श्री चांदमल	१.६.१९५२	१६२ रूपया
२. श्री हरिसिंह	३१.७.५२ से ही उनको	५०.३.८०. के ग्रेड में रखा गया

३. श्री शंकर यह दिनांक २८-१०-४६ को नौकरी छोड कर चले गये ।
४. श्री नाहरसिंह २३.८.५२ से ही उनको ५०.३.८०. की ग्रेड में रखा गया ।
५. श्री देवीलाल १. १०. ५० १०३ रुपया
६. श्री लक्ष्मणसिंह १. ४. ५० १७५ रुपया
७. श्री माधोलाल दवे २७-१२-५१ से ही उनको ५०.३.८०. की ग्रेड में रखा गया ।

(३) श्री चांदमल ।

(४) श्री चांदमल ने एक आवेदन पत्र इस संबन्ध में प्रस्तुत किया था । वह आवेदन पत्र चीफ सुप्रिन्टेन्डेन्ट स्टेट गेरेज के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है ।

श्री चांदमल मेहता—जब दूसरे ड्राइवरों का सन् ५० से फिक्सेशन किया गया तो किशनगढ़ से आने वाले ड्राइवर का फिक्सेशन उसी तारीख से क्यों नहीं किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद—वह आया ही सन् १९५१ में है, इस विभाग में ।

श्री चांदमल मेहता—यह फिक्सेशन क्या विभाग में आने की तारीख के आधार पर, या कितने वर्षों से नौकरी में हैं उसके आधार पर किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद—जो कोई आदमी दूसरी जगह से किसी विभाग में ट्रान्सफर हो कर आता हैं उसका फिक्सेशन उसी तारीख से हो सकता है, जिस तारीख को वह वहां पर आवे ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि दूसरे ड्राइवर जो इसके बाद में आये उनका फिक्सेशन १९५० से हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद—यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी जानकारी करके किशनगढ़ के ड्राइवर को भी न्याय देने की कृपा करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद—हमारे यहां अन्याय की बात नहीं रहती । हमारे यहां तो जिस तारीख से आवेगा उसी तारीख से उसका फिक्सेशन किया जा सकता है । हमारे यहां वह १९५१ में ही आया और उसका तभी से फिक्सेशन किया गया । पहले का संबन्ध गेरेज वालों से है, वे इसपर कुछ ध्यान देंगे ।

श्री चांदमल मेहता—फिक्सेशन, डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसकी पहली सेवाओं के आधार पर ही किया जाता है ।

श्री बद्रीप्रसाद—वह पहले हमारे यहां था ही नहीं ।

श्री चांदमल मेहता--फिक्सेशन के बारे में क्या क्राइटेरिया मुकर्रर है ?

श्री बद्रीप्रसाद--जिस तारीख से वह आवेगा उसी तारीख से नौकर रखेंगे।

श्री चांदमल मेहता--क्या इससे यह समझा जावे कि जो लोग १९४९ में आये उनको १९४९ में फिक्स किया है।

श्री बद्रीप्रसाद--मैंने निवेदन किया कि उनका संबन्ध पुराने रूल्स से है और उसके लिये गेरेज को लिख दिया गया है। इसके अलावा और तो कोई झगड़े की बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता--यह बिल्कुल क्लिअर है कि जो लोग जिस ओफिस में काम करते होते हैं उनकी पहले की सर्विसेज का ध्यान रखा जाता है। दूसरों के केसेज में तो उनका कन्सीड्रेशन किया गया और चांदमल के बारे में ध्यान नहीं दिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद--उसी आधार पर किया गया होगा।

श्री चांदमल मेहता--क्या आप इसकी जांच करावेगें ?

श्री अध्यक्ष--जांच करा लीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद--मेरी जानकारी में नहीं है और देखूंगा।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४३५

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ५५--५६ में मनोविनोद पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन व पैट्रोल पर व्यय हुई धनराशियाँ

रावराजा श्री सरदारसिंह (श्री हिम्मतसिंह द्वारा पूछा गया):--क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(क) सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा अप्रेल १९५५ से ५६ तक निम्नांकित आइटम्स पर कितना व्यय किया गया--

(१) मनोविनोद।

(२) पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन।

(३) पैट्रोल।

(ख) इस वर्ष कितनी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ ?

(ग) क्या कोई पुस्तक प्रथम पंच वर्षीय व दूसरी पंच वर्षीय योजना पर सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) अप्रेल १९५५ से फरवरी १९५६ तक निम्न प्रकार से व्यय किया गया था—

(१) मनोविनोद की कोई मद इस विभाग में नहीं है। पत्रकारों के स्वागत सत्कार पर हुआ व्यय ४, ४९५ रू० ।

(२) कार्यालय से प्रकाशित दो मासिक और पुस्तकों आदि के प्रकाशन पर २२,९५६ रू० ।

(३) पैट्रोल २,६५५ रू० ।

(ख) इस वर्ष संयुक्त राजस्थान के ७ तथा विकास के ८ अंक तथा छोटी बड़ी २२ पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। लगभग १० प्रकाशन इस समय प्रेस में हैं।

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना पर जुलाई १९५४में एक पुस्तक निकाली गईथी। इसके बाद की जानकारी मासिक 'विकास' में दी जाती रही है। गणतन्त्र दिवस और स्वाधीनता दिवस पर प्रकाशित विशेष प्रकाशनों में भी योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति का विवरण रहता है। प्रथम योजना की समाप्ति के बाद एक विस्तृत विवरण निकाला जायगा।

श्री सरदारसिंह—किस प्रेस में यह छपती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग से प्रश्न पूछिये ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ४३६

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित, कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

नेक्स्ट,

प्रश्न संख्या ४३७

कस्बा सुजानगढ़ (जि० चूरू) की नगर पालिका के चुनाव में आये हुए सदस्यों के नामों का राज-पत्र में प्रकाशन

श्री भैंरू सिंह—क्या मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या कस्बा सुजानगढ़ जिला चुरू की नगरपालिका का चुनाव दिनांक १७-१०-५५ को होना निश्चित हुआ था ?

(ख) क्या यह सही है कि यह चुनाव स्थगित किया गया यदि हां, तो क्यों ?

(ग) इस चुनाव में कितने व्यक्तियों ने नामजदगी के परचे प्रस्तुत किये, कितने खारिज किये, कितनों के नाम वापिस लिये तथा कितने निर्विरोध निर्वाचित हुये ?

(घ) क्या यह सही है कि इस नगरपालिका का अब चुनाव हो चुका है यदि हां तो किस तारीख को और कितने स्थानों का ?

(ङ) क्या नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों के नाम राजपत्र में अभी तक प्रकाशित नहीं करवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद—(क) जी हां।

(ख) जी हां। निर्वाचन अधिकारी के आकस्मिक अस्वस्थ हो जाने तथा जिलाधीश दिनांक १६—१०—५५ को दौरे पर थे अतः समय पर दूसरा निर्वाचनाधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सका।

(ग) ६७ आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें से १४ खारिज किये गये १५ वापिस लिये गये और ३ निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये।

(घ) जी हां। तारीख २१—१२—५५ को चुनाव हुए। १८ स्थानों का चुनाव हुआ।

(ङ) जी नहीं। निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों के नाम राजस्थान राजपत्र दिनांक ३—३—५६ को प्रकाशित हो चुके हैं।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि जो व्यक्ति निर्विरोध चुने गये थें उन्हें भी दुबारा चुनावों में भाग लेना पड़ा ?

श्री बद्रीप्रसाद—उसके लिये नियमानुसार कार्यवाही की गई होगी।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि निर्वाचित निर्विरोध चुने हुए व्यक्ति को फिर चुनाव के लिये वोट लेने पड़े ?

श्री बद्रीप्रसाद—मैंने कहा कि अगर कोई नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिये तो हुई होगी।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि जो निर्विरोध चुने गये उनकी भी सीटें वेकेंट घोषित कर दी गई और उनको वापिस चुनाव लड़ना पड़ा, यह कौनसा नियम है ?

श्री बद्रीप्रसाद—यह बात मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा हुआ हो। अगर हुआ तो क्या हुआ यह मुझे याद नहीं है।

श्री भैंरू सिंह—आपने बताया कि तीन व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये क्या उनका भी वापिस चुनाव कराया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद—मेरे पास तो यह जानकारी है जो मैंने आपको बताई। निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गये उनका चुनाव वापिस कराया गया यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैंरू सिंह—सुजानगढ़ में कुल कितने वार्डों का चुनाव हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद—मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैंरू सिंह—आपने १८ स्थानों पर चुनाव हुआ बताया। ये सुजानगढ़ के वार्ड हैं या इससे कुछ कम वार्ड्स हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद—मैं समझ नहीं पाया।

श्री भैंरू सिंह—इन १८ के बारे में क्या माना जावे कि १८ सीटों का चुनाव कराया गया था एक या दो सीटों का चुनाव कराया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे मालूम हुआ कि १८ वार्ड्स थे।

श्री भैंरू सिंह—जो व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुये थे उनकी सीटों का दुबारा वोटों से चुनाव क्यों कराया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कैसे किया यह मेरे पास डिटेल्स नहीं है।

Page No 13

श्री भैंरू सिंह—क्या इसके लिये कलेक्टर ने हुक्म दिया था या नहीं ? और क्या सरकार ने कलेक्टर को आज्ञा दी थी कि निर्विरोध चुने लोगों को भी वापिस उनकी सीटें वेकेंट कराकर चुनवा कराये जावें ?

श्री भैंरू सिंह—क्या सरकार ने यह हुक्म दिया था कि फिर से इस नगरपालिका का चुनाव कराया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने आपसे निवेदन किया नियमानुसार चुनाव के आर्डर दिये गये।

श्री भैंरू सिंह—जब तीन आदमियों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया तो उनके चुनाव फिर से करवाने के क्या कारण थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जिस समय आर्डर्स दिये गये, चुन लिये गये, डिक्लेयर कर दिये जिनके चुनाव नहीं हुए, चुनाव वापिस कर दिये।

श्री भैंरू सिंह—क्या चुनाव के स्थगित होने से पहले सरकार को यह जानकारी हो गई थी कि ये तीनों व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैंरू सिंह—सरकार की जानकारी में यह कब आई कि ये तीन व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सवाल का जवाब देखा तब।

श्री भैंरू सिंह—क्या सरकार के पास सुजानगढ़ म्यूनिसिपैलिटी के कुछ सदस्यों ने इस बात का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि जिन लोगों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिये हैं उनका चुनाव दुबारा न कराया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी मेरे पास कोई दरख्वास्त नहीं आई।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि दरख्वास्त पर माननीय मन्त्री महोदय ने कलेक्टर की रिपोर्ट मांगने का आदेश दे रखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ये सब बातें मुझे जबानी याद नहीं है। दरख्वास्त लाये होंगे तो शायद ऐसा हो सकता है।

श्री भैंरू सिंह—क्या सरकार यह उचित समझती है जिन व्यक्तियों का चुनाव निर्विरोध हो गया उनका चुनाव दुबारा किया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो कानून की बात है।

श्री भैंरू सिंह—कानून की आड लेकर ही बताइये कि यह अनुचित है या उचित ?

श्री अध्यक्ष—आप डेफीनेट इन्डीकेशन देते हैं तब यह नौबत आती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चुनाव स्थगित कराने के सम्बन्ध में क्या हुआ बाद में कब यह हुआ इस सम्बन्धी सूचना जो चाही थी, वह बता दी गई।

श्री भैंरू सिंह—तीन आदमी जो निर्विरोध चुने गये थे उनके बारे में इनफोरमेशन जरूर देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—तीन आदमी पहले निर्वाचित घोषित कर दिये गये। यह उन्होंने कह दिया है।

श्री भैंरू सिंह—मुझे तो पता था उनके मुंह से कहलवाना चाहता था ! तीन आदमी जो निर्वाचित घोषित किये गये उनके स्थान पर दुबारा चुनाव कराया गया, उसके लिए सरकार अपनी गलती महसूस करती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसमें गल्ती महसूस करने की कोई बात नहीं।

राज श्री हिम्मतसिंह—अगर जिन तीन व्यक्तियों के चुनाव हुए वे जाब्ते से गलत हुए तो ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जाब्ते से अगर गलत होंगे तो होजावेंगे।

प्रश्न संख्या ४३८।

सवाई माधोपुर विकास खण्ड इस वर्ष के बजट में अंकित धनराशि से व्यय न हुई धनराशि

श्री श्रीदास गोयल—क्या वह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सवाई माधोपुर विकास खंड में कितना रुपया इस वर्ष के बजट में किस किस मद में बिना खर्च किये हुये रहा है ?

(ख) तकाबी के सिलसिले में अब तक कितना रुपया बचा हुआ है और क्यों ?

[श्री श्रीदास गोयल]

(ग) अब कब तक इसका वितरण हो सकेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) सवाई माधोपुर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड में सन् ५५, ५६ के बजट में से विभिन्न मदों में जो धनराशि खर्च नहीं की जा सकी उसकी सूची संलग्न है।

(ख) तकावी वितरण के लिए रुपया बिल्कुल नहीं बचा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या ४३६

शासकीय ट्रैक्टरों का वितरण एवं भीलवाड़ा में भी भेजने की शासकीय योजना

श्री तेजमल बापना—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान सरकार में कितने ट्रैक्टर हैं और वे किस किस स्थान पर कब से काम कर रहे हैं ?

(ख) क्या ट्रैक्टरों का वितरण जिले वाइज किया गया है ? यदि हां तो भीलवाड़ा जिले में ट्रैक्टर भेजे जाने को है ?

(ग) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में एक भी ट्रैक्टर अब तक नहीं भेजा गया है ?

(घ) अब भी क्या सरकार कुछ ट्रैक्टर भीलवाड़ा भेजने की व्यवस्था करेगी, यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) कृषि विभाग में इस समय १३ ट्रैक्टर हैं उनका विवरण निम्न लिखित है।

ट्रैक्टर	स्थान	समय
२	पेड़ोसोली सरकारी फार्म	अप्रेल, १९५५
२	दुर्गापुरा ,,	जनवरी, ५५

[श्री भोगीलाल पंड्या]

१	बस्सी "	जनवरी, ५६
१	भरतपुर जिला	१६५०
१	कोटा जिला	१६५०
२	गंगानगर	१ जनवरी, ५५
२	सिरोही जिला	२ जनवरी, ५२
२	उदयपुर में सुधरने के लिये पड़े हैं	१६५०

(ख) नहीं किया गया है चूंकि ट्रेक्टर के नग बहुत कम है।

(ग) जिला भीलवाड़े से कभी ट्रेक्टर की मांग नहीं आई इसलिये ट्रेक्टर नहीं भेजा गया।

(घ) मांग आने पर व्यवस्था कर दी जावेगी।

श्री तेजमल बापना—क्या इस प्रश्न के पूछने पर भी मालूम नहीं, हुआ कि वहां आवश्यकता है?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह जो प्रश्न पूछा इससे तो नहीं, अगर वहां आवश्यकता हो तो वहां के अधिकारी लोग मांग करें तो भेजे जा सकते हैं। वैसे भी मैंने प्रश्न के उत्तर में यह निवेदन किया कि ट्रेक्टरों की कमी है जब नये खरीदे जायेंगे भीलवाड़े का अवश्य ध्यान रखा जायगा।

श्री जवानसिंह—सिरोही जिले में जो दो ट्रेक्टर बताये गये हैं वे सिरोही में हैं या जालोर जिले में हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—सिरोही में।

श्री जवानसिंह—गत डेढ वर्ष में वह सिरोही जिले में है या जालोर जिले में?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे पास जहां तक जानकारी है वे सिरोही में है।

श्री कस्तूरचन्द—जो ट्रेक्टर आप किराये से देते हैं उसकी क्या रेट्स हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—आप अलग से पूछ लीजिये जानकारी करके बता दिया जायगा।

श्री तेजमल बापना—क्या यह सही है कि भीलवाड़े में कई बान्ध बन रहे हैं इसलिये ट्रेक्टर की बहुत आवश्यकता है दो साल से बराबर मांग कर रहे हैं।

Page No 17

श्री भोगीलाल पंड्या—सिंचाई विभाग का तो इससे संबन्ध नहीं लेकिन यदि सिंचाई विभाग को जरूरत थी तो दिये गये आवश्यकतानुसार उन स्थानों पर भेज देते हैं।

प्रश्न संख्या ४४०

ग्राम पदमपुरा, त० नावां की पंचायत को कुआ बनाने के लिये दी गई धन राशि व्यय न करने सम्बन्धी आपत्ति पत्र

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि तहसील नांवा के पदमपुरा गांव की पंचायत को एक हजार रुपया वहां पर कुआ बनाने के लिये दिया गया था ?

(ख) यदि हां तो क्या यहां के सरपंच ने कुए पर पूरे नहीं लगाये और पदमपुरा की जनता की ओर से इसकी शिकायत भी की गई ?

(ग) यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या इसकी जांच कराई गई किसी इन्स्पेक्टर द्वारा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हमको सूचना है किसी की शिकायत नहीं।

प्रश्न संख्या ४४१

बीकानेर डिविजन की सरदारशहर से हनुमान गढ़ होती मंडीअबोहर तक बनाई जाने वाली सड़कें

श्री धर्मपाल पंवार—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

[श्री धर्मपाल पंवार]

(अ) बीकानेर डिविजन में जो सड़क सरदार शहर से हनुमानगढ़ होती हुई मंडी अबोहर तक की बनाई जा रही है उस पर आजतक कितनी प्रगति हुई है ?

(ब) क्या हर साल जितनी रकम मन्जूर होती है सब खर्च की जाती है अथवा लैप्स हो जाती है ?

(स) कितने सालों से इस सड़क का काम चल रहा है और अब तक पूरी न बनाने का क्या कारण है ?

(द) अब कब तक यह सड़क पूरी बनकर तैयार हो जायगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(अ) तीस प्रतिशत ।

(ब) स्वीकृतियां नोन लेप्सेबल हैं ।

(स) सन् ५३–५४ से ।

(द) (१) पूरी स्वीकृति नहीं (२) स्वीकृति देर से होना (३) कोयले के लिये वेगनों का अभाव ।

(य) अभी निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । परन्तु आशा है द्वितीय योजना काल में पूरी हो जायगी ।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या यह सही है कि वहां जो काम हो रहा है वह बड़ा सुस्ती से चल रहा है, ठेकेदार लोग परवाह नहीं करते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—काम तो ठीक चल रहा है लेकिन जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया कि वहां पर कोयले का अभाव और कंकरों के अभाव के कारण काम नहीं चल रहा हैं ।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या कंकर दरबारी बीकानेर में उपलब्ध नहीं हो सकते ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—गवर्नमेन्ट ने मिनिस्ट्री आफ ट्रांसपोर्ट देहली के रेलवे डिपार्टमेंट को लिखा गया है कि वेगन्स का इन्तज़ाम किया जाय लेकिन वह नहीं हो पाया है इसके कारण दिक्कत महसूस होती है ।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या आप इस सड़क की जल्दी आवश्यकता महसूस नहीं करते ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—आवश्यक महसूस करते हैं तभी तो रखी गयी है।

प्रश्न संख्या ४४२

भूस्वामियों पर दिनांक २ फरवरी १९५६ को जोधपुर में हुई लाठी चार्ज सम्बन्धी निष्पक्ष जांच

श्री भैरूं सिंह(१६)—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि दिनांक २।२।५६ को जोधपुर शहर में भूस्वामियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया ?

(ख) यदि हां तो सत्याग्रही कितनी संख्या में थे ? पुलिस अधिकारी कितने थे और लाठी चार्ज की आज्ञा किसने किस कारण से दी थी ?

(ग) इस लाठी चार्ज में कितने सत्याग्रही गिरफ्तार हुये, कितने आहत हुए और कितनों का डाक्टरी मुआयना कराया गया ?

(घ) क्या जोधपुर के नागरिकों ने इस लाठी चार्ज को अनुचित ठहराते हुए सरकार से इस की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की थी ?

(ङ) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जी हां।

(ख) सत्याग्रहियों की संख्या १०० तथा पुलिस की ४० की थी। जोधपुर कमिश्नर के कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले सत्याग्रहियों को तितर बितर करने के लिये, लाठी चार्ज की आज्ञा जिलाधीश जोधपुर द्वारा दी गई।

(ग) ८२ आदमी गिरफ्तार किये गये तथा २२ आदमी घायल हुए जिनका डॉक्टरी मुआयना कराया गया।

(घ) उसी संध्या को ? भूस्वामी संघ द्वारा लाठी चार्ज की आलोचना करते हुए एक सभा की गई जिसमें निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई किन्तु सत्याग्रहियों की हरकतें तथा पुलिस की कम संख्या देखते हुए, सरकार इसको आवश्यक नहीं समझती।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि नगर कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा था कि लाठी चार्ज अनुचित हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए ?

श्री राम किशोर व्यास—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री भैंरू सिंह—जैसा कि आपने बताया संख्या ४० थी और यह भी बताया २२ आदमी गिरफ्तार किये और १८ आदमियों को छोड़ा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैने १०० बताया।

श्री भैंरू सिंह—आपने बताया कि १०० आदमियों में से २२ आदमियों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—आप यह चाहते हैं कि सब के सब गिरफ्तार किये जाते।

श्री भैंरू सिंह—जैसा कि आपने जवाब में कहा कि सौ आदमियों ने कमिश्नर के कार्यालय में प्रवेश करना चाहा। उनको रोकने के लिये तितर बितर करने के लिये लाठी चार्ज किया गया उस में सब मुलजिम थे तो सब को गिरफतार क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—आपको गिरफतार न करने की शिकायत है क्या ? This is the discretion of the Government.

श्री भैंरू सिंह—मेरा प्रश्न यह है कि जब कार्यालय में प्रवेश करने के लिये १०० व्यक्ति आये तो उनमें से २२ को ही गिरफतार क्यों किया गया सब को क्यों नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—जिनको गिरफतार करना उचित समझा, किया गया।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि बाईस के अलावा और भी व्यक्तियों को लाठी चार्ज में चोटें आई ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह सही नहीं है।

श्री भैंरू सिंह—इन बाईस का डाक्टरी मुआयना कराया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—डाक्टरी मुआयना कराया गया।

श्री हिम्मत सिंह—इनमें से कितनों को जेर इलाज बस्टैडी में रक्खा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—सब का डाक्टरी मुआयना कराया गया।

श्री सन्तोषसिंह—किस अस्पताल में कराया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—डाक्टर द्वारा मुआयना कराया गया। जिनकी इनजरीज थी।

श्री सन्तोषसिंह—क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को चोटें आई थी उन सबको अस्पताल न लेजाकर कोतवाली में लेजाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—हो सकता है हवालात में ले गये हों।

श्री भैंरू सिंह—उनका मुआयना किस जगह हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास—डाक्टरों के पास हुआ।

श्री भैंरू सिंह—कौन से डाक्टर के पास हुआ और किस जगह ?

श्री रामकिशोर व्यास—आप इसके लिये अलग नोटिस देंगे तो जबाब दिया जायगा।

श्री भैंरू सिंह—यह बताया जाय कि डाक्टरी मुआयना होस्पीटल में हुआ था या जेल में हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—इन बाईस में से कितने अस्पताल में भरती किये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—भरती किसी को नहीं किया गया।

श्री भैंरू सिंह—यह लाठी चार्ज कमिश्नर के कार्यालय के बाहरी दरवाजे के सामने हुआ या उसके कार्यालय के सामने जो दरवाजा है उसके सामने हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास—कार्यालय के बाहर हुआ।

श्री भैंरू सिंह—कार्यालय के दो दरवाजे हैं। एक तो अन्दर का और दूसरा बाहर का। किस दरवाजे पर लाठी चार्ज हुआ, अन्दर वाले दरवाजे पर या बाहर वाले पर ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो जिरह का सवाल है।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि उस जगह से कमिश्नर का कार्यालय का दरवाजा दो फर्लांग दूर था ?

श्री अध्यक्ष—How does it affect ?

श्री भैंरू सिंह—बड़ा महत्व का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय यह। उन लोगों पर जबर्दस्ती लाठी चार्ज किया गया है।

श्री शम्भूसिंह—डिस्पर्स होते हुए लोगों का पीछा करते हुए लाठी चार्ज किया गया।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४४३

२३ ओ (त० करनपुर) में जल प्राप्त मुरब्बा एवं कमेण्डेड र बा

श्री धर्मपाल पंवार—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

[श्री धर्मपाल पंवार]

(क) २३ ओ (तहसील करणपुर) में कुल कितने मुरब्बों को पानी दिया जाता है और कुल रकबा कितना है जो कमेन्डेड है ?

(ख) क्या बाकी रकबे को पानी मिलने की कोई स्कीम है ? यदि हां तो कब तक ?

(ग) क्या इसका सर्वे हो चुका है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) चक २३ ओ तहसील करनपुर में लगभग ४६ मुरब्बों का पानी दिया जाता है और इस चक में ११४६ बीघा १४ विस्वा नहरी रकबा है।

(ख) बाकी बारानी रकबे को पानी मिलने की कोई स्कीम नहीं है।

(ग) प्रोजेक्ट प्रारम्भ होने के समय जो सर्वे हुआ है उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या यह महसूस नहीं किया जाता कि वहां भी पानी की जरूरत है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पानी मिल जावेगा तो उसके लिये भी आगे सोचा जा सकेगा। पानी ही नहीं मिलता तो महसूस करने से क्या लाभ ?

श्री धर्मपाल पंवार—क्या सब एरिया को पानी मिला हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री धर्मपाल पंवार—इसका क्या कारण ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जितना दिया जा सकता था दे दिया गया है और बारानी रकबा को देने के लिये पानी नहीं था।

श्री धर्मपाल पंवार—यह किस साल में डिक्लेअर किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब प्रोजेक्ट प्रारम्भ हुआ तब।

श्री धर्मपाल पंवार—मैं साल जानना चाहता हूँ।

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिये अलग से प्रश्न पूछियेगा। मालूम करके साल और तारीख भी बता दूंगा।

Page No 23

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब पानी नहीं दिया जाता तो चार्ज किस बात का लिया जाता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में जो सरकारी पक्ष के आदमी हैं उनको ही पानी दिया जाता है ? दूसरों को नहीं जो उनके विरोधी पक्ष के हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।

प्रश्न संख्या ४४४

बून्दी नगर पालिका के सदस्य श्री गणेश लाल एवं वेद प्रकाश भाटिया का बोर्ड की बैठकों से ४ माह तक अनुपस्थिति

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें।

(क) क्या बून्दी नगरपालिका के मेम्बर श्री गनेशीलाल व श्री वेदप्रकाश भाटिया १४।६।५५। से ६।२।५६ के बीच होने वाली बोर्ड की मीटिंग में लगातार चार महीने से अधिक समय तक अनुपस्थित रहे हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि इन सदस्यगण को अनुपस्थिति के बारे में बोर्ड के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को आवेदन पत्र सरकार द्वारा एक्शन लेने हेतु पेश हुए हैं ?

(ग) यदि हां तो, किस तारीख को ?

(घ) सरकार अब कब तक इन सदस्यगण की सीट्स को वेकेन्ट करार देने का विचार रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(स्वायत्त शासन मन्त्री) इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(ख) जी हां।

(ग) १३।२।५६ को।

(घ) जांच के बाद निर्णय दिया जावेगा।

श्री छीतरलाल शर्मा—जांच कब से जारी है

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अभी जवाब आया है। उनको पूछा था कि उनको इस सम्बन्ध में क्या ऐतराज है? इस केस को एग्जामिन कर रहे हैं।

श्री छीतरलाल शर्मा—वहां से क्या जवाब आया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—प्रेसीडेन्ट से पूछा है कि उनका इस सम्बन्ध में क्या कहना है?

श्री वेदपाल त्यागी—क्या इसका उत्तर बाद में देने की कृपा करेंगे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उत्तर दे दिया कि निर्णय जल्दी दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न का उत्तर दे दिया, पर निर्णय सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४४५

अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेजे गये जयपुर जिले के डाक्टर

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) जयपुर जिले में ऐसे कितने डाक्टर हैं जो उक्त जिले के निवासी नहीं हैं?

(ख) ऐसे कौन कौन डाक्टर हैं जिनका चालू वर्ष में अपने डिस्ट्रिक्ट से जयपुर डिस्ट्रिक्ट में तबादला किया गया है?

(ग) उनको क्या क्या वेतन दिया जाता है?

(घ) किस किस डाक्टर ने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में वापिस तबादला किया जाने की मांग की है?

(ङ) उक्त मांग पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जयपुर जिले में ऐसे १३ डाक्टर हैं जो इस जिले के निवासी नहीं हैं।

(ख) और (ग) निम्नलिखित डाक्टरों का चालू वर्ष में जयपुर डिस्ट्रिक्ट में तबादला किया गया है। उनका वेतन उनके नाम के सामने दिया गया है।

डा० ए. सी. कपलास	२७५)
डा० शिवकुमार	२७५)
डा० ए. सी. सतीजा	२७५)

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

डा० दलपतराज शाह १७०)
डा० बी. वी. तारा १५०)
डा० आत्मा प्रकाश २१०)

(घ) सूची संलग्न है। (कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—२५०) से कम तनख्वाह पाने वाले डाक्टरों को होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर तबादला करने का क्या कारण है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे डाक्टर खुद ही चाहते थे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो सूची माननीय मन्त्री महोदय ने दी है वह अपूर्ण है और ऐसे डाक्टर भी हैं जो होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रान्सफर किये गये और जो होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहना चाहते थे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने लिस्ट पूरी दे दी है। जयपुर में हरेक डाक्टर आना चाहता है।

श्री चांदमल मेहता—जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात पूछ रहा हूँ, जयपुर शहर से मतलब नहीं है। अन्य जिलों से जयपुर जिले में डाक्टर आये उनकी सूची अपूर्ण है। वह सिर्फ जयपुर शहर की है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने नाम बताये। मेरी जानकारी में तो इतने ही नाम हैं?

श्री चांदमल मेहता—मैं बताऊं आपको, सज्जनसिंह नामक डाक्टर बीकानेर डिविजन से जयपुर डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया, क्या यह सही है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसका तो मेरे पास कोई नाम नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ में कुछ ऐसे डाक्टर हैं जो बीकानेर डिविजन के हैं और उन्होंने मांग की है कि हमारे डिविजन में ही हमें भेज दिया जावे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बीकानेर से खास तौर से उपयुक्त समझ कर बुलाये गये और उनकी कोई डिमान्ड नहीं हैं कि उनको वापिस उनके होम डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाय।

प्रश्न संख्या ४४६

तहसील रायसिंह नगर के खोले जाने वाले टैक्निकल स्कूल में लिये जाने वाले शिक्षार्थियों की योग्यता एवं हरिजनों को रियायतें

श्री धर्मपाल पंवार—क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील रायसिंह नगर में कोई टैकनीकल स्कूल खोला जा रहा है ? यदि हां तो कब तक ?

(ख) इस स्कूल में क्या २ काम सिखाये जावेंगे और शिक्षार्थियों की न्यूनतम क्या योग्यता निर्धारित की गई है ?

(ग) क्या इसमें हरिजन छात्रों को कोई फेसेलिटीज दिये जाने का आयोजन है ? यदि हां तो क्या ?

श्री सम्पतराम—(क) नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या इस समय कोई ऐसा कार्यक्रम चल रहा है ।

श्री सम्पतराम—ऐसे कार्यक्रम से समझा नहीं ।

श्री धर्मपाल पंवार—जैसे टैक्नीकल ट्रेनिंग का दिया जाना, निवार दरी बनाना आदि । ऐसी कोई आयोजना है वहां ?

श्री सम्पतराम—वह प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेन्टर है । इसको आपने और मैंने भी देखा है ।

श्री धर्मपाल पंवार—इसमें कितने छात्र हैं ?

श्री सम्पतराम—यह अलग से सवाल है ।

श्री धर्मपाल पंवार—इसमें आपने देखा क्या क्या काम हो रहा है ?

श्री सम्पतराम—कपड़ा भी बुना जाता है और छोटे मोटे और भी काम होते हैं, दरी निवार बुनने आदि के ।

प्रश्न संख्या ४४७

चित्तौड़ जिले में पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को शीघ्र वेतन दिलाने की व्यवस्था

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चित्तौड़ जिले में वेटरिनरी डिपार्टमेंट के किन किन कर्मचारियों को कितने कितने समय से वेतन नहीं मिला है?

(ख) उक्त कर्मचारियों को वेतन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं रुका हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस प्रश्न के भेजे जाने के बाद पेमेन्ट हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रश्न अप्रेल में पूछा जा रहा है और वेतन फरवरी में दे दी गई है।

प्रश्न संख्या ४४८

सवाई माधोपुर नगर में बिजली लगाने के आश्वासन को कार्यान्वित करने संबंधी

श्री श्रीदास गोयल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सवाई माधोपुर नगर में सरकार द्वारा कब से बिजली लगाने का आश्वासन दिया जा रहा है ?

(ख) गत अधिवेशन में जो मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया उसकी पूर्ति अब तक क्यों नहीं की गई ?

(ग) क्या राजस्थान में केवल यही जिला केन्द्र है, जहां अब तक बिजली की व्यवस्था नहीं है ?

(घ) कब तक सरकार सवाई माधोपुर में बिजली लगा देगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) सवाई माधोपुर नगर में बिजली लगाने के संबंध में यह आश्वासन दिया गया था कि कार्य १९५६ के अन्त तक पूरा कर दिया जावेगा।

(ख) आश्वासन को पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) नहीं, सवाई माधोपुर के अतिरिक्त और भी जिले हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हो सका है।

(घ) इस विभाग से जयपुर उद्योग लिमिटेड का सहयोग देने के लिए कहा था परन्तु उन्होंने पॉवर सप्लाई करने से इन्कार कर दिया।

(ङ) अब सवाई माधोपुर का विद्युतीकरण १९५७ के मध्य तक होना संभव हो सकेगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गत अधिवेशन में सन् ५६ तक विद्युतीकरण करने का हाउस में आश्वासन दिया था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—पहले मैंने आपसे अर्ज किया कि ५६ तक काम करवाने का था वह उस सिलसिले में था कि जयपुर उद्योग लिमिटेड यानि सीमेन्ट फेक्टरी जो है वह वहां पर बिजली आपको दे देगी। उन्होंने जब इन्कार कर दिया तो अब हमको दूसरे टरबाइन मंगाने पड़ेगें तब यह काम हो सकेगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि कनाड़ा से जो टरबाइन आने वाले थे उनके आधार पर यह आश्वासन दिया गया था।

श्री रामचन्द्र चौधरी—हां, लेकिन वह नहीं आये।

श्री श्रीदास गोयल—राजस्थान सरकार अब टरबाइन मंगा कर विद्युतीकरण सारे जिला केन्द्रों का हो सके, इस दृष्टि से क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—दुबारा जयपुर उद्योग लिमिटेड को लिखा गया है। अगर व मान जायेंगे तो ५६ तक वहां बिजली दे सकेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में बिजली विभाग का कोई अधिकारी वहां वार्ता करने के लिए और तत्काल ही मामले का निर्णय करने के लिए भेजा गया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—हां, यह प्वाइन्ट दुबारा टेक अप किया गया है।

श्री श्रीदास गोयल—पोल्स और वायर्स लगाने के सिलसिले में सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जब वह मान जायेंगे तो यह बड़ा काम नहीं है जल्दी ही कर दिया जायगा।

प्रश्न संख्या ४४६

जिला जैसलमेर के भारत पाक सीमा पर होने वाले स्मगलिंग सम्बन्धी शासकीय जांच

श्री हिम्मत सिंह (वि० स० ६१)—will the Home Minister be pleased to state:—

[a] Is it a fact that smuggling is on the increase at the India-Pakistan Border in Jaisalmer district ?

[b] Who are responsible for the smuggling in this area ?

[c] Is it also true that some M. L. A. was responsible for aiding the smugglers in the aforesaid area ?

[d] What steps has the Government taken in the matter ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) जी हां, ऐसे कुछ मामले हुए हैं।

(ख) प्राय: महाजन और भारतीय मुसलमान जो कि सीमा के पास ही रहते हैं।

(ग) जी नहीं, ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) इस प्रकार के अवैधानिक विकास [Smuggling] को रोकने के लिए सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री जवान सिंह—स्मगलिंग किन २ चीजों का होता है ?

श्री अध्यक्ष—what are the articles of smuggling ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग से पूछें कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या क्या हैं। जिन चीजों की वहां कमी होगी बहरहाल उन्हीं का होता होगा ।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या यह सही है कि गऊएं स्मगल होकर जाती हैं पाकिस्तान को ?

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसी कोई शिकायत नहीं है हमारे पास। इस तरह की एकाध वारदात गंगानगर साइड में हुई थी यहां पर रोक लिया गया है ।

श्री हनवन्तसिंह—एम. एल. ए. का नाम स्पष्ट कर दें कि कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप तो नहीं होंगे।

नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ४५०

वाई. एन. हास्पिटल, किशनगढ़, के लिये वर्तमान वर्ष में औषधियों के हेतु स्वीकृत धनराशि

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) वाई. एन. हास्पिटल, किशनगढ़ के लिए चालू वर्षमें दावईयों के लिये कितने रुपये स्वीकृत किये गये और कितने रुपये की दवाइयां दी गई ?

(२) क्या उक्त हास्पिटल में आवश्यक दवाइयों का अभाव है ? यदि हां, तो कितने समय से ?

(३) इस हास्पिटल के लिये चालू वित्तिय वर्ष में औजार खरीदने के लिये कितने रुपये स्वीकृत किये गये और उसमें से कितनी रकम के औजार खरीद किये जा चुके हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(१) ११,५०० रुपया व ११,७०६ रुपया १० आने की दवाइयां दी गई है।

(२) कोई अभाव प्रतीत नहीं होता है।

(३) चालू वित्तीय वर्ष में कोई रकम अभी इस अस्पताल के लिये स्वीकृत नहीं की गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वाई. एन हास्पिटल के आधिकारियों ने मांग की है कि उनके पास आवश्यक दवाइयां यहां तक कि लाइम प्लास्टर और बेन्डेज भी नहीं हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी कोई शिकायत नहीं है। ११,५०० रु० से भी ज्यादा रुपये दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह बात सही कि वहां ऐसे इनडोर पेशेन्ट मौजूद हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होने की वजह से प्लास्टर नहीं लगाया जा सका, क्यों कि वहां लाइम प्लास्टर नही था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं जानकारी प्राप्त करके निवेदन करूंगा।

श्री चांदमल मेहता—दवाइयों के लिए जो रुपया स्वीकृत था क्या यह सही है कि गत वर्ष की स्वीकृत रकम में से न दिया जाकर नये वर्ष की स्वीकृत रकम में से दिया गया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—११,५०० रु० मन्जूर हुए हैं और ११,७०६ रुपये की दवाइयां दी गई हैं।

श्री चांदमल मेहता—औजारों के लिए जो रकम ५५, ५६ में स्वीकृत हुई थी क्या उनके लिए औजार खरीद कर लिये गये?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सारे औजार नहीं खरीदे जा सके हैं लेकिन जो आवश्यक थे वे खरीदे गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—जो रुपया आपने स्वीकृत किया था उसमें से कितने रुपये के औजार खरीदे गये हैं?

श्री अध्यक्ष—डेफिनिट कोश्चन पूछियेगा।

श्री चांदमल मेहता—डेफिनिट ही क्वेश्चन पूछा है।

(३) इस हास्पिटल के लिए चालू वित्तीय वर्ष में औजार खरीदने के लिये कितने रुपये स्वीकृत किये गये और उसमें से कितनी रकम के औजार खरीद किये जा चुके हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चालू वर्ष अभी से शुरू हुआ है।

श्री चांदमल मेहता—यह प्रश्न जब पूछा गया है तो उस समय के वर्ष से मतलब है, और इस तरह की बात कहकर सवाल को टाला नहीं जाना चाहिए। ५५,५६ के वर्ष से मेरा मतलब है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—५००० रुपये स्वीकृत हुए थे उसमें से १५७४ रु० १२ आ० ६ पा० के औजार खरीदे गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—पूरी रकम के औजार नहीं खरीदे जाने का क्या कारण है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(अस्पष्ट अतएव, अश्रव्य)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वहां पर आवश्यकता ५ हजार से भी अधिक के औजार खरीद किये जाने की थी फिर भी नहीं खरीदे गये हैं?

Page No 32

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस बात की जानकारी हांसिल करके जिन्होंने खरीद नहीं किये हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आयन्दा साल में इस बात का खयाल रखा जाएगा।

श्री चांदमल मेहता—जो रुपया पिछले वर्ष का बाकी रह गया है क्या उतना रुपया इस चालू वर्ष में बढ़ा दिया जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आवश्यकता के मुताबिक दिया जायगा। आवश्कता ज्यादा होगी तो ज्यादा दिया जायगा और कम होगी तो कम दिया जायगा।

प्रश्न संख्या ४५१

ग्राम पंचायत उमर (त० हिन्डौली) के चुनाव एवं इसके विरुद्ध पिटीशन

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या स्वायत्तशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

(अ) ग्राम पंचायत उमर, तहसील हिंडौली, जिला बूंदी, के चुनाव की तारीख की मुशतहरी कौन सी तारीख को निश्चित की गई और तहसील को कौन सी तारीख की सूचना दी गई ?

(ब) क्या यह चुनाव करवाया गया और क्या इस चुनाव के विरुद्ध पिटीशन हुई?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(अ) दिनांक ३.१०.५५ को चुनाव करने की तारीख की व चुनाव स्थान की सूचना चुनाव अधिकारी द्वारा तहसीलदार को दी गई। तहसीलदार ने यह सूचना ७.१०.५५ को प्रसारित की ? तहसील को चुनाव के दिनांक १४.१०.५५ की सूचना दी गई।

(ब) जी हां। जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

महाराज श्री केसरीसिंह—तहसील में कौन सी तारीख को सूचना दी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने तारीख बताई है आपको। दिनांक ३.१०.५५ को चुनाव करने की तारीख की इत्तला तहसीलदार को दी गई।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सत्य है १६.१०.५५ को तहसील द्वारा सूचना दी गई पंचायत को ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—तहसीलदार ने ७.१०.५५ को प्रसारित कर दिया और तहसील को चुनाव के दिनांक १४.१०.५५ की सूचना दी गई।

महाराज श्री केसरीसिंह—मेरे कहने का मतलब यह है कि १६.१०.५५ को पंचायत के अन्दर तहसील ने सूचना दी है कि चुनाव....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं समझा नहीं।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि तहसील द्वारा १६.१०.५५ को सूचना दी गई है कि किस तारीख को चुनाव होंगे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है।

प्रश्न संख्या ४५२

भाखरा केनाल क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी की मन्डियां स्थापित करने के प्लाट्स

श्री कुम्भाराम आर्य—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार ने भाखरा केनाल एरिया में किस किस स्थान पर द्वितीय श्रेणी की मन्डियों को स्थापित करने का निर्णय कब किया?

(ख) इन स्थानों पर मन्डियां स्थापित किये जाने के लिए प्लाट कब तक मिलने प्रारम्भ हो जावेंगे?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री):—(क) सन् १६५४ के मध्य में निम्नलिखित स्थानों पर द्वितीय श्रेणी की मन्डियों के स्थापन की स्वीकृति हुई:—
१. भादरा २. नोहर ३. सूरतगढ़ ४. संगरिया ५. सादूलशहर ६. पीली बंगा ७. तलवारझील।

(ख) नोहर मन्डी के नक्शे बन चुके हैं बाकी बनाये जा रहे हैं। प्लाट बिकने की कार्यवाही इसके पश्चात् ही शुरू की जा सकेगी।

श्री कुम्भाराम आर्य—इसके क्या सुपरवीजन हैं यह बतलायेंगे?

श्री रामचन्द्र चौधरी—इसके लिए ५१ प्लानिंग आफिसर के लिए नये ग्रुप आफिसेस मुकर्रर किये जायेंगे। इनकी सेंक्शन हो चुकी है। वह स्टाफ रक्खेंगे उसके बाद कार्यवाही शुरू हो सकेगी।

श्री कुम्भाराम आर्य—यह स्टाफ कबतक रखेंगे?

श्री रामचन्द्र चौधरी—जल्दी ही रखा जायगा।

श्री कुम्भाराम आर्य—आप कोई तारीख बता सकेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—तारीख इसकी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसके लिए टेकनिकल स्टाफ की जरूरत है जनरल प्लानिंग के लिए, वह मिलना ही मुश्किल है। जैसे जैसे आदमी मिलते जायेंगे वैसे वैसे रखते जायेंगे।

श्री कुम्भाराम आर्य—आप कोई साल ही बता दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैं कहता हूं कि जल्दी ही, इसी साल शुरू करेंगे।

श्री कुम्भाराम आर्य—आपने ५४ की बात कही है तो अभी अभी आदमी वहां पहुंचे हैं।

श्री रामचन्द्रचौधरी—अलग प्रोवीजन्स मुकर्रर नहीं था। टेकनिकल स्टाफ नहीं मिलता था। इन्हीं दिक्कतों को समझते हुये इसमें रखा है। उसका प्रोवीजन ही अलग मुकर्रर किया गया है। स्टाफ की सेन्कशन हो चुकी है जो कि इस सम्बन्ध में रखा जाएगा।

श्री कुम्भाराम आर्य—इस साल तो निश्चित् रूप से रख दिये जायेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—निश्चय ही।

महाराज श्री केसरीसिंह—उस साल मन्त्री कौन थे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४५३

सींगोली भीचोर रोड़ पर रायती बोर बावड़ी (जि० चित्तौड़) के बीच की सड़क में आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा

श्री सुगनचन्द जैन—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सींगोली भीचोर रोड पर रायती और बोरखावडी (जि० चित्तौड़) के बीच जो सड़क निर्माण हुई उसमें क्या काश्तकारों की रेवेन्यू की जमीन ली गई थी ?

(ख)—क्या उस जमीन का कम्पेनसेशन काश्तकारों को चुका दिया गया है और वह जमीन काश्तकारों के खाते से अलग करवा ली गई है ?

[श्री सुगनचंद जैन]

(ग) यदि हां, तो यह मुआविजा कब और कितना दिया गया है ?

(घ) यदि नहीं, तो अब तक नहीं चुकाने का क्या कारण है ?

(ङ) यह मुआविजा कब तक चुकाया जा सकेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री—(क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं, खातों से अलग होने के सम्बन्ध में इस विभाग को जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) लेन्ड एक्वीजिशन की प्रोसीडिंग्स की कार्यवाही सम्पूर्ण नहीं हुई है ।

(ङ) उपरोक्त कार्यवाही समाप्त होते ही ।

श्री सुगनचन्द जैन —यह सड़क कब से शुरू हुई थी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—सड़क का काम शुरू होने का तो अलग से सवाल है ।

श्री सुगनचन्द जैन—आज इसको तीन साल बीत गये हैं लेकिन यह पूरी नहीं हुई है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी—आपका तो सवाल यह है कि जिन लोगों की जमीनें सड़क के नीचे आ गई हैं उनको पैसा क्यों नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ४५४

मई, सन् १९५२ में श्री प्रेमराज, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट को डिग्रेड करने सम्बन्धी

श्री हंसराज आर्य—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

१. मई, सन् ५२ ई० में श्री प्रेमराजजी डिप्टी सुपरिन्टेन्डन्ट सेन्ट्रल जेल में तेनात थे ?

२. क्या उनको डिग्रेड किया गया था और यदि हां, तो किस कसूर में ?

३. क्या डिग्रेड करने से पहले उनके खिलाफ नियमानुसार जांच हुई ?

४. जांच का क्या परिणाम निकला ?

[श्री हंसराज आर्य]

५. इस समय वह कहां तैनात हैं तथा किस पद पर हैं ?

६. क्या वह अभी डिग्रेड हैं या बहाल हो गए हैं और नहीं हुए तो इसका क्या कारण है ? उनकी फाइल अब किस स्टेज पर है ?

७. क्या उन्होंने कोई अपील भी की है, यदि हां, तो क्या फैसला हुआ यदि फैसला नहीं हुआ तो क्यों नहीं ?

८. उनके स्थान पर किस व्यक्ति को तैनात किया गया और जिस व्यक्ति को तैनात किया गया वह पहिले किस पद पर थे तथा कहां थे और वो पहिले से तैनात थे तो उनकी कितनी सर्विस थी ?

यह सब वाक्यात पूर्ण ब्यौरे सहित तारीखवार बतलाने की कृपा करें ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—१. जी हां।

२. सन् १९५० में गंगानगर जेल में हुए एक एस्केप केस में उनको डिग्रेड किया गया।

३. जी हां।

४. श्री प्रेमराज अपराधी सिद्ध हुए।

५. यह इस समय सेन्ट्रल जेल जयपुर में जेलर हैं।

६. इन्होंने उस समय के इन्सपेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के फैसले के विरुद्ध सरकार के पास अपील की। सरकार द्वारा उनको नई चार्ज शीट दी गई है। यह अभी डिग्रेड ही हैं।

७. उक्त उत्तर से यह प्रश्न नहीं उठता।

८. श्री प्रेमराज के स्थान पर श्री हिम्मतसिंह सबसे सीनियर जेलर को ओफिशियेटिंग डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाया गया। श्री हिम्मतसिंह सिरोही में जेलर थे। क्योंकि यह ओफिशियेटिंग अरेन्जमेंट था, अतः कितनी सर्विस थी यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री हंसराज आर्य—यह कब तक हो जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—बीच में उनको हार्ट एटेक हो गया था इसलिये कार्यवाही स्थगित कर दी गई ।

श्री हंसराज आर्य—अब कब तक फैसला हो जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—मालूम नहीं कि उनकी ठीक हालत है या नहीं, जल्दी ही हो जायगा ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गंगानगर जेल से जो कैदी भागे थे इसमें क्या प्रेमराज का हाथ था ?

श्री अध्यक्ष—बता दिया कि दोषी ठहराये गये ।

नेक्स्ट ।

प्रश्न सं० ४५५

थाना पन्डेर, तहसील जहाजपुर के अन्तर्गत चोरियाँ एवं अपराध

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि थाना पण्डेर, तहसील जहाजपुर में सिपाहियों की संख्या पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या इस ही वजह से इस क्षेत्र में इस वर्ष अधिक चोरियां तथा अपराध हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—(गृह मंत्री) जी हां ।
जी नहीं ।

नोट—प्रश्न में (क) और (ख) भाग नहीं हैं किन्तु उत्तर में क और ख भाग का जवाब दिया गया है ।

श्री रामदयाल उपाध्यक्ष—सन् ५५, ५६ में मर्डर केसेज़ कितने हुये ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह सवाल कहां है आपका ।

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल ।

प्रश्न संख्या ४५६

विजयनगर व जेतपुर (त० सवाई माधोपुर) में हरिजनों के हेतु पेय जल की व्यवस्था

श्री श्रीदास गोयल—क्या स्वामत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री श्रीदास गोयल]

१. विजेनगर तथा जैतपुरा तहसील सवाई माधोपुर में हरिजनों के लिये पीने के पानी की क्या व्यवस्था है ?

२. क्या हरिजनों ने कुए खोद लिए हैं पर अब तक उन्हें जल बोर्ड से रुपये चिनाई तथा अन्य निर्माण कार्य के लिये नहीं दिये गये हैं ?

३. क्या जिला जल बोर्ड की सवाई माधोपुर में हुई प्रथम बैठक में उक्त निर्माण कार्यों को धन राशि देने का निर्णय किया गया था ?

४. यदि हां तो अब तक वह रुपया क्यों नहीं दिया गया है ?

५. सरकार क्या उक्त कुओं के लिये रुपया देने का विचार रखती है ?

६. यदि हां, तो कब तक ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है इस लिये इसका जवाब मैं अगली टर्न पर दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—Yes. Sree Brijendra Pal.

प्रश्न संख्या ४५७

करौली सब डिविजन में पचायतों के लिये बैठकों के स्थान का प्रबन्ध करने संबन्धी

श्री जवानसिंह—(श्री बृजेन्द्रपाल की ओर से) क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि करौली सब डिवीजन में पंचायतों को अभी तक पंचायत की बैठक के लिए स्थान नहीं बताए गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो किन किन पंचायतों को ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) पंचायतों की बैठक के करने के लिये जो नियम बनाए गए हैं उनमें आमतौर पर पंचायतों को ही प्रबन्ध करना चाहिये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष—श्री अवनिकुमार मुकर्जी, not present.

श्री भैंरू सिंह—प्रश्न बड़े महत्व का है माननीय अध्यक्ष, इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—आप पूछ लीजिए।

प्रश्न संख्या ४५८

सीकर में सन् १९५५ में खोले गए आई कैम्प (Eye Camp) और उसमें सरकार द्वारा व्यय हुई रकम धन राशि

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Will the MEDICAL & PUBLIC HEALTH Minister please state:-

[1] Whether an eye camp was organised in Sikar in the year 1955?

[2] Whether the present Director of Madical and Health sirvices was deputed by the Government to have overall supervision over the camp?

[3] How many eye operations were performed by the Director himself in that camp?

[4] Whether any money was spent by the Goverenmnt in connection with the camp? If so, how muc!?

[5] Whether any T. A. or D. A. was charged by tho Director for the period of his stay in the eye camp? If so, how much?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता [स्वास्थ्य मंत्री]—जी नहीं।

[२] से [५] तक प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री अध्यक्ष—श्री बृजेन्द्रपाल।

प्रश्न संख्या ४५९

ग्राम बड़ौदा (तहसील सपोटरा) के आयुर्वेदिक औषधालय का ग्राम हाडौती में स्थानान्तरण

श्री जवानसिंह—(श्री बृजेन्द्रपाल की ओर से) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम बडौदा, तहसील सपोटरा के आयुर्वेदिक औषधालय को हटा कर ग्राम हाडौती में कर दिया गया है?

[श्री जवानसिंह]

(ख) क्या यह सही है कि ग्राम बड़ौदा के निवासियों ने औषधालय का मकान श्रमदान द्वारा बनाया था :

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) जी हां।
(ख) जी हां !

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि बड़ौदा के निवासियों ने श्रमदान से औषधालय के लिये मकान बनाया था ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—वहां खोल दिया गया। जी हां कहा था।

श्री **जवानसिंह**—उप प्रश्न 'ख'।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—दोनों के जवाब में 'हां' कहा है।

श्री **जवानसिंह**—हां कहा है। अर्ज कर रहा हूँ कि प्राथमिकता 'ख' वाले ग्राम को क्यों नहीं दी गई ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—उनको प्राथमिकता दी गई वहां खोल दिया गया।

श्री **कस्तूरचंद**—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न रह गया है।

श्री **अध्यक्ष**—पूछ लीजिये।

प्रश्न संख्या ४३०

तहसील बनेडा (जि० भीलवाड़ा) में सिंचाई के तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृति धनराशि

श्री **कस्तूरचंद**—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[क] तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा में सिंचाई के तालाबों की संख्या कितनी है ?

[ख] उक्त तालाबों में किस किस तालाब की मरम्मत या बड़ा कराने के लिए कितना कितना रुपया स्वीकृत किया गया है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या** [उद्योग मंत्री]—[सिंचाई मंत्री की ओर से] [क] ३० तालाब सिंचाई विभाग के चार्ज में हैं।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

[ख] उक्त तलाबों में से निम्नलिखित तालाबों की मरम्मत की जावेगी या बड़े करने के लिये ६०,०००) रुपया की स्वीकृति की गई है :

१. छितरवासा तालाब.

२. लूलास तालाब.

३. कुंवर तालाब .

४. सागरास तालाब

श्री कस्तूरचन्द—क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बनेडा में उदयसागर तालाब बड़ा है उसकी मरम्मत कराने के लिए माननीय मंत्री जी को क्या इच्छा है

श्री भोगीलाल पड्या—मैं समझा नहीं ऐसी बात कही, स्पष्ट कहिये आप।

श्री कस्तूरचन्द—तहसील बनेडा में उदयसागर तालाब बड़ा तालाब है और उसकी मरम्मत होना आवश्यक है इसलिए मैं चाहता हूं कि उसकी मरम्मत कराई जायगी या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने जानकारी दी है उसके लिए प्रयत्न किया जावेगा लेकिन आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार लिख कर भेज दीजियेगा कुछ तालाब उपयोगी हैं।

श्री गुरुदयालसिंह संधु की भूख हड़ताल सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव पर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष:—प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। अब डा० श्री मंगलसिंह जी जो कि विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

डा० श्री मंगलसिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित प्रश्न पर समिति द्वारा उपस्थित किये गये प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय :

'That this house to discuss the breach of privilege committed by Sbri Tikaram paliwal in having intentionally misinformed the House regarding the details of the hunger strike and removal of Shri Gurdayal Singh."

श्री अध्यक्ष:—आप कुछ कहेंगे इसके बारे में।

डा० श्री मंगलसिंह:—यह रिपोर्ट कुछ दिनों पहले विचारार्थ रखी गई थी और जिसके बारे में यह मैं कहना चाहता हूँ कि श्री गुरुदयालसिंह जी को जब पिछले अाबियाने के आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनको जब वे भूख हड़ताल कर रहे थे तो पीने के पानी के साथ ग्लुकोज़ दिया गया था। लेकिन उनका यह कहना है कि मुझे ग्लुकोज़ नहीं दिया गया एक सवाल तो यह विचारार्थ था। दूसरा सवाल यह था कि उनको बीकानेर जेल से जबरदस्ती गंगानगर लेजाया गया। ये दो सवाल थे जिन पर समिति ने विचार किया और रिपोर्ट सदन के समक्ष पेश है।

[डा० मंगलसिंह]

इसकी छानबीन के लिए वहां के जेल के सुपरिन्टेन्डेट और वहां के डाक्टर को बुलाया गया। सुपरिन्टेन्डन्ट के बयान में यह था कि ग्लुकोज़ पीने के पानी के साथ देते हैं। उनके पास रिटन इन्सट्रक्शन्स इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स की हैं कि जो कोई जेल में हंगर स्ट्राइक करता है और उसको जो पानी दिया जाता है तो उसमें हमेशा ही ग्लुकोज़ और सोडा बाई कार्ब निश्चित मात्रा में मिला हुआ होता है और इसकी उन्होंने इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स को रिपोर्ट भेजी जो होम डिपार्टमेंट को भेज दी गई थी। और उसकी टेलीफोन द्वारा सूचना भेज दी गई थी और लिखित पत्रों में भी सूचना भेजी। इसी प्रकार की सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने होम डिपार्टमेन्ट को दी। गुरुदयालसिंह जी का यह कहना था कि उनको ग्लुकोज़ नहीं दिया गया और सुपरिन्टेन्डन्ट जेल का कहना है कि उनको ग्लुकोज़ दिया गया और बराबर दिया जाता था। तो कमेटी ने इस बात की खोज की। जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट के बयान हैं कि उनको ग्लुकोज़ बराबर पानी में दिया जाता था। इसको जांच के लिए इन्स्ट्रक्शन्स कैसी है, क्या है, होम डिपार्टमेन्ट से कागजात मंगाये गये और उनको देखने से मालूम हुआ कि ऐसी इन्स्ट्रक्शन्स है। इसलिए यह सवाल नहीं रहता। श्री गुरुदयालसिंह जी का कहना है कि मुझे नहीं दिया गया। यह भी ठीक है। ग्लुकोज़ इतनी कम मात्रा में देते थे कि मालूम करना कठिन है। उनका यह कहना सही है लेकिन बात दर असल यह थी की ग्लुकोज़ दिया गया।

उनको बीकानेर जेल से गंगानगर जबरदस्ती लेजाया गया। उसमें यह है कि उनको वहां से लेजाया गया घर पहुँचाने के लिए। ट्रेन से गये कुछ दूर और खुद जाना चाहते हैं ऐसी डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट और पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी की रिपोर्ट है। खुद जाना चाहा था और खास तौर से खुद के जाने के लिये जीप या स्टेशन वेगन या दूसरे कन्वेयेन्स का इन्तजाम करना पड़ा था और उन्हें कन्वेयेन्स भेजा था। उनका कहना यह है कि उनको जबर्दस्ती भेजा। पुलिस के अधिकारियों के कहने से भेजा। यहां कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें जबर्दस्ती की बात हो वह जो बात कही गई थी जिसके उपर श्री टीकारामजी पालीवाल जी ने बयान दिया था उसको और जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट के बयान को देखते हुए और होम सेक्रेटरी के स्टेटमेन्ट को देखते हुए यह मालूम होता है कि उन्होंने तथ्य पर स्टेटमेन्ट दिया था। पुलिस ओफिसर्स के पास से जो सूचना उनके पास आई थी उसको ठीक समझते हुए तथा बादमें हमारी जानकारी से भी वह ठीक साबित हुई थी, इसलिए उन्होंने बयान दिया था। इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे प्रिविलेज पर कोई आघात नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष:—Now Shri Gurdayal Singh will move his amendment pleading his own case.

(हंसी)

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:-- अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर एक अमेन्डमेन्ट मूव करना चाहता हूं, जो इस प्रकार है :

"That this report may be re-committed to the same Privilege Committee for reconsideration."

यह मेरा अमेन्डमेन्ट है। इस विषय में मैं यह अर्ज करना जरूरी समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि मुझे बीकानेर जेल में १७ अप्रैल, ५४ से १४ मई, सन् १९५४ तक रखा गया। इस दौरान में मुझे जो पीने के लिये पानी दिया जाता था वह एक साधारण पानी था जो मेरे नहाने के लिये भी वही पानी काम में आता था। पीने के लिए कोई खास पानी नहीं था। अलहदा घड़े नहीं होते थे। ऐसा था कि एक आदमी पानी लाता था। उसमें से कुछ पानी पीने के काम में आता था और कुछ नहाने के लिये काम में आता था। ऐसा सवाल नहीं था कि उसमें ग्लूकोज़ मिला हुआ हो। इसके बाद १० मई के आस पास डाक्टर मेहता मेरे पास आये और मेरा वजन जो जब बढ़ना शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा कि अब आपकी नसें काम करने से रह गई हैं और पेशाब करना बंद हो गया है, इसलिये अब से ग्लूकोज़ वगैरह लेना चाहिये। मैंने इससे इन्कार कर दिया तो उस पर कहा गया कि सोडा बाई कार्ब ले लिया करें। मैंने इससे भी इन्कार किया तो कहा कि आपको बोइल्ड वाटर देगें यदि आप स्वीकार करें। मैंने मान लिया। यह ११ मई की बात है। उसके बाद ४ दिन और मैं जेल में रहा। १४ तारीख की शाम को बाहर निकला। चार दिनों में मुझे बोइल्ड वाटर दिया जाता था। वह भी दो घड़े भर के पानी आता था लगभग २५-३० सेर होगा ज्यादा से ज्यादा मैं ४ या ५ पौंड पानी पीता था, बाकी सारा पानी फैंक दिया जाता था। यदि यह समझा जाय कि उसमें ग्लूकोज़ था तो मैं नहीं मानता। लेकिन १० मई से पहले जो पानी दिया जाता था वह तो साधारण पानी था जिसमें मैं नहाया भी करता था। उसमें ग्लूकोज़ होने का प्रश्न कहां से उठता है?

दूसरी बात मुझे गंगानगर लेजाने की है। मैं बताना चाहता हूं कि एसेम्बली का सेशन चलता था इसलिये मैं जयपुर आना चाहता था। मेरा इरादा था कि मैं एसेम्बली में जाकर अपने हालात आप लोगों के सामने रखूं लेकिन मुझे जबर्दस्ती रायसिंहनगर लेजाया गया। वह ऐसा स्थान है जो मेरे घर जाने का स्टेशन नहीं है। मेरे घर के नजदीक का स्टेशन दूसरा गजसिंहपुरा है। मैं उस स्टेशन से जाता हूं जहां से मेरा घर नजदीक पड़ता है। इसलिये रायसिंहनगर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि मुझे अपने घर जाने का ख्याल होता तो मैं अपनी फेमिली और दोस्तों को मिलने के लिये नहीं बुलाता? यह सरकारी रेकार्ड से मिल सकता है। मैंने अपनी वाइफ और बच्चों को मिलने के लिये बुलाया था और इसके लिये पत्र लिखा था। मैं जयपुर जाना चाहता था लेकिन जबर्दस्ती पुलिस वालों द्वारा रायसिंहनगर लेजाया गया और वहां से गंगानगर भेज दिया गया। और गंगानगर भी दूसरे रास्ते से लेजाया गया। एक रास्ते से मेरा घर नजदीक पड़ता था वहां इनको डर था कि जलसा वगैरा होगा। रायसिंहनगर से गंगानगर ले जावें तो मेरा घर का रास्ता आता है इसलिये दूसरे रास्ते से लेजायागया मैंने कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी कि मुझे गंगानगर

[श्री गुरुदयालसिंह संधु]

ले जाया जाय। यदि ऐसी ख्वाहिश होती तो अध्यक्ष महोदय को तार नहीं देता। मेरा कोई इरादा गंगानगर या घर जाने का नहीं था। जबर्दस्ती मुझे गंगानगर लेजाया गया। मैं यह समझता हूं कि एक जेलर स्टेटमेन्ट दे दे उस पर रिलाइ करना मुनासिब नहीं है। मैं यह चाहता हूँ कि प्रिविलेजेज कमेटी दुबारा जांच करे और डक्टर को बुलाकर पूछे और दुबारा गौर करें। इन लफ्ज़ों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूँ।

श्री भैंरूंसिंह(१६)—अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेजे कमेटी की रिपोर्ट जो आज सदन में प्रस्तुत हुई है उसको देखने से और अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपनी बातें सदन में प्रस्तुत कीं उनको ध्यान से सुनने से ऐसा पता लगता है कि प्रिविलेजे कमेटी ने अपनी इस सारी इन्क्वायरी में विशेष तथ्य की ओर नहीं जाकर, अधिकांश जगह डिस्क्रीशन एप्लाई किया है। अध्यक्ष महोदय, इस सारे मुद्दे में चार अहम बातों पर ध्यान दिया गया है। पहली बात यह है कि श्री गुरुदयाल सिंह जिस समय जेल में अनशन कर रहे थे उस समय उनको पानी के साथ ग्लूकोज़ दिया गया या नहीं? दूसरी बात यह है कि जिस समय जेल से छोड़े गये उस के बाद उनको उनकी मर्जी से गंगानगर पहुँचाया गया या जबर्दस्ती ले जाया गया? इन दो बातों के अलावा बाकी दो बातो से सम्बन्धित हैं और यदि ऐसा कहा जाय कि कांसिकवेन्शियल है तो बुरी बात नहीं होगी। इन दो बातों के सम्बन्ध में प्रिविलेजे कमेटी ने जिक्र किया है। जहां तक पहली बात का प्रश्न है गंगानगर जेल के जेलर से इस बात की इन्क्वायरी की, जेल के सम्बन्ध में जितने कोन्फिडेन्शियल रूल्स हैं उनको देखा, उनसे पता चला कि सरकार की ओर से कैदियों के लिये हिदायत है कि जो व्यक्ति अनशन करे उसको पानी में ग्लूकोज़ मिलाकर दिया जाय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बात का संदेह है कि जेलर ने जो उत्तर इन्सपेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स को दिया उसमें दो शब्द इस्तेमाल किये हैं। एक में बताया कि श्री गुरुदयाल सिंह को पानी दिया गया। "वाटर" शब्द है, इसमें उत्तर दिया गया। दूसरी रिपोर्ट है उसमें ऐसा लिखा है कि "ओनली वाटर", केवल पानी दिया गया। जो दो बातें सामने आती हैं कि यदि सरकार की ओर से हिदायत है कि जो अनशन करते हैं उनको ग्लूकोज़ दिया जाय तो हमको ऊपर के दोनों शब्दों के फर्क को नहीं भूलना चाहिये। "वाटर" यह हो सकता है कि इसमें ग्लूकोज़ हो, लेकिन जहां "वाटर ओनली" एप्लाई करते हैं, वहां जिस तरह से "वाटर ओनली" दिया गया है उसका मतलब है ग्लूकोज़ नहीं मिलाया गया, सोडा बाई कार्ब उसमें नहीं मिलाया गया और इस बात का एक माननीय सदस्य उल्लेख करें कि उनको इस प्रकार का पानी दिया जाता था वह कोई खास जगह से नहीं लाया जाता था। एक जगह पानी इकट्ठा किया और आधा पानी उनके नहाने धोने के लिये और आधा पानी उनके पीने लिये छोड़ दिया जाता था। तो ऐसी सूरत में यह समझ में नहीं आता कि क्या नहाने के पानी में ही ग्लूकोज़ मिला दिया जाता था? और यह भी हो नहीं सकता कि नहाने के बाद जो आधा पानी उनके पास बचा है, उसमें उनके सामने ही ग्लूकोज़ मिला दिया

[श्री भैंरू सिंह]

जाय। हो सकता है कि हम छुपे तौर से ग्लूकोज़ मिलायें, पर जहां इतना पानी है, वहां ग्लूकोज़ मिलाया जाना संभव नहीं। एक गैलन पानी के अन्दर कम से कम एक औंस ग्लुकोज़ होना चाहिये। पानी अधिक मात्रा में आता था और दोनों भाग उनके सामने पड़े रहते थे। ऐसी सूरत में यह कभी नहीं हो सकता कि उनकी जानकारी के बगैर ग्लुकोज़ मिला दिया जाय। अगर आई. जी प्रिजन्स के सीक्रेट ओर्डर्स थे तो भी नहीं माना जा सकता। डाक्टर महोदय ने माननीय सदस्य का समय समय पर निरीक्षण किया। सरकार को रिपोर्ट सब्मिट की। माननीय सदस्यों को उनके शरीर के बारे में जानकारी दी, वैसी सूरत में हम कह सकते हैं कि बगैर डाक्टर से जानकारी किये हम इस निर्णय पर पहुँच जायं कि उनको ग्लुकोज़ दिया गया तो यह गलत है। सेलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि डाक्टर साहब बाहर चले गये थे इसलिये नहीं आ सके और उनसे जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी। मेरा यह निवेदन करना है कि क्या एक माननीय सदस्य झूठ बोलते हैं या सरकारी अधिकारी झूठ बोलते हैं? ऐसी सूरत में डाक्टर साहब की प्रतीक्षा करनी चाहिये थी और उनके स्टेटमेन्ट ले कर इस सदन में फिर रिपोर्ट देते तो यह मामला साफ हो जाता। इस रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम होगा कि जेलर ने कहा कि आई. जी. प्रिजन्स के कोन्फिडेन्शियल ओर्डर्स से पूरे पानी में ग्लुकोज़ मिलाया और दूसरा आदमी कहता है कि ग्लुकोज़ नहीं मिलाया। कलेक्टर ने जो ६ टेलिग्राम्स माननीय सदस्य की हालत के बारे में गवर्नमेंट को दिये हैं उनमें से सिर्फ दो में जिक्र किया गया है कि ग्लुकोज़ दिया गया और ७ टेलिग्राम्स में इस चीज़ का जिक्र नहीं है, तो इससे साफ है कि ७ बार ग्लुकोज सप्लाई नहीं किया गया। केवल दो बार ग्लुकोज़ सप्लाई किया गया। अगर कलेक्टर और जेलर की रिपोर्ट के ऊपर सोचें तो मानना पड़ेगा कि प्रिविलेज कमेटी ने जो डिसिझन दिया है, वह ठीक नहीं है। और इस मामले को दुबारा प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द किया जा कर दुबारा जांच कराई जानी चाहिये।

दूसरा प्रश्न आता है जेल से निकालने के बाद रायसिंहनगर, गंगानगर भेजना। उनकी मर्जी के खिलाफ रोंगफुल कन्फाइनमेन्ट में रख कर गंगानगर ले जाना। इसका एक तो पहला और जबरदस्त सबूत यह है कि कोई भी व्यक्ति जो कि विधान सभा का सदस्य है वह जेल से छोड़ा जाय और उस समय विधान सभा का अधिवेशन चल रहा हो तो सबसे पहले उसकी इच्छा होगी कि जल्दी से जल्दी वह विधान सभा के अधिवेशन को अटेन्ड करें। जिस दिन छोड़ा, उसी दिन माननीय अध्यक्ष के नाम उनका तार आया है कि मेरी यह इच्छा है कि मैं सदन में उपस्थित हो कर सदन की कार्यवाही में भाग लूं। डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल ने जिक्र किया है कि इन माननीय सदस्य ने, स्वयं ने, यह इच्छा प्रकट की थी कि उन्हें गंगानगर भेजा जाय। तो यह सोचने की बात है कि उसी दिन तो वे माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के नाम तार दें कि मैं सदन में उपस्थित होना चाहता हूँ और उसी दिन वे डी आई. जी. को यह कहें कि गंगानगर जाना चाहता हूं तो एक ही दिन में इस तरह की दो चीजें एक दिन में हों यह कैसे संभव हो सकता है? ये दो चीजें जो हुई उसके लिये अगर यह कहा जाय कि उन्हें प्रिविलेज मोशन मूव करना था इसलिये ऐसा किया कि पहले माननीय अध्यक्ष को तार दे दिया कि मैं सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये

[श्री भैंरूंसिंह]

आना चाहता हूं और फिर डी. आई. जी. को महज प्रिविलेज मोशन मूव करने के लिए कह दिया कि मैं गंगानगर जाना चाहता हूं तो यह एक सदस्य के लिये प्रिविलेज मोशन मूव करने की गरज से पहले से ही यह सारा प्लान सोच कर चलना, यह मानने लायक बात नहीं। तो ऐसी सूरत में अध्यक्ष के नाम उस रोज तार देना कि मैं आना चाहता हूं और फिर डी. आई. जी. का यह कहना कि मुझे माननीय सदस्य ने कहा कि मैं गंगानगर जाना चाहता हूं, यह चीज़ विचार करने लायक बात है। जेल से निकलते ही जो इत्तला दी है वह ज्यादा सच है, उसके मुकाबिले में डी. आई. जी. की रिपोर्ट कि माननीय सदस्य ने इच्छा जाहिर की कि उन्हें पहले गंगानगर ले जाया जाय, यह गलत है।

हमारे सदन के माननीय सदस्य का रुतबा डी. आई. जी. से कम नहीं होता। रायसिंहनगर ले जा कर जीप में बैठाया गया और गंगानगर लाया गया, यहां पर एक और सोचने की बात है। वहां से गंगानगर जाते समय बीच में उनका घर पड़ता है और वह मुमकिन नहीं जंचता कि एक माननीय सदस्य जो जेल में रहे हों और इस तरह की हालत में छूटने पर घर जाने की, अपने बीबी बच्चों को देखने की इच्छा जाहिर न करें, जब कि उनका घर बीच में पड़ता हो और घर वालों को भी उनसे मिलने की दिलचस्पी न हो कि दो महीनों से हमारा सम्बन्धी जेल से आ रहा है। उनका स्वास्थ्य कैसा है ? यह मानने में नहीं आ सकता कि वे यह इच्छा जाहिर न करें कि मुझे मेरे घर ले जाया जाय। इस आधार पर कह सकते हैं कि रायसिंहनगर से जो इन्हें गंगानगर ले जाया गया वह जबरदस्ती ले जाया गया। उनका विचार वहां जाने का नहीं था अगर उनकी इच्छा गंगानगर जाने की होती तो वे जयपुर के रास्ते पर अपनी बीबी को मिलने के लिये नहीं बुलाते।

इससे साबित है कि वे विधान सभा की कार्यवाही में भाग न ले सकें इसलिये उनको जबरदस्ती गंगानगर ले जाया गया। मैं इसे रोंगफुल कन्फाइनमेंट कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि प्रिविलेज कमेटी इसकी दुबारा जांच करे, यह ठीक है, यह कान्सीक्वेन्शियल है।

श्री टीकाराम पालीवाल ने जो उत्तर दिया वह उत्तर चाहे जान बूझ कर दिया या गलत इत्तला दी, चाहे वह सदन को धोखा देने की गरज से ऐसी इत्तला नहीं दी पर जानकारी का जो जरिया है, उसको हम यह मान कर चलते हैं, चाहे डी. आई. जी. से जानकारी की हो, चाहे सुपरिन्टेन्डेन्ट से जानकारी की हो, या नीचे के ओहदे वालों ने इत्तला दी हो, यह सब की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है ऐसी सूरत में गलत इत्तला दी है और पालीवाल साहब यह इत्तला करते हैं तो मैं तो पालीवाल साहब को भी उतना ही दोषी ठहराता हूं जिस तरह दूसरे ओफीसर्स ने सदन को धोखे में डालने की कोशिश की। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सारी प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट को पुनः जांच के

[श्री भैरु' सिंह]

लिये, श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु और डी. आ.ई. जी. के बयानों पर जांच करने के लिये दुबारा प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाय और इसकी दुबारा जांच कराई जाय ।

श्री वेदपाल त्यागी--माननीय अध्यक्ष,....................

श्री अध्यक्ष—Does it need much discussion ? The Hon'ble memb was a member of Privilege Committee.

श्री वेदपाल त्यागी—Therefore I have got to clarify certain points which have been raised by these two Hon'ble members. If Hon'ble speaker feels, it does not require any clarification, I may not do so.

माननीय अध्यक्ष, जब श्री संधु जेल में थे तो उनको पानी में ग्लूकोज़ दिया गया या नहीं, मैं समझता हूं कि इस संबंध में प्रिवलेज कमेटी की जो रिपोर्ट, उस के प्रति जो यह कहा जाता है कि डाक्टर के बयान लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं । मैं यह कहूंगा कि यह बात गलत है इसमें कुछ गलतफहमी हो रही है गलत बयान किसको कहते है और गल्त चीज क्या थी । यह बात गल्त नहीं थी कि पानी में ग्लूकोज दिया गया या नहीं बल्कि वे इस बात को गल्त बताते हैं कि उनको इस बात का इल्म था या नहीं कि उनको गुलकोज दिया जा रहा है । अगर उनको मालूम नहीं होने से कि उनको ग्लूकोज़ पानी में दिया गया या नहीं गलती हो जाती है तो यह बात दुरूस्त नहीं हैं । वास्तव में ग्लूकोज़ उनको दिया गया पानी में । और प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट किसी तरह से चैलेंज नहीं की जा सकती । यह सत्य है । अगर उनको जो हंगर स्ट्राइक करता है उसको यह बता दिया जावे कि पानी में ग्लूकोज दिया जा रहा है तो वह पानी को लेने से इन्कार कर देता है । लिहाजा इस प्रकार के रूल्स बने हुए हैं कि पानी में ग्लूकोज हंगर स्ट्राइक वाले को दिया जावे उसी रूल्स के अनुसार पानी में ग्लूकोज दिया जाता है । पानी उसको किस तरह का ले कर दिया गया इसका प्रश्न नहीं किया गया । मैं समझता हूँ कि पानी पीने और नहानें का अलग था, इसके अलावा पानी के बारे में होम सेक्रेट्री को बराबर बराबर रिपोर्ट मिलती रही है उसमें साफ जिक्र है । बाकी नियम यह है कि जो लोग हंगर स्ट्राइक पर जाते हैं उनको जो पानी दिया जाता है उसमें ग्लूकोज़ मिला हुआ होता है । पानी देने में यह कनकल्यूड किया जाता है कि उनको ग्लूकोज़ दिया गया और जो नीयम बने हुए हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि ग्लूकोज़ हंगर स्ट्राइक वाले को दिया जावे । सिर्फ ओनली शब्द एड करने से यह मालूम होता है कि उसको ग्लूकोज दिया गया । चूंकि इसमें यह ओनली शब्द नहीं लिखा है । ओनली वाटर से यह समझा जावेगा कि उसमें ग्लूकोज़ नहीं । यह ठीक नहीं है, वाटर में और ओनली वाटर में कोई फर्क नहीं है । इनका मतलब यही है कि इसमें नियमानुसार ग्लूकोज मिलाया गया है । अगर उनको मालूम होता तो वे नहीं लेते । उनको मालूम नहीं होने का मतलब

[श्री वेदपाल त्यागी]

यह नहीं है कि उनको ग्लूकोज पानी में नहीं दिया गया। हमने डाक्टर की रिपोर्ट देखी है इससे पता चलता है कि उनका वजन बढ़ा है और उनको ग्लूकोज हमेशा दिया जाता रहा है।

दूसरा प्रश्न है कि बीकानेर से रायसिंहनगर में ले जाकर उनको छोड़ा गया। माननीय मित्र ने अपने बयान कमेटी में दिये उसमें उन्होंने कहा कि रॉंगफुल कनफाइनमेंट था। मैं यह कहूंगा कि अगर आप सब वाकिआत देखते तो उनको पता चलता कि जेल से छोड़ने के एक दिन पहले गवर्नमेंट को पॉवर हैं कि वह किसी भी जगह ले जा कर छोड़े। मगर देखना यह है कि जेल से छोड़ने के वक्त सुविधा दी जानी चाहिये वह दी गई या नहीं, यह प्रश्न नहीं उठाया गया। ३० दिन के अन्दर बीकानेर से रायसिंहनगर लेजाने का अधिकार था। अगर सरकार उनको ले जाती है तो कोई सरकार पर कोई आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। यह जरूरी है कि छोड़ते समय उनको सुविधा दी गई या नहीं। डी. आई. जी. के बयानों में कोई गलत बयान नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब पी. सी. के सामने आये हैं और प्रिविलेज कमेटी ने उनको एग्जामिन किया है। माननीय सदस्य ने खुद ने प्रिविलेज कमेटी में यह नहीं कहा, प्रिविलेज कमेटी के सदस्यों ने यह सब जांच की है। इसलिये यह कहना कि प्रिविलेज कमेटी ने यह गलत इन्फरमेशन के आधार पर यह रिपोर्ट की है तो यह आरोप लगाना उचित नहीं है। अब कहा यह जाता है कि स्टेटमेंट डी. आई जी वगैराने दिये वे गलत हैं। माननीय यह सदस्य के स्कोप के बाहर की बात है, जो वाक्यात कमेटी के सामने आये उनसे सारांश निकाला गया। बयान लिये गये और सारांश निकाला गया। इसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि किसी तरह से प्रिविलेज का ब्रीच पालीवालजी ने नहीं किया और जो रिपोर्ट कमेटी की है वह सही है और सदन को उसको स्वीकार करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—(डा० श्री मंगलसिंह से) You want to say anything by way of reply ?

डा० श्री मंगलसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह जो एमेन्डमेंट रखा गया है, मैं समझता हूँ कि सारी बातों को और रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ी होती तो शायद इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जब यह कह दिया गया कि रिपोर्ट, इन्वेस्टीगेशन और यह स्टेटमेंट एक लाइन्स से सब मिलते हैं। जब आई. जी. पी. के इन्सट्रेक्शन्स यह हैं कि हर पानी में हंगर स्ट्राइकर को ग्लूकोज दिया जावे। हर पानी में ग्लूकोज और सोडाबाई कार्ब के साथ दिया जाता हैं और वहां के सुप्रिन्टेन्डेन्ट जेल की रिपोर्ट भी है कि पानी दिया गया है वही जो हंगर स्ट्राइकर को दिया जाता है और वह वही पानी होता है जिसमें सोडा बाई कार्ब होता है और ग्लूकोज होता है। ओनली वाटर की कोई बात नहीं रहती। रहा यह कि डाक्टर के स्टेटमेंट नहीं लिये गये। डाक्टर दो वर्ष के लिये विलायत छुट्टी चला गया और उसकी लिखित रिपोर्ट जिसको देखी और उसको एग्जामिन किया। अगर उसके एग्जामिनेशन के लिये प्रिविलेज कमेटी रुकी रहती और अपना कोई फैसला नहीं करती

[डा० श्री मंगलसिंह]

तो आप यह शिकायत करते कि इतना समय हो गया और अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही है। लेकिन जब आवश्यक बातें मिल गई जो काम में आने वाली थी तो फिर इसको रोक रखने की कोई बात नहीं थी कि डाक्टर नहीं है इसलिये इसको रोक रखी जावे। इसलिये वह जो रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में स्टेटमेंट दिया गया, वह स्टेटमेंट जो सूचना पर आधारित था उसमें तो कोई गल्ती की बात हो ही नहीं सकती। अगर यह बात है कि किसी दिन ग्लूकोज कम या ज्यादा दिया गया हो तो सकती है, इस बेसिस पर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको गलत साबित इस वक्त भी नहीं हो सकता।

दूसरा प्रश्न यह है कि रायसिंहनगर से गंगानगर लेजाया गया। दर असल वह पीरियड है जो माननीय सदस्य को छोड़ने का समय अभी तक नहीं आया था, जिस वक्त वे ट्रेन या मोट में थे उस समय वे जेल के पीरियड में थे जिसको अन ला फुल कनफाइनमेंट नहीं कह सकते। उनको छोड़ने का वक्त नहीं था। इसलिये यह प्रश्न कि जो जेल से छुटने का समय था उसके बाद ही पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया यह प्रश्न पैदा नहीं होता। सूचना जब यहां मिल गई और इस पर स्टेटमेंट किया वह गलत नहीं हो सकता। अब सूचना देने वाले ने गलती की, यह दूसरा प्रश्न है जो उठाया जा सकता था दूसरी प्रकार और जगह उठाया जा सकता है। इसलिये मैं इस बात को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता हूं।

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप क्या कहना चाहते हैं ? What is there to reply, I fai to understand.

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैं रिप्लाई की तौर पर कुछ शब्द अर्ज करना चाहता हूँ सिर्फ दो ही मिनिट।

अध्यक्ष महोदय, यहां जो यह कही गई कि मुझे गंगानगर तक लेजाने तक मैं पुलिस की हिरासत में था, वे अपनी मरजी से ले गये। मैं यह बात मानने के लिये तैयार हूं, जब यह कहा जाय कि मैं अपनी इच्छा से गंगानगर आया।

लेकिन मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि अगर वे गंगानगर इसलिये मुझे लेकर गये थे कि मैं उनकी हिरासत में था तो आज बीकानेर से गंगानगर तक ले जाने का किराया मेरे से क्यों वसूल किया जा रहा है। वह रकम मेरे से कुरकी से वसूल की जा रही है ऐसी हालत में मैं यह कैसे मानूं कि वे अपनी मरजी से लेकर गये, मैं इस पाइन्ट को मानने के लिये तैयार नहीं।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि मेरा वजन बढ़ रहा था, आप मेरे वजन के रेकार्ड को देख लीजिये उससे साफ जाहिर होगा कि मेरा वजन उस समय में ३० पौन्ड से लेकर ३५ पौन्ड

[श्री गुरुदयालसिंह सन्धु]

तक कम हो गया था इस लिये वजन बढ़ने का सवाल पैदा नहीं होता। इस लिये मैं यह चाहता हूं कि मेरा जो अमेन्डमेन्ट है उसको स्वीकार कर लिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने अमेन्डमेन्ट के लिये प्रेस करता हूं।

श्री अध्यक्ष—I also wanted to observe something over this motion of privilege because there is much confusion about it. I do not know whether I should express my views about it after or before the motion is passed. So it is better that I should put the motion to vote and after a decision of the House is taken, I would like to observe something.

श्री भैंरू सिंह—पहले कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष—That might go to prejudice the votes of the House.

श्री भैंरू सिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष, ऐसी बात नहीं होगी, हमें कुछ जानकारी ही होगी।

श्री अध्यक्ष—That

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गुरुदयालसिंह सन्धु ने इस प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रिविलेज कमेटी के बारे में डा० मंगलसिंहजी ने रखा है उसे विचारार्थ लिया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

यह प्रश्न जिन परिस्थितियों में स्वीकार किया गया था मैं माननीय सदस्यों को उन परिस्थितियों का स्मरण दिलाना चाहता हूँ। इसमें खास तौर से दो मुद्दे उठाये गये थे। एक तो यह कि श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु ग्लुकोज लेते थे या नहीं लेते थे जो पानी उनको दिया जाता था उसमें और इस समय में श्री टीकाराम पालीवाल ने जान-बूझ कर हाउस को गलत सूचना दी। अर्थात् गलत सूचना देने से और जैसा कि मान लेते हैं कि उनको बलात् उनकी इच्छा के विपरीत एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया इससे विशेषाधिकार का हनन हुआ क्या ?

[श्री अध्यक्ष]

पहले मुद्दे और दूसरे मुद्दे के बारे में अध्यक्ष तय करते हैं कि आया प्राइमाफेसी केस है तथा विशेषाधिकार का प्रश्न है। इस प्रश्न को चेयर द्वारा तय न किया जाकर विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया। थोड़ी देर के लिए उनकी जानकारी के अनुसार यह मान भी लिया जाय कि ग्लुकोज़ दिया नहीं गया, लेकिन जो माननीय मन्त्री को जानकारी दी गई और जैसा कि सरकारी कागजों में दर्ज है उसके आधार पर यदि यह सिद्ध होता है कि उनको ग्लुकोज दिया गया तो उनके इस वक्तव्य से विशेषाधिकार का हनन हुआ। यह बात यहां कह देने पर कि माननीय सदस्य को ग्लुकोज़ दिया गया, जिसको माननीय सदस्य गलत मानते हैं इसमें विशेषाधिकार का हनन क्या हुआ ? जबकि इस बात की इन्क्वायरी हो गई कि उनको ग्लुकोज दिया गया। जो निर्णय इस विषय में लिया गया उससे स्पष्ट हो जाता है कि विशेषाधिकार के हनन का कोई प्रश्न इसमें नहीं आता।

जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है वह साफ है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा उनको गलत तरीके से रोंगफुल कनफाइनमेंट करके दूसरे स्थान पर ले जाया गया इसमें क्या विशेषाधिकार का प्रश्न है ? अगर उनको कोई एतराज है तो बाकायदा अदालत में चाराजोई कर सकते हैं उसके लिए सदन उपयुक्त स्थान नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस बारे में किसी को गलतफहमी हो तो वे दूर कर लें।

जहा तक विशेषाधिकार का प्रश्न है मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूँ कि सदन बराबर सतर्क है। विशेषाधिकार बिल्कुल सीमित हैं उनके अलावा विशेषाधिकार नये क्रिएट नहीं किये जा सकते।

इन शब्दों के साथ यह प्रस्ताव यहीं समाप्त हो जाता है और अब आगे की कार्यवाही शुरू की जाती है।

डा० श्री मंगलसिह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता है कि इस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो रिपोर्ट प्रिविलेज कमेटी की डा. मंगलसिंह ने प्रस्तुत की है वह स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

रिपोर्ट स्वीकार की गई।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५४
[अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श]

अध्यक्ष—Clause by clause Consideration of Rajasthan Municipalities Bill, 1954.

[सरकारी बेन्चेज पर मंत्रियों की अनुपस्थिति में]

श्री वेदपाल त्यागी—The Government has quitted.

श्री अध्यक्ष—We can pass the bill ex-parte.

(श्री गुप्ता के सदन में प्रवेश करने के पश्चात्)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I have no objection.

श्री अध्यक्ष—क्लाज ७ ले लें, जो रह गया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, यह कल ले लीजिये, आज क्लॉज २८ लिया जाय।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज २८ पर मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है।

"Substitute the following for the clause:-

"[1] Subject to the provisions of a sub-section [2] and section 29, when the seat of a member elected to a Board becomes vacant or is declared vacant or his election is declared void, the collector shall, in consultation with the board, by a notification in the official Gazette, call upon the ward concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of this Act and of the rules and orders made there under, shall apply as far as may be in relation to the election of member to fill such vacancy.

[2] If the vacancy so caused, by a vacancy in a seat reserved in any such ward for the scheduled castes, the notification issued under sub-section [1] shall specify that the person to fill that seat shall belong to the Scheduled Castes."

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २८ जो ओरिजिनल बिल में दिया हुआ है वह बहुत नमुकम्मिल है और उससे साफ बात सामने नहीं आती। मैंने अपना जो संशोधन रक्खा है वह तीन बातों को मद्दे नजर रखकर रक्खा है।

[श्री चांदमल मेहता]

पहली बात यह कि जब कोई सीट खाली हो और उसका चुनाव हो तो गजट में नोटिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी बात, जब कोई सीट खाली हो तो उसके चुनाव के सम्बन्ध में प्रोसीजर क्या है यह भी ओरिजिनल बिल की धारा में नहीं है। तो मैंने संशोधन में यह बताने की कोशिश की है कि जनरल इलेक्शन में जो धाराऐं, रूल अथवा आर्डर आदि जो भी चुनाव के सम्बन्ध में हैं वे लागू होंगी। तीसरी बात, जो सीट खाली हो वह अगर शिड्यूल कास्ट की है तो नोटिफिकेशन में, यह कह दिया जावे कि यह सीट शिड्यूल कास्ट की है। इन तीनों बातों को साफ करने की दृष्टि से मैंने अपना संशोधन रखा है। मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—Mr. Bhairon Singh has moved an amendment just now, "but not later then three months" between the words 'be' and 'after' in the last line."

श्री भैरूंसिंह [१६]—माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा २८ में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी म्युनिसिपेलिटी में यदि समय के कारण से नहीं, बल्कि समय के अलावा कोई यदि जगह खाली होती हो उस जगह की पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, इसके लिए उसमें यह व्यवस्था की गई है कि ऐसी केजुअल वेकेन्सी को सरकार यथाशीघ्र चुनाव से पूर्ति करेगी।

माननीय अध्यक्ष, वहां पर इस क्लॉज में यह चार पांच शब्द हैं और जिनका उल्लेख किया गया है उसमें ये शब्द हैं कि "A casual vacancy in the office of a member occurring other wise than by efflux of time shall be filled, subject to the provision of seotion 29, at a by-election, which shall be fixed to take place as soon as may be, after the occurrence of the vacancy."

जहां पर "as soon as may be" शब्दों का उल्लेख आता है मुझे इसमें जबर्दस्ती लप होल नजर आता है। राजस्थान की नगरपालिकाओं का ऐसा अनुभव हमारे सामने आया है कि जब नगरपालिका का स्थान रिक्त घोषित किया जाता है तो उसकी पूर्ति कई दिनों तक नहीं होती। मन्त्री जी यह अवश्य कहेंगे कि एज सून एज पोसिबल का इसमें उल्लेख करके तो हमने बहुत ताकीद के साथ इलेक्शन करवाने की व्यवस्था की है। पर यदि मैं उनको बताऊं कि आजतक जितने भी ऐसी नगरपालिकाओं के कानून इस प्रान्त में लागू थे और दूसरे प्रान्तों में भी थे, उनमें सब जगह इन शब्दों का उपयोग है। एज सून एज की भावना को लेकर हम सोचें तो सरकार किसी भी समय तक ऐसा कह सकती है। हमने दो साल तक करवाये उसके लिये भी जल्दी से जल्दी करवाये, ऐसा कह सकती है, एक साल में करवाये तब भी कह सकती है कि जल्दी से जल्दी और ५ महीने या चार पांच महिनों में भी करवाया तब भी यह कह सकती कि हमने करवाये जल्दी से जल्दी करवाया। तो इन शब्दों की आड़ में गलत डिस्क्रेशन एप्लाई नहीं करें तो उचित हो सकता है, पर आज तक की आपकी कार्य पद्धति और हमारे अनुभव से यही साबित हुआ है कि इसका डिस्क्रेशन हमेशा ऐसा ही रहा है जिससे हमारी धारणा हो गई कि

[श्री भैरूंसिंह]

इस 'एज सून एज' शब्द की आड में सब प्रकार की मनमानी की जा सकती है, की जाती है। एज इसलिए मैंने कहा कि "Within a period of three months." अगर केजूअल वेकेन्सी होती है तो इसकी पूर्ति की जानी चाहिये। तब मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस प्रकार के शब्दों को अगर रक्खा जाता है तो क्या आपत्ति होगी?

मैं तो समझता हूं कि जहां सीट खाली हुई, वहां उसे खाली घोषित करके उस वार्ड के व्यक्तियों को यह कहा जावे कि अमुक सीट पर तीन महीने के अन्दर अन्दर चुनाव होगा इसलिये तैयारी करना चाहिये। तो अच्छा तो यह हो कि तीन महीनों में समाप्त होकर उसकी पूर्ति कर दें। पर इन शब्दों की आड़ में हम तीन महीनों के बाद भी निरंतर, जैसी कल भी चर्चा हुई थी और आज भी आगे चल कर इस बात का उल्लेख आवेगा कि, सरकार ने नगरपालिकाओं को बिना कारण से अपने लोगों को नगरपालिकाओं में बनाये रखने के लिये एक्सटेन्शन दिया है, और आज भी देते हैं। एक का ही प्रश्न नहीं है। कहा जा सकता है कि इस एक खाली हुई सीट का अगर चुनाव नहीं होता है तीन महीने में और देर से होता है तो इससे क्या बन जावेगा, क्या बिगड़ जावेगा, मैं कहता हूं इस एक का ही प्रश्न नहीं है, यहां तो मेजोरिटी और माइनोरिटी का प्रश्न है। इस एक सीट की भी इम्पोर्टेन्स बहुत अधिक हो सकती है। इस एक के कारण से मेजोरिटी माइनोरिटी हो सकती है, माइनोरिटी पार्टी मैजोरिटी में आ सकती है, तो जहां एक आदमी से मेजोरिटी माइनोरिटी बनती हैं उसके रिक्त स्थान के कारण हम यह कहते रहें कि छः महीने में अगर इसका इलेक्शन नहीं होगा, बारह महीनों में नहीं होगा तो क्या हो जावेगा। पर इसका परिणाम यह हो सकता है कि इस एक आदमी को माइनोरिटी के कारण एक दल या पार्टी के हाथ में जो संचालन का कार्य होता है वह उसके हाथ से छीना जाकर दूसरे दल या पार्टी के हाथ में चला जावे और सरकार के सहयोग से यदि हमने इलेक्शन कराया तो विरोधी आदमी जीत जावे तो हमारी मेजोरिटी समाप्त हो सकती है। तो इस आदमी से सरकार अगर यह समझेगी कि इस एक के कराने से पार्टी जो माइनोरिटी में रह गई है और एक के हमारे पक्ष के आदमी के आ जाने की उम्मीद है और उसके आ जाने से हमारी मेजोरिटी बन सकती है, हमारी पार्टी पॉवर में आ सकती है तो सरकार उसका जल्दी से जल्दी दो तीन महीनों में भी इलेक्शन करा लेगी और अगर देखेगी कि इस एक के आने से हमारी पार्टी माइनोरिटी में जाती है और यह एक सीट हमारे हाथ में नहीं आ सकती तो साल दो साल तक भी टालती जा सकती है। इसलिये इस सारे भय से हमारा भय सच्चा है। हमारा अनुभव है और बड़ा कटु अनुभव है इसलिये इस तरह की लूपहोल वाली बात इसमें से हटाई जावे।

राजस्थान के चुनावों में जिस, राजस्थान की स्वायत्त संस्थाओं के चुनावों में इस सरकार ने जिस प्रकार की अप्रजातांत्रिक नीति अपनाई है, वैसी किसी भी अन्य प्रांत ने नहीं अपनाई। इस सरकार ने चुनावों से लेकर उसे भंग करने तक, एक पैसे से लेकर हजार रुपये

[श्री भैरूंसिंह]

तक, मनोनीति से लेकर मेम्बरशिप डिजोल्व करने तक, हर प्रकार से सरकार ने अपने दल को प्रोत्साहन देने की नीति खुलमखुल्ला अपना रक्खी है, जो कतई अप्रजातान्त्रिक नीति है। और फिर वह अधिकार अगर इन शब्दों की आड़ में हम इसको देते हैं तो हमारी यह भारी भूल होगी।

मैं यह भी कह दूं कि शायद यह कह कर इस बात को टालने की चेष्टा की जावेगी कि हमने एक पहले ऐसी धारा पास की है जिसमें ६ महीने से ज्यादा समय नहीं लगने का उल्लेख है। पर मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे पहले उस धारा को पढ़ें और पढ़ कर अच्छी तरह से, फिर उत्तर देने की कृपा करें। अगर इस पर भी आपत्ति की जाती है तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये जितना कम समय हो सके उतना लेना चाहिये। इसलिये मैंने प्रस्ताव रक्खा है कि वह समय तीन महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिये। इस सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति का हमें विशेष अनुभव है इसलिये सदन को मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये, जो सदन की स्वयं सरकार की रीति नीति जानता है।

श्री बद्रीप्रसाद (स्वयत्त शासन मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष जी, एक संशोधन इस सम्बंध में है कि केजूअल वेकेन्सी होगी तो इसको फिल अप करने का क्या तरीका हो। दूसरा समय के बारे में है।

जहां तक पहले का सवाल है, दफा २७ में जो इलेक्शन होगा उसमें रूल्स प्रोवाइड कर रक्खे है। चुनाव कराने का तरीका क्या होगा, नोटिफिकेशन निकलेगा और चुनाव होंगे। तो इस को इस धारा २८ में एप्लाई कर दें।

दूसरी बात जो समय के बारे में कही गई कि तीन महीने के अन्दर हो। मैं समझता हूं कि तीन महीने में होना सम्भव नहीं है। आप रेफरेन्डम लेकर चुनाव करावेंगे तो इसके लिये इलेक्टर रोल तैयार की जावेगी, वह पब्लिश होगी, उस पर ऑब्जेक्शन इन्वाइट किये जावेंगे तो इस सारे प्रोसीजर में ही कम से कम ६ महीने तो लग जावेंगे। इसलिये यह संशोधन भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसलिये मैं समझता हूँ कि इसमें धारा २८ का पार्ट ए जो है उसके आगे ये शब्द बढ़ा दिये जाएं कि....

"and shall be held so for as may be in the manner provided by order given under section 27 for general elections" तो सारी बात कवर हो जावेगी और इस तरह से मैं समझता हूं कि इसे अब पास कर देना चाहिये। मैं उम्मीद करूंगा कि सब सदस्य इसका समर्थन करेंगे और इसे पास कर देंगे।

श्री चांदमल मेहता—मंत्री महोयय ने जिस तरह से धारा २८ (१) में कुछ शब्दों को बढ़ा कर एमेंडमेंट किया है उसके बाद मुझे अपना एमेंडमेंट प्रेस करने की आवश्यकता नहीं रहती है और मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(प्रस्ताव स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेता हूं ।

श्री भैरूं सिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे माननीय मंत्री का उत्तर सुनकर विशेष प्रकार खेद तो हुआ ही है, लेकिन इस बात की भी सूचना मिली है कि इलेक्शन के तरीके से भी माननीय मंत्री को कोई विशेष जानकारी नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष, जहां जिस नगरपालिका में स्थान रिक्त होता है उस नगरपालिका में उस स्थान की पूर्ती के लिए जो चुनाव कराये जाते हैं उनमें कोई विशेष प्रकार की इलेक्ट्रोल रोल तैयार कराई जाय ऐसी व्यवस्था नहीं है। जहां का चुनाव होता है इसकी इस कानून में व्यवस्था की गई है। पहले उस कानून में व्यवस्था थी कि हम हर साल इलेक्ट्रोल रोल का रिवीजन करते रहें। यदि किसी आदमी का नाम नहीं है तो उसका इन्द्राज होगा। किसी आदमी की मौत हो गई है या कोई गैर आबाद हो कर चला गया है, उस जगह का बाशिन्दा नहीं है, तो उस आदमी का नाम उस इलेक्ट्रोल रोल में से काट दिया जायगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि हर साल रिवीजन कराने की व्यवस्था करते हैं तो उस इलेक्ट्रोल रोल को खास तौर से बाई इलेक्शन के समय प्रकाशित करवाने की क्या आवश्यकता है ? आवश्यकता हो सकती है इसलिए, जैसा कि पहले शंका जाहिर की थी, कि केवल यह कह कर तीन मास में इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं इसलिए इस प्रकार के संशोधन को मन्जूर नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष, यदि मैं यह निवेदन करूं कि आप जिस प्रकार का तरीका इस कानून में अपना रहे हैं उससे, मैं समझता हूं, ज्यादा अच्छा तरीका असेम्बली, या पालियामेंट के बाई इलेक्शन में अपनाया गया है। उसमें कैसे तीन महीने के अन्दर इलेक्शन नहीं हो सकता है। आज किसी की सीट खाली होती है तो दूसरे दिन नोटिस जारी होते हैं तो उनके साथ तारीख निश्चित् की जाती है कि कौन सी तारीख को इलेक्शन होगा, कौन सी तारीख को नोमीनेशन फार्म फाइल करना है, कौनसी तारीख को स्क्रूटिनी होगी, कौनसी तारीख को विद्ड्रॉयल होगा। यह सारी चीजें एक साथ ही हम उसमें निश्चित् कर सकते हैं. तो यह क्यों कर मान कर चलते हैं कि ६ महीने चाहिए, तीन महीने में इलेक्शन नहीं होगा ? लेकिन सरकार की नियत नहीं है, सरकार चाहती है कि इस प्रकार की केजुअल वेकेन्सी को फिल अप करने में शीघ्रातिशीघ्र इलेक्शन कराये जाय तो यह बहाना ले लेंगे कि इलेक्ट्रोल रोल कम्प्लीट नहीं है, यह कम्प्लीट होगी आब्जेक्शन्स आयेंगे तो उन आब्जेक्शन्स आयेंगे तो उनकी सुनवाई होगी। वार्ड्स का निर्माण होगा तो वार्ड्स के बारे में आब्जेक्शन्स इन्वाइट करेंगे और फिर उन पर निर्णय लिया जायगा फिर यह निकाला जायगा कि अमुक तारीख को इलेक्शन होगा। लेकिन आज सीट खाली होती है तो सीट खाली होने के १५ दिन के बाद सीट को खाली घोषित कर दी जाय। उस दिन चुनाव की तारीख निश्चित कर दी जाय, और उस समय के अन्दर होंगे। इस तारीख को निश्चित् कर दिया जाय कि अमुक तारीख को इलेक्ट्रोल रोल में नारमल रिवीजन के आधार पर हेरफेर हुआ उसको प्रकाशित कर दिया जाय। इसके लिए

[श्री भैंरू सिंह]

७ दिन की अवधि दे सकते हैं और ७ दिन से ज्यादा देना चाहते हैं तो १५ दिन की अवधि दे सकते हैं। तो १५ दिन और ७ दिन के बाद निर्धारित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रो रोल के आब्जेक्शन हों उनको ७ दिन के अन्दर आब्जेक्शन्स को पास करें। इस तरह से २२ दिन का समय देते हैं आब्जेक्शन सुनने में। इसमें नये रूप से वार्ड का निर्माण करें तो वह गलत चीज़ होगी। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वार्ड वही होगा जहां की जगह खाली हुई है। वार्ड के प्रश्न को लेकर चुनाव में किसी प्रकार की देरी हो वह संभव नहीं है। केवल जो देरी का कारण बताया गया है वह इलेक्ट्रो रोल का था उसकी २२ दिन में व्यवस्था कर सकते हैं और २२ दिन की व्यवस्था के बाद चुनाव की तारीख निश्चित् करेंगे कि कौन सी तारीख को नामीनेशन फार्म फाइल करना है, उसको बाद कौन सी तारीख तय करनी है स्क्रूटिनी और विद्ड्राल की। दोनों चीजें हमारे सामने हैं तो एक महीने के समय में दोनों चीजें अच्छी तरह से तय कर सकते हैं। मेरी दृष्टि से माननीय मंत्री महोदय की आब्जेक्शन की भावनाओं को भी माना जाय तो एक महीना और २२ दिन का समय लगता है और १५ दिन का समय उस स्थान को रिक्त घोषित करने का है तो इस तरह से वह २ महीने और ७ दिन का समय लगता है और मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह तीन महीने में चुनाव कराने का है। अगर तीन महीने में चुनाव नहीं करा सकते हैं तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जान बूझकर अपने दल को प्रोत्साहन देने के लिए, अपने पक्ष के लोगों की मेजोरिटी बनाये रखने के लिए, जनतन्त्रवाद का गला घोंटने के लिए इस प्रकार के संशोधन को स्वीकार किया जा रहा है।

(श्री हिम्मत सिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

हमारे सामने विधान सभाओं के, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों के चुनाव होते हैं। उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है और म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव की व्यवस्था करते हैं और उसमें यदि कोई संशोधन आता है तो मंत्री महोदय के सामने दिक्कत आती है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार की दिक्कत को देखकर जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। सरकार की दिक्कत हो सकती है इलेक्ट्रोल रोल को छपवाने में लेकिन हमको प्रजातन्त्र को आगे बढाना है उसे महसूस करें। दोनों चीजों को महसूस करते हुए मैं मंत्रीजी से दुबारा निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें। अगर सरकार उस स्थिति में नहीं है तो मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उसको स्वीकार कराने में मंत्रीजी को मजबूर करें, और इस संशोधन को स्वीकार करा जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लाज २८ के सब क्लाज (१) के बाबत श्री भैंरू सिंह जी ने जो एमेंडमेंट पेश किया है वह स्वीकार किया जाय।

(प्रस्ताव अस्वीकृत)

[श्री सभापति]

एमेंडमेंट गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज २८ को·······

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, माननीय मंत्री जी ने स्वयं ने इस पर एक एमेंडमेंट रखा है उस पर वोट लेकर पास कर दिया जाय पहले तो यह क्लॉज एमेंडमेंट रूप में पास होगा।

(श्री सभापति के स्पष्ट नहीं समझने पर) आपने जो इसमें एमेंडमेंट रखा है वह पास हो जाय तो फिर यह एमेंडेड रूप में क्लॉज पास होगा।

श्री सभापति—क्या गवर्नमेंट की ओर से कोई एमेंडमेंट है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरा प्रस्ताव क्लाज २८ का सब क्लॉज (१) जो है उसके अन्दर यह और जोड़ दिया जाय:—

"and shall be held as far as may be in the manner provided by order made under section 27 for a general election".

यह लफ्ज़ और बढ़ा दिये जायं।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लाज २८, एज़ एमेंडेड, विधेयक का अंग बने;

(प्रस्ताव स्वीकृत)

क्लॉज़ २८, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २६.

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन, क्लॉज २६ पर मेरा एमेंडमेंट इस प्रकार है:—

"Substitute 'One year' for 'six months' in line four of the clause."

माननीय चेयरमेन, धारा २६, में इस प्रकार की व्यवस्था है कि मृत्यु होने से, त्याग पत्र होने या और किसी वजह से अगर कोई स्थान रिक्त हो जाय और जनरल इलेक्शन होने वाले हो

[श्री चांदमल मेहता]

६ महीने के अन्दर तो सरकार चाहे तो वह बाई इलेक्शन को रोक सकती है, वह नहीं करे अगर सरकार चाहे तो । मेरा संशोधन है कि जहां ६ महीने की बात है वहां एक वर्ष रख दिया जाय ।

माननीय चेयरमेन महोदय, जब कोई स्थान रिक्त होता है तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कार्यवाही करने का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के मुताबिक करीब करीब ४, ५ महीने लग जाते हैं ।

जैसे कोई स्थान रिक्त हुआ, रिक्त होने के लिए नगरपालिका की ओर से प्रार्थना पत्र भेजा जाता है और फिर वह गवर्नमेंट के पास पहुँचता है। गवर्नमेंट अपनी ओर से उसका कार्यक्रम बनाती है और उस सारे कार्यक्रम में, मैं समझता हूं, कि चार पांच महीने लग जाते हैं । अगर यह मान लें कि किसी भी नगरपालिका के सम्बन्ध में छः महीने के बाद जनरल इलेक्शन होने वाला और जब चार पांच महीने इस तरह की कार्यवाही में लग जायं तो महीने दो महीने में इलेक्शन कराने में सरकार को भी दिक्कत होगी और जनता को दिक्कत होगी और सरकार को भी अन नेसेसरी खर्चा करना पड़ेगा । इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि इस ६ महीने की अवधि को बढ़ा कर १ साल कर दिया जाय । मैं आशा करता हूँ कि इसको माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे ।

श्री सभापति—श्री भैंरूसिंह ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास उनका कोई अमेन्डमेन्ट नहीं आया है ।

श्री भैंरूसिंह—मैं पढ़ कर सुना दूं । "I beg to move that clause......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अमेन्डमेन्ट पहले से आना चाहिए था, लेकिन यह ओन दी स्पोट दिया जा रहा है । जब तक अमेन्डमेन्ट पहले न आ जाय मैं समझता हूं कि मैं उसका क्या जवाब दूं । दो दिन का समय है, उसमें आना चाहिये था ।

श्री भैंरूसिंह—The Minister should be ever ready.

श्री सभापति—(राज श्री हिम्मतसिंह) Has the Hon'ble Minister got the objection to the amendment.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—yes, Sir.

श्री सभापति—Since there is an objection to your amendment, it cannot be moved.

श्री भैंरूं सिंह—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि.......

श्री सभापति—क्लॉज़ पर ही बोलें।

श्री भैंरूं सिंह—मैंने पहले निवेदन किया था उसपर माननीय मंत्री महोदयने ध्यान नहीं दिया और नहीं उसकोस्वीकार किया। अकोमोडेटिव स्पिरिट अपनाई जानी चाहिए थी। उन्होंने जो संशोधन प्रस्तुत किया वह लिखा हुआ नहीं था और यदि फिर हम उस पर एतराज करते तो उनकी स्थिति भी ऐसी ही होती कि वे उसको मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने उदारता का परिचय दिया और उधर से उदारता का परिचय नहीं मिल रहा है। लोकल बोडीज़ को इस प्रकार की सत्ता देकर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना रहे हैं तो देर से जो संशोधन आते हैं उनको भी स्वीकार करने में और वाद विवाद करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस क्लॉज़ पर कुछ कहने के पहले और मंत्रियों की तरह रेवेन्यू कानून बना, टिनेन्सी कानून बना, और कानून में इस प्रकार से आये अमेन्डमेंट्स को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने अकोमोडेट होकर अपनी उदारता का परिचय दिया, तो मैं आशा करता हूं कि वे भी अपनी उदारता का परिचय देंगे और वह जानने के बाद फिर इस क्लॉज पर बोलूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे एतराज नहीं है। उस अमेन्डमेन्ट के लिए, लेकिन जिम्मेदारी का सवाल आता है। और मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं कि जब अमेन्डमेन्ट ही मेरे पास नहीं आया और मैंने उसको समझा तक नहीं तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? कहते हैं कि प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है, अवैधानिक है; इसलिए इसमें उदारता की बात नहीं है। आपको खुद को खयाल करना चाहिए था कि आप इसको टाइम पर मूव करते जैसे चांदमलजी ने मूव किया।

श्री सभापति—ओब्जेक्शन हुआ है और उस पर निर्णय दिया जा चुका है इसलिए आप अपने अमेन्डमेन्ट को मूव न करें और क्लॉज पर चाहे तो बोल सकते हैं।

श्री भैंरूं सिंह—माननीय चेयरमेन, बात तो वही होगी चाहे संशोधन रख कर कहूं या इस पर कहूं। अच्छा होता कि संशोधन पर कहता और सदन के माननीय सदस्य सहयोग देते।

क्लॉज २९, में यह व्यवस्था की गई है कि कोई केजुअल वेकेन्सी हो और उसका चुनाव करायें और म्युनिसिपेलिटी के आम चुनाव हुए उनमें छः महीने बाकी हों तो रिक्त स्थान की पूर्ति न करायें। मैं छः महीने की अवधि के स्थान पर तीन महीने का संशोधन प्रस्तुत करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से कहूं कि वह संशोधन, संशोधन रूप में रखने की अनुमति नहीं मिली। किशनगढ़ से आये माननीय सदस्य ने तो छः महीने की अवधि को बढ़ा कर एक वर्ष की है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मंत्री महोदय चूंकि ऐसा संशोधन उनके एक सदस्य की ओर से आया हुआ है इसलिए उसको स्वीकार कर लेंगे, ऐसा भय है। मैं आपको जो छः माह की एवज १ साल की अवधि रखने का जो संशोधन रखा गया है उसके लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह बात कही जा सकती है कि तीन महीने में चुनाव नहीं कराये, यह भी कहा जा सकता है

[श्री भैरु'सिंह]

कि छ; महीने में चुनाव करायें और यह भी कहा जा सकता है कि ६ महीने में आम चुनाव होने वाले है तो फिर क्यों उस रिक्त स्थान के लिए चुनाव कराये जांय? क्यों फालतू खर्चा किया जाय, क्यों जनता को परेशानी उटानी पड़े। कहने को तो यह बात बड़ी अच्छी है कि सरकार का खर्चा होगा, जनता को पोलिग स्टेशन तक जाना पडेगा, जनता परेशान होगी, दिक्कत होगी, वोट कास्ट करने के के लिए पोलिंग स्टेशन तक जाना पड़ेगा, ये सारी बातें कहने में तो बड़ी सुन्दर प्रतीत होती हैं लेकिन इसके अन्तर्गत जो चीज़ है वह दूसरी ही है। एक आदमी का स्थान रिक्त हुआ, यह न्यायोचित चीज़ है कि उस रिक्त स्थान की पूर्ति जल्दी से जल्दी करायें लेकिन दिक्कत के लिहाज से नहीं कराना चाहते। जो ६ महीने का समय रखा गया है वह गलत है और ज्यादा रखा गया है। एक आदमी के इलेक्शन में बडी गड़बड़ी हो सकती है, आम चुनाव होने वाले हैं। ६ महीनों में एक स्थान की पूर्ति न कराये चुंकि आम चुनाव होने वाले हैं इसलिए, तो उस एक स्थान की पूर्ति न होने से किसी माइनोरिटी वाले मेजोरिटी में हो सकते हैं। किसी पार्टी को मेजोरिटी में ला सकते हैं। इस एक स्थान के कारण बड़ी रद्दोबदली हो सकती है जो विरोधी पार्टी मेजोरिटी में है तो उसमें कांग्रेस का बहुमत हो सकता है, क्योंकि केवल दोनोंमें एक आदमीका अन्तर है, एक आदमीका स्थान रिक्त हो, रिमूवल के कारण हो, चाहे इलेक्शन पिटीशन की वजह से हो, चाहे और किसी कारण से हो अगर उस रिक्त स्थान के लिए छः महीने में चुनाव नहीं कराते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि दूसरी पार्टी को मेजोरिटी में ला दिया और मेजोरिटी में लाने का मतलब है कि छः महीने के बाद होने वाले आम चुनाव की तारीख निश्चित हो। म्युनिसिपेलिटी के पैसे से, म्युनिसिपेलिटी की सत्ता से और म्युनिसिपेलिटी से जो साधन प्राप्त हुए हैं उन साधनों के द्वारा आम चुनावों की तैयारी करें। इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। मामूली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव करा देते हैं। पंचायतों के चुनाव करा देते हैं तो फिर इसमें क्यों नहीं? यह कहा जा सकता है कि म्युनिसिपेलिटी के चुनावों में दिक्कत आती है, जनता को परेशानी होती है, लेकिन लोग इतने आतुर रहते हैं, कि अगर उनको एक दिन का भी समय दें तो वे वोट डालनेके लिए तैयार रहते हैं,कौन केन्डिडेट खड़ा होता है, किसप्रकार उनका प्रचारहोता हैं, वे तो उत्साह भरी निगाह से खडे रहते हैं। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि जनता को तकलीफहोगी। जनता परेशान होगी, इस तरह से चुनाव कराने से लेकिन जनता को नहीं होगी कांग्रेस दल को होगी, जो मेजोरिटी में आने वाली पार्टी है उसको होगी। आप निश्चित रूप से इस प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं करायें, आपके दल को फायदा पहुंचाने की गरज से इस प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं करायें। आपका दल इस प्रकार फायदा उठाये, आप इसका मौका नहीं देंगे। मैं आशा करता हूं कि इससे राजस्थान की जनता का फायदा होगा, उसका हित होगा। आज राजस्थान की जनता चाहती है कि अगर किसी पंचायत में, किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अथवा किसी म्युनिसिपेलिटी में रिक्त स्थान हो तो उसका शीघ्र ही चुनाव कराया जावे। किशनगढ़ से आये माननीय सदस्य ने एक साल की अवधि के लिए संशोधन प्रस्तुत किया। शायद उन्होंने उस दुख से पीडित होकर कि जनता को परेशानी होगी, छः महीने के स्थान पर १ साल का संशोधन कर दिया। विधान सभा का चुनाव करते हैं लेकिन अगर विधान सभा में भी अगर कोई स्थान रिक्त होता है तो उसका छः महीने की अवधि में चुनाव कराया कराते हैं। विधान सभा के लिए एक साल के लिए रिप्रेजेन्टेशन आफ पिपुल्स

[श्री भैरूसिंह]

एक्ट में उल्लेख नहीं है, लेकिन हमारी सरकार तो अजीबोगरीब तरीका म्युनिसिपेलिटी के रिक्त स्थानों के चुनावों के लिए अपनाने का प्रयत्न कर रही है। वह जनता को परेशानी के लिए नहीं लेकिन कोई आपका मुकाबला करेगा। बार बार आपको मंजूर करने की स्थिति में लाने के लिए कोशिश करूंगा आप इस प्रकार का अप्रजातान्त्रिक कानून न बनायें, आप जनता को धोखे में न डालें और अपने दल को आप इस प्रकार प्रोत्सहान न दें। मैं अन्त में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे इस प्रकार के संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिए।

यदि मेरा संशोधन स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि किशनगढ़ के माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसे भी अस्वीकार करना चाहिये। अगर आप इन दोनों ही बातों को नहीं करते हैं तो मैं तीसरा सुझाव और देता हूं और वह यह है कि इस क्लॉज को उड़ा देना चाहिये ताकि आगे उचित संशोधन समझेंगे उसका समावेश कर देंगे। इतना कहकर मैं इतना निवेदन और करूंगा कि आगे के क्लॉज पर मैंने संशोधन दिये थे लेकिन मैं दिक्कत महसूस करता हूं। मैंने गत अधिवेशन में संशोधन मूव किये थे लेकिन अधिवेशन एडजोर्न होने से वे खारिज हो गये। मेरा ख्याल था कि वे खारिज नहीं होंगे। अब मैंने कल सारे के सारे फिर प्रस्तुत किये हैं। मुझे इन पर बोलने का अवसर देकर उदारता का परिचय दें।

श्री जवानसिंह—मैं किशनगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका विरोध करना चाहता हूं। यदि मंत्री महोदय उक्त संशोधन को मंजूर नहीं करते हैं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—चेयरमेन महोदय, एक ओर तो उदारदता का परिचय देने की बात कही जाती है और साथ ही साथ दूसरी ओर साथ ही साथ गालियां दी जाती हैं। मैं यह तरीका नहीं समझ पाया। यह कहा जाता है कि गवर्नमेन्ट बेईमान है। अपने पिट्ठुओं को फायदा पहुंचाना चाहती है और जनता के साथ में न्याय नहीं करना चाहती है। मैं नहीं समझ पाया कि कौनसी चीज ऐसी करदी है जिसके वजह से यह कहा जाता है कि क्लॉज इसलिये रखी है कि अपने पिट्ठुओं को अपनाया जाय और म्युनिसिपल बोर्डस में बैलेन्स अपने फेवर में रखा जाय। न मालूम और भी क्या क्या बातें कही जाती हैं। इस सब का मतलब मैं यह निकलता हूं कि गवर्नमेन्ट को हर तरह से अपोज़ करने की कोशिश की जाती है इसके अलावा इनकी बातों में और कोई तथ्य है, ऐसा मैं नहीं समझता। यह कहा जाता है कि उनके प्रति उदारता दिखाई जाय। मैं नहीं समझताकौनसी बात खिलाफमें तय की जारही है जिसमें उदारता दिखानेकी जरूरत पड़ गई है। दफा २१,के अनुसार यदि जनरल इलेक्शन ६ महीनोंके अन्दर होनेवाले हैं और कोई वेकेन्सी इसबीच में हो गई है तो उसको फिल अप करने के लिये चुनाव नहीं कराये जांय; यह सीधी सी बात इस क्लॉज में है। जनरल इलेक्शन हो रहे हैं तो गजट में नोटिफिकेशन आदि शाया किये जाते हैं और बाकी चुनाव की कार्यवाही की जाती है, उसमें ४ या ५ महीने लग जाते हैं। इस बीच में कोई वेकेन्सी होती

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

है तो मैं समझता हूं उस जगह के लिये इलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं रहती। यह कहा जाता है कि ३ महीनों का समय रखा जाय। मैं इस बात को क्रिटिसाइज नहीं करूं तो मेरी मजबूरी है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रीजनेबल बात होगी तो मैं उसे जरूर मंजूर करूंगा, यह ख्याल करना कि गवर्नमेन्ट बेईमान है, दूसरों, को अपने पिट्ठुओं को फायदा पहुंचाया जाता है यह ठीक बात नहीं है। मुझे क्या मालूम कि कब वेकेन्सी होगी, साल भर बाद या दो साल बाद, १० साल बाद उस समय क्या स्थिति होगी क्या नहीं होगी....

श्री भैरूंसिंह—पहले से ही काम पक्का करना चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट की कोई गड़बड़ करने की नीति नहीं है। मैंने आते ही इलेक्शन्स के लिये आर्डर दिये, कलेक्टर्स को हिदायत की, उनको पॉवर्स दिये। आप देखते होंगे अखबारों के जरिये कि इलेक्शन्स बराबर हो रहे हैं और गड़बड़ियां नहीं हो रही हैं। मैं दुबारा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इलेक्शन में देरी करना या गड़बड़ी करना गवर्नमेन्ट का कत्तई ख्याल नहीं था। ६ महीनों का जो समय रखा है वह काफी है उसको बढ़ाना उचित नहीं है। इसलिये मैं किशनगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस लें और क्लॉज जैसी है वैसी ही पास की जाय।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—क्लॉज २९ की लाइन पांच में 'इफ' शब्द मिसप्रिन्ट हो गया है। it should be 'of' यह ठीक कर लिया जाय।

प्रश्न यह है कि क्लॉज २९ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज २९ स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज ३०.

श्री चंदमल मेहता—चेयरमेन महोदय, धारा ३० पर मेरे २ अमेंडमेंट हैं। पहला अमेंडमेंट तो बिल्कुल टेक्निकल है 'सबस्टीट्यूट १९५६फोर १९५४' अकरिंग इन दि लास्ट लाइन ऑफ पार्ट डी.'। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री जी इसे स्वीकार कर ही लेंगे।

मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट जो है वह इस प्रकार है—

"b. Add the following new sub-clause at the end of the clause:—

2. If the District Magistrate."

यहां जो टाइप होकर आया है उसमें "कलेक्टर" शब्द है उसके बजाय में "डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट" चाहता हूँ। आगे मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है:—"has reason to believe that any offence punishable under section 129 or 134 or under clause [a] of sub-section [2] of section 136 of the said chapter has been committed in reference to any election to a board, it shall be the duty of the District Magistrate to cause enquiries to be made and such prosecutions to be instituted as the circumstances of the case may appear to him to require.

(3) No court shall take conizance of any offence punishable under section 12 or under section 134 or under clause [a] of subsection (2) of section 136 unless there is a complaint made by order of or under authority from the District Magistrate."
जहां जहां "कलेक्टर" शब्द आया है उसके बजाय में "डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट" करना चाहता हूं।

श्री सभापति—आपके अमेन्डमेंट में कलेक्टर ही लिखा हुआ है।

श्री चांदमल मेहता—डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट भूल से रह गया, यदि इजाजत दें तो इसको ठीक कर लूं।

(श्री रघुवीरसिंह, सभापति पदासीन)

श्री चांदमल मेहता—माननीय चेयरमेन महोदय, जो संशोधन मैंने अपनी ओर से रखा है उसके पीछे भावना यह है कि यदि कोई गड़बड़ी होती है चुनाव के सम्बन्ध में रिश्वत के बारे में या अनियमितता के बारे में या और और बातों के बारे में जिनकी इस क्लाज में चर्चा है तो उस हालत में मौजूदा क्लॉज है उसमें यह व्यवस्था है कि यदि इस संबंध में कोई शिकायत आती है तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की जा सकती है, मैं यह मानता हूँ कि कई बार ऐसा मौका आता है कि बहुत बड़ी गलतियां की जाती हैं उम्मेदवारों की ओर से। कुछ प्रभावशाली उम्मेदवारों के द्वारा बिना

[श्री चांदमल मेहता]

वजह कुछ गड़बड़ को जाती है और उसकी शिकायत की जाती है तो प्रलोभन की वजह या और किसी वजह से रोक दी जाती है और सामने आकर स्पष्ट नहीं की जाती और गड़बड़ करनेवालों को सजा नहीं मिलती। इसलिये मैंने यह मांग की है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को विश्वास हो जाय कि गड़बड़ियां हुई हैं तो वह अपनी ओर से इन्क्वायरी करके कार्यवाही कर सकता है। मैंने अपना जो सशोधन रखा है वह इस दृष्टिसे रखा है कि जो बहुत गड़बड़िया, अनियमितताएं, यह भ्रष्टाचार होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को अधिकार होने से लोगों में भय पैदा होगा और गड़बड़ियों में कमी आएगी इस दृष्टि से मैंने संशोधन रखा है। मैं आशा करता हूँ इसे स्वीकार किया जायगा।

श्री भैंरूसिंह [वि. सं. १६]—माननीय चेयरमेन महोदय, किशनगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। चेयरमेन महोदय, जहां तक यहां की लोकल बोर्डिज़ के चुनावों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है या चुनावों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, अक्सर ऐसा देखा गया है कुछ प्रभावशाली व्यक्ति अपने प्रभाव को एक्सरसाइज करने की चेष्टा करते हैं। उस समय जो प्रेसाइडिंग या पोलिंग ओफिसर होते हैं उनके समक्ष शिकायत की जाती है उन प्रभावशाली व्यक्तियों के विरूद्ध तो उनके प्रभाव के कारण कोई एक्शन नहीं लिया जाता है।

कहने को यह कहा जा सकता है कि इलेक्शन पिटिशन होती है लेकिन इलेक्शन पिटिशन का परिणाम क्या हुआ और इसके सम्बन्ध में हमने व्यवस्था की है वह अलग है कि चुनाव सिक्योरिटी जब्त हो जायगी, ज्यादा खर्चा हुआ है तो इस प्रकार की इलेक्शन पिटिशन की व्यवस्था की है पर जो वोटर्स के ऊपर इन्फ्लुएन्स डालते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, इसकी व्यवस्था कहीं नहीं है। इसकी व्यवस्था करनी है। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है वह इसकी व्यवस्था करता है।

पंचायतों के चुनावों के बारे में बार बार कहने को मिला है कि उनको यह जबरदस्त हथियार दे दिया है कि जहां उनकी पार्टी की हार होती हुई नजर आती हो वहां शान्ति भंग का नारा लगा दें, प्रेसाइडिंग ओफीसर को जा कर कह दें कि फौरन चुनाव पोस्टपोन कर दीजिये, नहीं तो शांति भंग हो जायगी, लड़ाई हो जायगी, सर फूटेंगे, खून होंगे। चुनावों में इस हथियार का दुरूपयोग होते हुए देखा है। जहां कोई पार्टी हारने लगी तो चुनाव भंग करने का प्रेसाइडिंग ओफीसर को कहा कि तुम्हें चुनाव भंग करना पड़ेगा। इलेक्शन रूल्स में यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि शांति भंग होती हो तो चुनाव स्थगित कर देना चाहिये, बेचारे को मजबूर हो कर चुनाव स्थगित करने पड़ते हैं। इस तरह शांति भंग के झूठे बहाने से, चुनाव स्थगित कर दिये जाते हैं पर जिन्होंने शांति भंग करने की, कार्यवाही की उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज तक कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। कई चुनावों के सम्बन्ध में इस सदन में

Page No 66

[श्री भैंरूंसिंह]

कई बार सुना है कि शान्ति भंग होने से चुनाव स्थगित हुए पर कहीं भी आज तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिन्होंने कि शान्ति भंग की। वे (मंत्री महोदय) फिर नाराज होंगे और कहेंगे कि मेरे में दलबन्दी की भावना नहीं है। मैं बताऊं कि हमारा यह अनुभव है कि मंत्री मंडल में हेर फेर होता रहता है, यह विभाग एक व्यक्ति के पास नहीं रहता, इस प्रकार के कानून बनाने की जिम्मेदारी सरकार पर है, पहले उन्होंने पंचायत कानून रद्द करवाया और जब वे कोशिश कर रहे हैं कि इस म्युनिसिपेलिटी कानून को भी रद्द कराये। आज कल के समाचार चाहे किसी हेर फेर के हों, मैं तो चाहता हूं आप बने रहें। बदकिस्मती हो सकती है कि मन्त्री मंडल से त्याग पत्र देना पड़े फिर उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते आज आप कह सकते हैं कि इस कानून में हेर फेर होना चाहिये, पहले वाले व्यक्तियों ने आश्वासन दिये थे पर गड़बड़ियां हुई। अब आप यह आश्वासन दे दें कि पंचायतों के चुनाव में गड़बड़ियां हुई पर म्युनिसिपेलिटी के चुनावमें नहीं होंगी, इससे काम नहीं चलेगा, आपलोग चुनाव के नियमों में इस तरह की गुंजायश ही न रखिये कि जिससे गड़बड़ी हो। लोग वार्ड में जाकर कन्वेसिंग करते हैं, प्रेसाइडिंग अफसर से शिकायत की जाती है, प्रेसाइडिंग अफसर के पास शिकायत की जाती है पर प्रेसाइडिंग अफसर उस अव्यवस्था या दबाव डालने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता ....

आपजी श्री रघुराजसिंह—On a point of order, Sir, there is no quorum in the House.

(गणपूरक घण्टी के पश्चात्)

श्री जवानसिंह—If the House so wishes let us adjourn Sir.

(गण पूरक होने पर)

श्री भैंरूंसिंह—(१६) अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस नगरपालिका के चुनाव में किसी प्रकार की अव्यस्था या दबाव किसी आदमी द्वारा नहीं किया जा सके इसलिये यह आवश्यक है कि कलेक्टर को अधिकार दें कि अपनी जानकारी के आधार पर प्रेसाइडिंग ओफिसर द्वारा इत्तला दिये जाने पर वह उन लोगों का प्रोसीक्यूशन कराये और उनको सजा दिलाने की कोशिश करें, यह संशोधन बड़ा स्वस्थ है और माननीय मन्त्री महोदय को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चेअरमेन महोदय, जो संशोधन क्लाज ए, में पेश किया गया है, ए. में है—

"Substitute '1956' for '1954' occuring in the last line of part (b),"

Page No 67

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

और इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। जहां तक दूसरा अमेंडमेंट है, चुनाव में गड़बड़ी होती है तो एक्शन लिया जाय। लेकिन मैं ख्याल करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार देने की बात है उसके लिये आलरेडी दफा १९० जाब्ता फौजदारी की है, कलेक्टर को जब खुद आज यह अधिकार है कि चुनाव में कोई ओफेन्स हो तो कलेक्टर कार्यवाही कर सकता है। इस लिये माननीय सदस्य ने जो तरीका रखा है और उस पर जोर दिया है, मुझे उसे मानने में आपत्ति नहीं पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दफा १९० में आलरेडी ऐसे अधिकार प्राप्त हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन्स में जो ब्रीच ओफ पीस की बात हुई है वह पंचायतों के इलेक्शन्स में हुई है म्युनिसिपेलिटीज के इलेक्शन्स में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आम तौर पर ब्रीच ओफ पीस म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव में नहीं होती है। वह इन्फक्च्युअस होगा। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने इस अमेंडमेंट को वापिस ले लें।

श्री चांदमल मेहता--मैं अपना वह संशोधन जो मन्त्री महोदय ने अस्वीकार किया है, वापिस लेने की सदन मे आज्ञा चाहता हूं।

(श्री रघुराजसिंह बिसाऊ, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एक संशोधन मैंने स्वीकार किया है।

श्री सभापति (श्री रघुराजसिंह)—(ए) को आपने एक्सेप्ट कर लिया है और (बी) को आपने एक्सेप्ट नहीं किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी हां।

श्री चांदमल मेहता—अमेंडमेंट नं० १ है उसे वोट ले कर स्वीकार कर लिया जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज ३०, एज़ अमेंडेड, पास किया जाय।

श्री चांदमल मेहता—एज़ अमैंडडे पास करने से पहले अमैंडमेंट स्वीकार किया जाय। मेरा अमैंडमेंट आपने (मन्त्री महोदय ने) स्वीकार किया है, हाउस ने तो अभी तक नहीं किया है।

श्री सभापतिः—प्रश्न यह है कि श्री चांदमलजी ने जो क्लॉज़ ३० में संशोधन (१) रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३०, एज़ एमेन्डेड, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज ३०, एज़ एमेन्डेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ३१

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ३१ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज़ ३१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज़ ३२, श्री भैंरूसिंह।

श्री भैंरूसिंह—(१६) माननीय चेयरमैन, अगर माननीय मंत्री महोदय को किसी प्रकार का ओबजेक्शन नहीं हो तो मैं एक हैन्डसम सुझाव, एमेन्डमेंट के रूप में पेश करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस क्लॉज ३२ में एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें दिया गया है, "In clause (b) of this section the expression 'coercion or intimidation' means any interference or attempt to interfere by whatever means with the free exercise of the right to vote or refrain from voting at

[श्री भैंरू सिंह]

an election and includes a social or economic bycott of member of a community, group or section, or threat of such bycott, with intent to interfere with the free exercise of such right by those Members."

मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहता हूँ और वह इस प्रकार होगा—

"and also includes threats of action harm which can be made to accrue to the voters as a result of action by the Government or the local body in consequence of the voters voting in a particular way."

माननीय सभापति हमने यह व्यवस्था की है--

श्री बद्रीप्रसाद—इस एमेन्डमेंट का नोटिस नहीं मिला है और जहां तक एमेन्डमेंट के बारे में लॉ डिपार्टमेंट से बातचीत नहीं कर ली जावे तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता।

I am very sorry that I have expressed this so many times. You should realize my difficulty also.

लीगल बात है।

I am very sorry that I connot accept this.

श्री भैंरू सिंह:—यदि आपकी भावना शुद्ध और ठीक है तो जब तक आप लॉ डिपार्टमेंट की राय न जाने तब तक के लिये इसको डेफर कर दिया जावे। आपने यह कहा कि लॉ डिपार्टमेंट को पूछा जावेगा मैं समझता हूँ कि यह बात आपने ठीक नहीं कही क्योंकि आप खुद लॉ ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लॉ विभाग से पूछा जावे। यह तो एक ऐसा मामला है कि किन२ चीजों को हम इलेक्शन में जरूरी समझते हैं और किन किन चीजोंसे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कि वे लोग जो जिस व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं नहीं दे सकते और दूसरे व्यक्ति को दबाव में आकर अपना वोट दे देते हैं। सरकार ने इस क्लॉज में एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें कहा है कि कोई भी आदमी यदि इस प्रकार का कार्य करने का इरादा रखता है कि जिसके कारण से वह किसी व्यक्ति को अपना स्वतन्त्र रूप से वोट देने के लिये क्षति या धमकी दी जाती हो कि उसको ऐसा नहीं करने से सोशियल बाइकोट कर दिया जावेगा या उसका इकोनोमिक बाईकोट कर दिया जावेगा तो उसको यह भय होता है कि बहुत मुमकिन है कहीं वे ऐसा न कर बैठे उस डर से वह वोट देने की स्वतन्त्रता को नहीं अपना सकें इसलिये मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह इस बात का है कि हम इस प्रोविजन और इन्टेन्शन में इन चीजों को शामिल कर लें कि जो कोई भी अधिकारी सरकार की ओर से या लोकल बडीज की ओर से किसी कोम्युनिटी को डरा धमका कर स्वतन्त्र वोट देने में हस्तक्षेप न कर पावे। सभापति महोदय, चुनावों में अमूमन

[श्री भैरूंसिंह]

मंत्री लोग गांवों में जाते हैं। गांव के लोगों को कहते हैं कि धर्मशालाए बना देंगे तुम फला व्यक्ति को वोट दे देना। हम तुम्हारे यहां मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बना देंगे, अगर तुमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। तो और अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। लोगों को धमकी देता है लोग समझते हैं कि यह लोग पॉवर में है दूसरी पार्टी की कोई पहुँच नहीं है इसलिये दबाव में आ जाते हैं। यह कोई नई चीज नहीं है। इसलिये जो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विसेज पर कन्ट्रोल करते हैं चाहे वह मिनिस्टर ही क्यों न हो ऐसा होना चाहिये कि वह इलेक्शन में नहीं जावे। लोग जाते हैं और मैं यह कहूँगा कि यह इस प्रकार की कार्यवाही करना सरकार का प्रत्यक्ष रूप में इसमें भाग लेना है। मैं तो यहां तक कहूँगा कि वे लोग लोगों को यह कहते हैं कि अगर तुमने वोट कांग्रेस को नहीं दिये तो तुम्हारे यहां जो स्कूलें हैं वे बन्द कर दी जावेंगी, होस्पिटल बन्द कर दिये जावेंगे। वरना स्कूलें और सड़कें व होस्पिटलों का निर्माण होगा इस प्रकार के आश्वासन देते हैं। इसलिये उचित यह होगा कि जिस दल के पक्ष में माननीय मंत्रीजी पधारते हैं नहीं पधारने चाहिये और न उनको किसी प्रकार का जनता को आश्वासन दिया जाना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे लोगों की स्वतन्त्रता पर असर होता है और वे प्रलोभन और डर के मारे सही आदमियों को वोट नहीं देते। वे लोग गांवों में जाते है और सरकार की रीति नीति की घोषणा करते हैं। बताते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम जागीरदारी को खत्म कर देंगे। काश्तकारों के लिये कानून बनाये जावेंगे। इस तरह से वे लोगों को बतलाते हैं। मैं यह कहूँगा कि इस तरह से कहना कांग्रेस की नीति हो सकती है, सत्तारूढ दल का कार्य नहीं हो सकता। एक मंत्री होकर इस प्रकार की सूचना देना वाजिब नहीं है और वह इसलिये कहा जाता है कि स्वतन्त्र लोगों को वोट देने के लिये गुमराह करते हैं। आज यही स्थिति है। मैं यह कहूँगा कि इस बात को फिर भी माननीय सदस्य कोई भी नहीं कहेंगे, कोई डर से नहीं कहेंगे कोई हिर्प से नहीं कहेंगे। सब लोग जानते हैं कि क्या होता है? म्युनिसिपल्टी के चुनावों में वोट लेने के लिये कई योजनाए और आश्वासन होते हैं, कहीं रेल्वे स्टेशन को बन्द करना और कहीं खोलना, कहीं सीमेंट फेक्ट्री का खोलना और बन्द करने की बातें होती है और इन्हीं आधारों पर लोगों के वोट अपनी पार्टी की तरफ डालते हैं। इसलिये मैं यह संशोधन के रूप में पेश करना चाहता हूँ। मेरा यह संशोधन तो वाजिब ही है मगर इससे मंत्रियों को दिक्कत होनेवाली है। म्युनिसिपेल्टीज के चुनावों में हमारे माननीय मिनिस्टर जाते हैं और बड़े मजे से टी. ए. डी. ए. वसूल करते हुए अपना भाषण देते हैं उनको जरूर इससे नुकसान होगा मगर मैं यह कहूंगा कि आप अपने थोड़े से नुकसान के लिए गलत कानून नहीं बनावें। आप यह बनावें कि कोई मिनिस्टर नहीं जावे और न वह सरकार की नीति रीति बतावे और उसका उल्लेख न करें तो उचित होगा। कांग्रेस की पोलिसी के बारे में अगर नेता लोग इन्डिपेन्डेन्ट इन्डीविजुअल इन्फ्लयूएन्स यूज करें तो भले ही करें। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सभापति महोदय, मैंने जो संशोधन सदन के समक्ष रखा है उसको अगर संशोधन के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं जो मूव किया हुआ भी नहीं तो भी मैंने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनको संशोधन के रूप में स्वीकार करें। इससे एक प्रकार का अच्छा प्रबन्ध होने वाला है इसको स्वीकार कर लें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय चेयरमेन, यह जो एक्सप्लेनेशन क्लॉज ३२ का है उसे अगर माननीय सदस्य देख लेते तो शायद यह अमेन्डमेन्ट पेश करने की या इतनी बातें कहने की नौबत नहीं आती। माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट पेश करते हुए इस संबन्ध में जो कुछ बातें कही हैं वे वैसी ही थी जैसा कि उनका हमेशा से तरीका रहा है कहने का गवर्नमेन्ट के मंत्री ऐसा करते हैं, बेईमान हैं आदि जो कुछ उन्हें कहना था वह कह दिया। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं माननीय चेयरमेन, जैसा कि इस सदन में कहा गया कि मंत्री लोग इस तरह के वादे करते हैं कि तुम्हारे यहां हाई स्कूल बना देंगे आदि आदि जो बातें कहीं गई है वे निर्मूल हैं इसके बारे में इस धारा का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आलरेडी प्रोवीजन है जिसे मैं पढ़ देता हूं।

"In clause [b] of this section the expression coercion or intimidation means any interference or attempt to interfere by whatever means with the free exercise of the right to vote or refrain from voting at an election......"
इसका मतलब साफ है।

श्री भैरूंसिंह—यह बहुत वेग है इसलिये मैं क्लीअर करवाना चाहता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय चेयरमेन, मैं निवेदन करूं जो इसमें प्रोवीजन है वह जो जनरल इलेक्शन में रूल्स है असेम्बली और पार्लियामेन्ट के चुनाव के लिये जो नियम है वही यहां रखे गये हैं। बहुत सी नई क्लासेज एड की गई हैं नयी बातें इसमें शामिल की गई हैं जैसा कि हमें एक्सपीरिएन्स है। लेकिन इसके अन्दर कहने की मन्शा यह थी कि वे मंत्रियों के बारे में कहना चाहते थे उन्होंने कह दिया। जनरल इलेक्शन हुए उस समय कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी। म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हुए वह भी कांग्रेस मिनिस्ट्री के समय में हुए। पंचायतों के इलेक्शन के समय भी कांग्रेस की ही मिनिस्ट्री थी। लेकिन आप एक भी ऐसा डिसीजन हाइ कोर्ट का बताइये जिसमें किसी मिनिस्टर के भाग लेने के कारण या मौके पर जाकर इन्टरफीअरेंन्स किया। माननीय सदस्य ऐसी एक भी बात नहीं बता सकते खाली कहने के लिये ये बातें करते हैं........

श्री भैरूंसिंह—मैं तैयार हूं, सैकड़ों उदाहरण पेश कर सकता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे कहने दीजिये। यदि ऐसा होता तो हाई कोर्ट में रिटें हुई लेकिन किसी भी फैसले में यह बात साबित नहीं हुई। अगर आप किसी जुडिशियरी का फैसला बतायेंगे तो मैं उस बात की अवश्य जांच करूंगा। यहां हमने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के जो इलेक्शन रूल्स है उसको ले रहे हैं उसमें भी आपत्ति हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं सदन से यही निवेदन करना चाहता हूं जो कुछ उन्होंने कहा उसमें तथ्य नहीं इसलिये यह क्लॉज जैसा है वैसा ही रहने दियां जाय।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लाज ३२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज ३२ ए

श्री भैरूंसिंह—(१६) मेरा इस क्लॉज पर अमेन्डमेन्ट है, मैं मूव कर दूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (१६)—यह तो जनरल इलेक्शन के मुताबिक है, इसमें क्या संशोधन चाहते हैं?

श्री भैरूंसिंह—म्युनिसिपेलिटी के इलेक्शन में और जनरल इलेक्शनमें फर्क है। म्युनिसिपेलिटी के इलेक्शन में जो दिक्कतें आती है उनको देखते हुए यह संशोधन आवश्यक है। इस धारा ३२ में इसके सब क्लाज टू सब पार्ट ए के पार्ट टू में यह व्यवस्था की गई है 'induces or attempts to induce a candidate or an elector to belive that he, or any person in whom is interested, will become cr will be rendered an object of divide displeasure he or spiritual censure;"

माननीय चेयरमेन महोदय, कहने को तो यह बात बड़ी सुन्दर लगती है कि हम अपने आपको प्रगतिशील बनाते हैं। प्रगतिशील अपने आपको बताते हुए भी जिस तरह की व्यवस्था इस धारामें की गई उससे इस बातको मानते हैं कि आज दुनियां में लोग धर्म के नाम से डर सकते हैं। धर्म के नाम पर वोटरों को बहकाया जा सकता है। इस धारा में यह व्यवस्था की गई है अगर कोई व्यक्ति धर्म का डर दिखाये कि ईश्वर हमारे ऊपरन नाराज होगा यदि इस प्रकारका कोई डर बताये। यदि इस प्रकार धर्म का डर बताकर कोई वोट हासिल करता है तो वह करप्ट प्रेक्टिसमें होगा। इस प्रकार की व्यवस्था इस धारा में की गई है, बड़ा सुन्दर है, धर्म निरपेक्ष राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था करने का अधिकार है वो कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन से क्या होगा वह हमें देखना होगा। आज हमारे देश में हमें यह देखने को मिलता है कि जहां कानून नहीं चलता वहां धर्म चलता है जिस जगह लोग कानून से नहीं डरते धर्म से लोग डरते हैं, जहां सरकार ने इसको मान्यता भी दी है।

कई चीजें ऐसी आती हैं म्युनिसिपेलिटीज में, जहां बूचड़खाने होते हैं और बूचड़खानों की व्यवस्था भी म्युनिसिपेलिटी की हद में होती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं अहिंसा के मानने वाले वे यह चाहते हों कि नगरपालिका की हद में किसी जानवर की हिंसा न हो, गौकशी न हो। अगर वे व्यक्ति अपने इलेक्शन में यह प्रोपेगेन्डा करते हैं कि कोई किसी जानवर की हिंसा करता है तो ईश्वर नाराज होता है। मान लीजिये कोई व्यक्ति इस आधार पर जीत कर म्युनिसिपेलिटी में जाते हैं और वे जाकर इस प्रकार का कानून बनाते हैं जिससे नगरपालिका की हद में गायों की हत्या न हो, बूचड़खाने न हों तो वैसी हालत में अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि इस प्रकार की हिंसा को मैं म्युनिसिपेलिटी में जाकर रोकूंगा। जिस जगह ऐसी हिंसा होती है, वहां ईश्वर नाराज होता है तो ऐसी सूरत

[श्री भैंरूसिंह]

में अगर कोई वोट हासिल करता है तो आपकी कानून की सूरत में वह डिसक्वालिफाइड हो जायगा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार प्रचार करके कि हिंसा से ईश्वर नाराज होता है गायों की हत्या जिस जगह होती है वहां गौपालक श्रीकृष्ण उस जगह से नाराज होते हैं। जहां इस प्रकार की हिंसा होती है भगवान राम भी नाराज होते हैं तो अगर कोई इस प्रकार की जानकारी कराकर वोट हासिल करता है तो यह तो एक प्रकार से हमारे इस धर्म प्रधान देश में ईश्वर के प्रति लोगों में आस्था पैदा करता है। इससे भी अगर कोई डरता नहीं है तो उसे धर्म नहीं डरा सकता, कानून नहीं डरा सकता। उसको तो डरने की आवश्यकता नहीं। इसमें जो यह कानून रखा गया है कि इस प्रकार से धर्म के नाम से अगर कोई वोट हासिल करेगा वह करप्ट प्रेक्टिस होगी। मैं समझता हूं इस प्रकार स्वतन्त्र मतदान में इन्टरफिअरेन्स करना उचित चीज नहीं होगी। जनरल इलेक्शन की बात अलग है। रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट में इस प्रकारकी चीजें हो सकती है। उसका विस्तृत दायरा है लेकिन म्युनिसिपेलिटी की तो एक छोटी सी सीमा होती है जहां म्युनिसिपेलिटी नगर संचालन की व्यवस्था करती है। अगर हम जनता के सामने इस प्रकार की हिंसक मनोवृत्ति से परिचय कराते हैं तो यह हम एक प्रकार से जनता को ईश्वरभक्ति की ओर मुखातिब करते हैं, यह कोई अन्याय नहीं। यह सही बात है। सही बात बताने से वो लोग सारे के सारे वोट देकर यदि किसी तीसरे व्यक्ति को वोट देने की चेष्टा करते हैं तो यह अन्याय नहीं जो इस संबन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि यह करप्ट प्रेक्टिस होगी यह बिल्कुल गलत है।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

इसके पैरा बी में डिक्लेरेशन " a declaration of public policy, or a promise of public action, or the mere exercise of a legal right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this clause."

माननीय मंत्रीजी ने अभी जिस प्रकार आवेश में आकर कहा कि अगर कोई मंत्री कुछ भ कह देता है तो उसकी सफाई उस जगह करवाली गई इसके लिये एक्सप्लेनेशन्स में दिया हुआ है। पब्लिक प्लेस पर कोई डिक्लेरेशन करता है तो क्या होगा shall not be deemed to be interference within the meaning of this clause."इस क्लाज के कारण कोई भी बुरी चीज नहीं। आगे क्या कहा गया ?

" or a promise of public action"

सार्वजनिक काम की प्रतिज्ञा करता है तो किसी प्रकार का इन्टरफीअरेन्स नहीं होगा उनके खिलाफ इस बात की व्यवस्था की गई है।

[श्री भैरूंसिंह]

" or the mere exercise of a legal right without intent to interfere with an electoral right".

इन दोनों चीजों को बचाने के लिये चार शब्द जोड दिये गये हैं।

"or the mere exercise of a legal right without intent to interfere"

यह इस तरह वेग है। यह दुविधाजनक है जब कि कोई चुनाव में जाकर घोषणा करे। लोकल बोडीज का अधिकारी चुनाव क्षेत्र में जाकर घोषणा करें। अपने विशेषाधिकार की घोषणा करे कि अमुक काम सार्वजनिक है उसे पूरा नहीं किया जायगा अगर आपने अमुक पार्टी को वोट दिया तो, अगर हमारी पार्टी को वोट दिया तो यह कार्य होजायगा। केवल यह कह सकता है। इन्टेशन तो उसका वोट दिलाने का नहीं लेकिन इस बात से उन वोटरों पर प्रभाव तो पड सकता है। आप इन्टेशन की बात कहकर बचाना चाहते हैं। अभी आपने उत्तर देते हुए बताया था कि आप कोई ऐसी इन्स्टान्स दें, जहां पर मंत्रियों ने चुनाव में जाकर इस प्रकार का प्रचार किया हो। मैं एक नहीं सैकड़ों उदाहरण रख सकता हूं अभी अभी का वाकया है, नवलगढ में आपके मंत्री श्री अमृतलाल यादव ने आम सभा में कहा था कि अगर आपने जनसंघ को वोट दिया तो आपको सरकार की ओर से सहायता नहीं मिलेगी इसलिये आप कांग्रेस वालों को वोट दें।

आप इसे क्या कहेंगे ? क्या इन्टरफीयरेन्स कहेंगे ? यह उचित है या अनुचित ?

इसी तरह से एक सदस्य ने चित्तौड में भी कहा कि यदि तुम किसी प्रकार से चित्तौड में सीमेन्ट फैक्टरी बनवाना चाहते हो, लोगों को धन्धा दिलवाना है तुम्हें, और और भी अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं करवाना है तो यह तभी हो सकता है जब कांग्रेस को वोट दो। तुमको अगर ये सब चीजें चाहिये तो हमें वोट दो बहुत मुमकिन है ये बातें आपको सुननी बहुत बुरी लगती हों। पर यह वास्तविकता है जिनको आपको सुनना होगा। हमारी इच्छा है कि आप सुधरो। सुन कर भी अगर सुधरो, तो हमें प्रसन्नता होगी। लोकल बोडीज के इलेक्शनों में स्वच्छ वातावरण बना रहे, हमारी यह इच्छा है। आपके कारण से अनियमितताएं न बरती जावें, यह हमारी हार्दिक इच्छा है। इसलिये निवेदन करूंगा कि आप सुधरें और मैंने जो एडीसन करने के सम्बन्ध में अपनी बात कही है उसके पक्ष में वे शब्द भी जो एड किये जा सकते हैं पढ़ कर आपको सुना देता हूँ।

Add at the end the following:--

"but any statement or declaration of particular action on the part of the Government or local body as contingent on the voting of the electors in any particular way or in favour of any particular candidate or party, shall be deemed to be an interference with the free exercise of an electoral right within the meaning of this Section.''

[श्री भैरूसिंह]

मैं समझता हूं कि इस प्रकार का संशोधन वे मन्जूर कर लेते हैं तो वाकई में जो बात कहना चाहते हैं कि सही तरह से इलेक्शन कराने की उनकी मंशा है वह मान लूंगा। वह अगर कराना चाहते हैं इसी तरह से इलेक्शन तो बात बिलकुल स्पष्ट है कि जो मंत्रीगण इलेक्शन में जावेंगे जो सार्वजनिक हित की चीजें बनाने न बनाने के बारे में घोषणा करेंगे, सार्वजनिक नीति की घोषणा करेंगे, आबपाशी की ये दरें कर कम कर देंगे। वह कम कर देंगे, सरकार इससे काश्तकारों को और गरीबों को यह फायदा पहुंचावेगी, इस तरह की बातें जो हैं वे बिलकुल बन्द होनी चाहिए। अब वे काम भी वे करेंगे या नहीं करेंगे यह दूसरी बात है। पर वहां तो जाकर जरूर विश्वास दिलावेंगे। इसलिए निवेदन करूंगा कि यह आप पर एक तरह की पाबंदी है। आपको सुधारने की चीज है। अपने को अगर सुधारने वाला कोई संशोधन आवे तो उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिये। पर बदकिस्मती से मेरे संशोधन का जो हाल हुआ है अब तक, मुझे डर है कि वही हाल इसका भी हुआ है। इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय अपनी उदारता का परिचय देकर इसे स्वीकार करने को तैयार होंगे। अगर हों तो कुछ और बातें भी मैं प्रस्तुत करना पसन्द करूंगा। और जो जनरल डिबेट करते हुए माननीय मंत्री महोदय ने भावना व्यक्त की उस पर निवेदन करूंगा कि जो भावना व्यक्त की उसका इसमें समावेश किया जाकर इसको स्वीकार किया जावे।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, सदन के समक्ष मेरे मित्र दांता रामगढ़ से तशरीफ लाने वाले सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कोई अमेन्डमेन्ट मूव नहीं हुआ है।

श्री मानसिंह महार—जो खास कर रखैया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कोई अमेन्डमेन्ट पेश नहीं हुआ है।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं क्लॉज ३२ का विरोध करूंगा। इस क्लाज के अन्दर जो करप्ट प्रैक्टिसेज के बारे में बातें कहीं गई हैं तो आज के युग में देखना है कि वाकई में करप्ट प्रैक्टिसेज क्यों हैं? अगर करप्ट प्रैक्टिसेज ये रोकनी हैं तो मैं कहूँगा कि ये तब रुकेंगी जब हमारी सरकार के सबसे ऊंचे आदमी, यानि जिन्हें हमारी सरकार ही कह दीजिये, और वह सरकार क्या, हमारे मंत्रीगण जो भयंकर प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेज करते हैं, उनको अगर हम रोकेंगे तो हम समझते हैं कि राजस्थान के अन्दर और राजस्थान के इन म्युनिसिपल चुनावों, ग्राम पंचायतों आदि के चुनावों के अन्दर जो जो बेईमानियों और पक्षपात होंगे वे तब रुके जा सकते हैं, वरना नहीं। तो मेरे मित्र ने जिस प्रकारसे इस बारेमें बातें कहीं, वे बातें बिलकुल अक्षरशः सत्य हैं। अगर इन बातों को करप्ट प्रैक्टिस में जो बताई गई हैं नहीं मान लिया जावेगा तो राजस्थान के म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे उनमें कभी भी जनता को न्याय की आशा नहीं है।

[श्री मानसिंह महार]

चेयरमेन महोदय, मैं समझता हूं कि मंत्रीजी यह समझते होंगे कि मन्त्री लोग करप्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। मिनिस्टर शब्द भी इतना ऊंचा और पवित्र है कि मिनिस्टर और करप्शन ? इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर यह होगी तब की होगी, आज तो मंत्री और करप्शन ये दो बातें इतनी एक दूसरे से मिक्स हो गई है कि अगर वर्तमान मिनिस्टरों को यह कह दिया जा[redacted]कि मिनिस्टर हैं, और यह मिनिस्टरी ही करप्ट है तो भी खामी नहीं होगी। इसलिये मंत्रीजी [redacted] हीं करना चाहिये। आज के युग में जितनी पक्षपात मिनिस्टर लोग करते हैं, जितना जनता को प्रलोभन ये मिनिस्टर लोग देते हैं, उतना कोई नहीं देता होगा। यह बिल्कुल ठीक है यह मैं बताना चाहता हूं। मंत्रीजी को सुनना चाहिये। यह गलत बात है बीच में वे डिस्टर्ब करें और वह भी बैठे बैठे। यह और भी अन्याय है।

माननीय चेयरमेन महोदय, बैठे बैठे जो बातें करते हैं उन पर तो आपको ध्यान ही नहीं देना चाहिये। यह तो सेहत के लिये भी ठीक नहीं है। माननीय चेयरमेन, महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि····

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—ध्यान तो सब ओर देना पड़ता है।

श्री मानसिंह महार—पर चेयरमेन महोदय, बैठे बैठे जो फुस-फुस करें उस पर नहीं। यह तो चेयरमैन की डिग्निटी का सवाल है। अगर मन्त्रीजी वाकई में इन बातों को चैलेन्ज करते हैं, तो हिम्मत से उन्हें खड़े होकर कहना चाहिये। हम फिर सुनेंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं ? यह गुप चुप काना फूसी करना उचित नहीं है।

श्री सभापति—आप तो अपना भाषण जारी रक्खें।

श्री मानसिंह महार—इसलिये चेयरमैन महोदय, मैं कहना चाहता था कि जो आज के म्युनिसिपल चुनाव के समय ये मन्त्रीगण सरकारी मोटरों को काम में लेते हैं, चुनावों के समय मोटरों में जाकर लोगों को गुमराह करते हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे यहां सड़क नहीं बनाई जावेगी, अगर दूसरे पक्ष का आदमी चुनाव में जो आजावेगा तो एड दी जाती है वह बन्द करदी जावेगी आदि। आज के मन्त्री क्या कहते हैं वह भी सुन लें आप। अगर तुम दो चार दूसरी पार्टीज के आदमियों को बहुमत से ले भी आओगे तो मेरे पास नोमिनेशन का हथियार है और उसकी बिना पर हम तो हमारा काम कर लेंगे। ऐसी बातें की भी जाती हैं। ये बातें हमारे मंत्रीगण कहते हैं और खुले आम कहते हैं। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। अभी कल परसों ही एक दो मन्त्री जाकर आये हैं। कोई म्युनिसिपेलिटी का चुनाव हो रहा है वहां उन्होंने कहा कि अकाल के नाम से तुम्हें सहायता दिला दी जावेगी। वाटर बोर्ड से सहायता दिला दी जावेगी, यह कर दिया जावेगा, वह कर दिया जावेगा। ऐसी सूरत में आज के युग में हमको यह बात करनी है कि हम इस प्रकार के कानूनों में स्वस्थ परम्परायें कायम करने के लिए हमें

[श्री मानसिंह महार]

सबसे बड़ी जो रोक लगानी है वह मंत्रियों पर लगानी है । जितनी गड़बड़ियां आज के युग में की जाती हैं वे ये मन्त्रीगण करते हैं । उनके अन्दर क्षेत्रीयता कूट कूट कर भरी है, गुट्टबाजी कूट कूट कर भरी है । ये लोग जातीयता, और क्षेत्रीयता के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं । वे लोग पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, ये लोग रिश्वतें दे दे कर चुनाव जीतना चाहते हैं, ये अपने पक्ष के आदमियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आज के युग में भी वे सारे काम करते हैं जो निन्दनीय हैं ।

श्री सभापति—क्लॉज पर ही बोलें आप, विषयान्तर न जावें ।

श्री मानसिंह महार—चेयरमेन महोदय, आज ये युग के अन्दर यह स्थिति है । अगर पुराने जमाने में एक आदमी भी इस प्रकार की बात कह देते तो उसका पूरा पूरा समाधान होता था पर आज हम ही क्या उस पार्टी के खुद के आदमी कहते है कि ईमानदारी से चलो, न्याय करो, अन्याय का पक्ष मत लो, पर फिर भी ये लोग सुनते नहीं हैं किसी की आज । चेयरमेन महोदय, अगर हमें ईमानदारी से चुनाव कराने हैं तो जब तक मन्त्रियों पर पाबन्दी नहीं लगाई जावेगी तबतक यह सम्भव नहीं है । मैं तो यहां तक कहता हूँ कि जिस किसी भी क्षेत्र के चुनाव में अगर ये मिनिस्टर कोई भी मिनिस्टर जाने चुनाव के मौके पर तो उनका जाना ही करप्ट प्रेक्टिस में शुमार कर लिया जाना चाहिये । अगर इस प्रकार को चीजें इस बिल में आतीं तो हम यह मान सकते थे कि सरकार वाकई में ईमानदारी से चुनाव कराना चाहती है । लेकिन मन्त्रियों के ऊपर तो किसी प्रकार की करप्ट प्रेक्टेस का वह लगाने की कहें तो स्वयं मंत्रियों को ऐसा महसूस होता है कि यह तो हमें बदनाम करना चाहते हैं । आप इन छोटी २ बातों के बीच में पड़ना छोड़ें तो हम फूल मालाओं से आपका स्वागत करेंगे । हम कहेंगे कि ये तो ईमानदार मन्त्री हैं । आप जनता में जाकर यह कहें कि ईमानदार आदमियों को वोट दें । आज यह कहने की क्षमता तो किसी मन्त्री में नहीं है । वह जाकर कहेंगे कि तुम्हारे यहां बिजली के लट्टू लगा दिये जायेंगे । अगर तुम फलां व्यक्तियों को वोट दे दोगे तो । दूसरा जायगा तो यह कहेगा कि यहां सड़क बनवा देगें अगर वह चुनाव में आजायगा तो, तीसरा जायेगा तो यह कहेगा कि दो भंगियों को बेशी लगाकर तुम्हारे यहां सफाई करा दी जायगी । चौथा मन्त्री जायगा तो वह कहेंगे कि मैं फाइनेन्स मिनिस्टर हूँ, ५० हजार की इस एरिया में डवलपमेंट की मंजूरी दे दूंगा । एन. ई. एस. ब्लाक के अन्दर का चले गये तो कहेंगे कि यहां ब्लॉक खुलवा दूंगा । पांचवां जायगा और जिनके पास रेवेन्यू होगा तो वे कहेंगे कि यहां पर किसी तरह से झूठे बहाने से लगान में रिआयत दे दूंगा । ६ठे अगर होम वाले चले गये तो कहेंगे कि फलां थानेदार की बदली करा दूंगा और नेताजी तुम्हारे लिये फलां आदमी को पोस्ट कर दूंगा । फिर रेवन्यू मिनिस्टर साहब दुबारा जायेंगे तो कह देंगे कि तहसीलदार की बदली हो जायगी, एस. डी. ओ. की बदली हो जायगी! स्वायत्त मन्त्री पहुँच गये तो फौरनही हरिसिंह जी को पहुंचा देगें वहां पर ताकि सारा मामला गोलमोल कर दिया जाय । तो मैं यह कहना चाहता हूँ, चेयरमेन महोदय, कि यदि हमारे यहां स्वायत्तशासन संस्थाओं से ईमानदारी से काम कराना है तो मंत्रियो के ऊपर, चेयरमेन महोदय

[श्री मानसिंह महार]

मैं मंत्रियों से भी निवेदन करूंगा कि यदि जनता के समक्ष हमें ईमानदारी से वोट देने का काम कराना है तो उस इलाके में पैर नहीं देना चाहिये और इस प्रकार का इसके अन्दर एमेंडमेंट लाकर पेश करें अपनी तरफ से, मैं यह चाहूंगा कि ईमानदारी का अमेंडमेंट सरकार की तरफ से आना चाहिये । हम क्यों लायें ? आपके हाथ में सत्ता है । जिस प्रकार का पक्षपात या जो कुछ भी कहा जाय वह बात करेंगे तो आप करेंगे । हमारी जानिब से नहीं होता है तो आपको चाहिये कि आप इस प्रकार का प्रस्ताव इस बिल के अन्दर लायें कि म्युनिसिपल चुनावों के दो महीने पहले से उस क्षेत्र में कोई मन्त्री पैर नहीं धरेगा और पैर नहीं धरने के बाद कोई इस प्रकार की कार्यवाही करेगा तो वह चुनाव अवैध हो जायगा । इस प्रकार की बात लाते तो हम उसका स्वागत करते, हृदय से स्वागत करते । लेकिन यह कहने में चमकते हैं तो और भी दुख की बात होती है । हम चाहते हैं कि उनको फूल मालाओं से ढक दें मगर ढकें अच्छा काम करें तब । आप इस लायक नहीं बनना चाहते हैं । इस लिए मैं इस क्लॉज का विरोध करता हूँ और सदन से आशा करूंगा कि न्याय के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर, सदन इस क्लॉज को डिलीट करने के लिये मेरा समर्थन करे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय चेयरमेन महोदय, दफा ३२ ए में करप्ट प्रेक्टिसेज का डेफिनेशन दिया हुआ है कि करप्ट प्रेक्टिसेज में क्या क्या हैं, और इसके बारे में कहा जाता है कि इस क्लाज को डिलीट कर दिया जाय । मैं नहीं समझता कि यह कैसे करें । फिर तो इसका मतलब यह होगया कि करप्ट प्रेक्टिस खुद करें और कोई करे तो किसी को डर नहीं हो ।

श्री मानसिंह महार—उसके सुधार के लिए अपने पर अंकुश लगायें । डिलीट का मतलब यह है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के पेज ४ पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । इसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि—

"Clause 32 to 42 (Election Petitions).-The Committee is of the view that provisions in regard to Election Petitions be made in accordance with those of the Representation of the Peoples' Act, 1950, which has exhaustive provisions and also unformity in procedure may be had in the General Elections as well as in Municipal elections. These clauses have, therefore, been redrafted on the lines of those provisions."

जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है कि रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल्स एक्ट के जैसे प्रोवीजन हैं वैसे के वैसे प्रोवीजन यहां रख दिये गये हैं । वैसे ही प्रोवीजन्स पार्लियामेंट और असेम्बली के इलेक्शन के बारे में भी हैं । उन प्रोवीजन्स को रखने के बाद यह कहा जा रहा है कि जो दफा ३२ है उसको डिलीट कर दिया जाय ।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

माननीय चेयरमेन, ऐसा मालूम होता है महज गाली देना ही कुछ मेम्बरों की आदत हो गई है। वे दे सकते हैं। उनके सोचने विचारने की शक्ति खत्म होगई है।

श्री मानसिंह महार—आनरेबल मिनिस्टर तो गाली प्रूफ हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—गाली देने के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं रहा गया है। प्रोवीज़न क्यों रखा है, उसका मतलब क्या है, और इसको रखा जाय या नहीं, इससे फायदा है या नुकसान है, ऐसी कोई बात नहीं है।

दूसरी बात यह कही गई है कि धर्म का जो प्रोवीजन रखा है उसको वायड कर दिया जाय। मैं यह अर्ज करूंगा, माननीय चेयरमेन, कि यह हिन्दुस्तान के लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात है जिससे कि हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाकर साम्प्रदायिक बातें हुई हैं उससे हिन्दुस्तान का नुकसान हुआ है। आज यहां खड़े होकर महज इस बात को कहने के लिए कि हम धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। आज इन भावनाओं के बारे में कहना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर वोट लेने की इजाजत दी जाय और इसमें जो प्रोवीजन्स है उनको हटा लिया जाय। वे नहीं समझते हैं कि हमने इससे कितना नुकसान उठाया है।

श्री भैंरूसिंह—नुकसान उठाया है तो आपकी बदौलत हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—धर्म के नाम पर...

श्री मानसिंह महार—आप मुसलमानों से कैसे वोट लेना चाहते है ? कौन से धर्म के नाम पर लेना चाहते हैं ?

श्री सभापति—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--इसमें धर्म के नाम पर इन्टीमिडेट नहीं किया जाय, इन्टीमिडेट करने की बात को ऑफेन्स नहीं बनाया जाय। वे चाहते है कि इन्टीमिडेट करने की स्वतंत्रता दे दी जाय, छूट दे देनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि यह कौनसी समझदारी की बात कही जा रही है !

जो जनरल बातें कही जा रही है वे तो हैं ही। उनके पास सिवाय गवर्नमेंट को गाली देने या मिनिस्टर को गाली देने के और कोई काम नहीं रह गया है। उन बेकार की बातों की मुझे सफाई नहीं देनी है। जवाब दूंगा तो काउन्टर एलिगेशन करना पड़ेगा। इस लिए उनके अन्दर जाना मैं अपनी शान नहीं समझता और न उनकी शान में ठीक समझता हूं। मैं उनकी गालियों को वापिस कर देता हूँ यही सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा उपाय है। हाउस में उनको बोलने की रियायत

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

दी हुई है। उनको प्रिविलेज मिला हुआ है उसका अगर वे मिसयूज करेंगे तो उनका ही नुकसान होने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कैसी है वह दुनिया जानती है।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज ३२ ए विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३२ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३२ बी। इस पर कोई एमेन्डमेन्ट नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३२ बी विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३२ बी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३३, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—चेयरमेन महोदय, क्लॉज ३३ पर मेरे दो एमेन्डमेन्ट्स हैं। पहला है:—

"Substitute the figure '15' for '30' occurring in sub-clause (1)."

दूसरा है:—

"Substitute the following for sub-clause (2):—

"The petition may be presented by any candidate in whose favour votes have been recorded and who claims in the petition to be declared elected in the room of the person whose election is questioned by ten or more electors of the municipality or by a person who claims that his nomination was imporperly rejected."

[श्री चांदमल मेहता]

चेयरमेन महोदय, धारा ३३ में मेरा पहला अमेन्डमेंट इस बात से सम्बन्ध रखता है कि इलेक्शन पेटिशन कितने दिनों में की जाय। मौजूदा बिल में जो व्यवस्था है वह ३० दिन की है और मैंने संशोधन के जरिये ३० दिन के बजाय १५ दिन की मांग की है। चेयरमेन महोदय, जहां तक इलेक्शन पेटिशनकरने का सम्बन्ध है एक बात खास तौर पर खयाल में रखने की है और वह यह है कि वास्तविक पेटिशन हो और बनावटी पेटिशन होने के लिए कम से कम मौका दिया जाय। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी शिकायतें हो सकती है वे इलेक्शन होने के साथ ही सामने आजाती हैं, और शिकायतें सामने आने के लिए १५ दिन का समय पर्याप्त रहता है, और यदि अधिक वक्त बढाते हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ बनावटी पेटिशन बनने देने के लिए मौका देते हैं और आम तौर पर यह होता है कि जो प्रभावशाली केन्डीडेट हार जाते हैं तो वह अपने प्रभाव का उपयोग करके किसी तरह इलेक्शन पेटिशन को मंजूर कराने की कोशिश करते हैं और इस तरह से जो फर्जी कार्यवाही करते हैं जिससे सही न्याय मिलने का मौका नहीं रहता। दूसरे राज्यों के एक्ट भी मैंने देखे हैं और जो एक्ट सामने आये हैं उनको देखने से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि उनकी भी १५ दिन की जो मयाद रखी गई है, वह वाजिब है और इसीलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है और मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे।

दूसरा मेरा संशोधन इस बात से सम्बन्ध रखने वाला है कि इलेक्शन पेटिशन कौन कर सकता है। मूलत: धारा है उसमें यह है कि केन्डीडेट कर सकता है दस या उससे अधिक इलेक्टर्स हों तो वे कर सकते हैं। मैंने संशोधन से इस में थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि जिस व्यक्ति का नोमीनेशन इम्पेरली रिजेक्ट हो गया हो उसे अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी ओर से इलेक्शन पेटिशन फाइल कर सके। यह कई दफा मौका देखने का आता है कि किसी के दबाव से, या भूल से किसी न किसी रूप में नोमीनेशन खारिज कर दिया जाता है और नोमीनेशन खारिज कर दिया जाय तो यह आवश्यक है कि इस तरह नोमी नेशन खारिज हो तो उसको मौका दिया जाय। दूसरी बात यह है कि केन्डीडेट के बारे में यह व्यवस्था की है कि केन्डीडेट अपनी ओर से इलेक्शन पेटिशन फाइल कर सकता है। मैंने थोडी तब्दीली की है। इलेक्शन पेटिशन कर सकता है बशेर्ते यह मानें कि इलेक्टेड केन्डीडेट के बजाय उसको केन्डीडेट डिक्लेयर किया जाय. नहीं तो लाजमी है कि १० या उससे अधिक नहीं करे। (अश्रव्य) एक केन्डीडेट हारता है तो स्वाभाविक है कि उसको जीतने वाले के प्रति ईर्ष्या होगी और इस वजह से वह पेटिशन करता है। इलेक्शन पीटिशन तो ऐसे ग्राउन्ड पर पैदा होता है कि वह केन्डीडेट दूसरे चुने जाने वाले केन्डीडेट के मुकाबले में उसका केन्डीडेट न इलेक्ट किया जाय तो वह पेटिशन कर सके लेकिन नहीं होता है तो वह ईर्ष्या के अन्दर आकर पेटिशन करता है फिर वह होना चाहिए कि १० या १० से अधिक मिल के इलेक्शन पेटिशन करें। इसी दृष्टि से मैंने यह संशोधन रखा है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे दोनों संशोधन वाजिब हैं और दूसरे प्रान्तों में जो व्यवस्था है उसी आधार पर मैंने रखे हैं। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्रीजी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री भैरुंसिंह—(१६) माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज ३३ में इस बात का उल्लेख है कि एक चुनाव के विरूद्ध चुनाव याचिका कौन प्रस्तुत कर सकेगा और वह कितने समय तक प्रस्तुत की जानी चाहिए ? जहां तक इस धारा की उप धारा १ का प्रश्न है वहां तक यह व्यवस्था की जा रही है कि चुनावों का रिजल्ट अनाउन्स करने की तारीख से लेकर ३० दिनों के भीतर भीतर चुनाव याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। माननीय चेयरमेन महोदय, चुनाव याचिका में की सारी बातों को लेकर यदि दो मांगों में उसको विभक्त करूं तो यह चीज स्पष्ट रूप से समझ में आ सकेगी। पहली बात होगी चुनाव के सम्बन्ध में। कोई गलत करप्ट प्रेक्टिस की गई हो, कोई गलत तरीका काम में लाया गया हो, कोई अनड्यू इन्टरफियरेन्स किया गया हो और उस वजह से कोई हारने वाला जीत गया हो और जीतने वाला हार गया हो तो एक प्रकार से एक उस तरह का इलेक्शन पेटिशन होगा और दूसरा नोमीनेशन को लेकर होगा कि किसी का गलत रूप में नोमीनेशन होगया या उसका गलती से रिजेक्ट हो गया। इन दोनों बातों को लेकर कोई व्यक्ति इलेक्शन पेटिशन कर सकेगा जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय चेयरमेन कि नोमीनेशन रिजेक्ट नहीं हुआ या गलती से नोमीनेशन हो गया और उसके लिए चुनाव याचिका प्रस्तुत की जाय तो वहां पर हम देखते हैं कि माननीय चेयरमेन कि उस समय कोई कार्यवाही नहीं की जाती और उस वक्त कार्यवाही न की जाने के कारण, केवल एक इश्यू को चुनाव के पश्चात्, गलत नोमीनेशन होने के कारण नोमिनेशन रिजेक्ट होने के कारण उसे खमियाजा यह उठाना पड़ता है कि ६ महीने बाद में जब इलेक्शन पेटिशन मंजूर होता है तो दुबारा चुनाव कराने पडते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चुनाव याचिका दो भागों में विभक्त है, एक भाग तो करप्ट प्रेक्टिसेज को लेकर के है और दूसरा नोमीनेशन को लेकर के है, नोमीनेशन को लेकर जो इलेक्शन पेटिशन किया जाय तो उसकी स्क्रुटिनी हो उस दिन से लेकर ७ दिन के अन्दर इलेक्शन पेटिशन कर दी जाय और उसका फैसला चुनाव होने के अन्तिम दिन तक सुना दिया जाय। अगर उस समय ऐसा लगता हो कि नोमिनेशन गलती से रिजेक्ट हुआ है अथवा गलती से स्वीकार हुआ है तो वह जिस ओफिसर के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास इलेक्शन पेटिशन जाय, उस इलेक्शन पेटिशन का वह फैसला देकर चुनाव के लिए नोमीनेशन्स लेकर दुबारा व्यवस्था कराये। माननीय चेयरमेन, जनरल इलेक्शन के वक्त में हमारे सामने दिक्कतें आयीं। हममें से कई व्यक्तियों को नोमीनेशन के इश्यू को लेकर इधर उधर फिरना पड़ा, कई व्यक्तियों के टेक्निकल ग्राउन्ड पर नोमीनेशन रिजेक्ट हो गये, गलती भी किसी की, मंजूर कर लिये किसी के, इलेक्शन पीटिशन होती है चुनाव कराने के बाद और उसका फैसला होता है ६ महिने के बाद और अगर उस इलेक्शन पेटिशन को स्वीकार किया जाता है। तो फिर उस नोमीनेशन को लेकर सारा चुनाव रद्द किया जायगा। और मामूली टेक्निकल मिस्टेक्स के कारण सारे चुनाव रद्द हो जाते हैं। इस सदन में भी देखा है। वोटर्स को परेशान नहीं करना चाहिए खड़े होने के लिए परेशान नहीं करना चाहिए सबसे बड़ी परेशानी मेरे नजदीक है वह यह परेशानी है कि यदि किसी का नोमीनेशन रिजेक्ट होता है, स्वीकार नहीं करते हैं तो उसके सम्बन्ध मेंजो जो इलेक्शन पेटिशन किया जाय वह चुनाव कराने की तारीख से पहले पहले होना चाहिए और जब स्क्रुटनी के लिये जो तारीख हो तो सात दिन के अन्दर वह चुनाव याचिका पेश की जाय और वह अधिकारी वोट डाले जाने की तारीख से पहले पहले फैसला दे दे। चुनाव गलत

[श्री भैरू सिंह]

हुआ, अवोइड किया जाता है और उसको रद्द करने में दिक्कतें आवेंगी, नोमीनेशन पेपर इन्वाइट करो और फिर नया चुनाव कराओ, यह एक परेशानी पैदा कर देते हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि एक भाग के लिये यह किया जाय कि सात दिन के अन्दर चुनाव याचिका प्रस्तुत हो जाय और वोट डाले जाने की तारीख के पहले उस चुनाव याचिका का फैसला हो जाय। दूसरे भाग में तीस दिन की व्यवस्था की गई है वह उचित है। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उसमें हेरफेर किया है। उन्होंने यह कहा है कि १५ दिन स्वीकार कर लेने चाहिये। मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि इसमें काफी दिक्कतें आवेंगी। १५ दिन में कोई आदमी साधन नहीं जुटा सकता है आगे व्यवस्था की गई है, सिक्योरिटी जमा करने की। कई चुनाव याचिका होंगी, जहां कस्बा है तो वहां १००) जमा कराने पड़ेंगे सिक्योरिटी के रूप में, कई गरीब चाहते है कि चुनाव में अन्याय हुआ है तो उनको इलेक्शन पेटिशन करना पड़ेगा, साधन नहीं मिलने से दबाव में वे आ सकते हैं, और इस प्रकार कम अवधि रख कर आप उनको एक तरह से दबाव में आने का मौका देते हैं, वह एक दिन के अन्दर कैसे अपने साधन जुटा सकेगा, इलेक्शन पेटिशन की फिर तैयारी करो·······

इलेक्शन पेटीशन दायर करे तो उसमें दिक्कत क्या है। १५ दिन का सुझाव असंगत है उसमें कोई दम नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसको अस्वीकार करते हुये जो दो केटेगरीज मैंने रखी हैं उनको स्वीकार करें। इसका संशोधित रूप प्रस्तुत करेंगे।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं उपधारा (२) के विषय में। उस में कहा है

"A petition may be presented by any candidate in whose favour votes have been recorded or by 10 or more electors."

माननीय चेयरमेन, हमने एक पाबन्दी लगाई है कि यदि कोई इलेक्शन पेटीशनकरना चाहते तो वे कौन कौन लोग हो सकते हैं, या तो वह जो स्वयं कंडिडेट है वह पेटीशन कर सकता है या ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जो १० आदमी हों और उनके हस्ताक्षर उस पेटीशन पर हों। मैं समझता हूँ चुनाव की गलती को एक्सपोज करने के लिए और गलती से चुने हुए लोगों को अपदस्थ करने के लिए कोई एक भी व्यक्ति चाहे वह कंडिडेट है या नहीं या १० व्यक्तियों को अपने साथ रखता है या नहीं लेकिन वह वोट देने वाला है। उसको चुनने का अधिकार है उसको क्यो नहीं अधिकार दें कि यदि उसके ध्यान में चुनाव में गड़बड़ हुई है तो उसको क्यों नहीं हक दिया जाय कि वह पेटीशन कर सके। केन्डिडेट को तो तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। प्रलोभन देकर उससे यह कहलाया जा सकता है कि मैं पेटीशन नहीं करना चाहता और यदि १० आदमी इकट्ठे होते हैं तो उनमें से कुछ को अपने असर या प्रभाव शाली व्यक्ति अपने प्रभाव को एक्ससरसाइज करें तो यह कोशिश कर सकते हैं कि १० आदमी इकट्ठे नहीं हैं और उनमें से ५ आदमी यह कह दें कि हम पेटीशन को विड्रा करना चाहते हैं, इसमें भाग नही

[श्री भैरू सिंह]

लेना चाहते, हमसे भूठे ही दस्तखत करवालिये हैं । इस तरह से पेटीशन करने से उनको रोका जा सकता है । दलील में यह कहा जाता है कि यदि किसी की पेटीशन पर १० आदमी भी हस्ताक्षर करने वाले उसके पक्ष में नहीं हैं तो फिर वह पेटीशन करने का हकदार कैसे हो सकता है । मैं निवेदन करूंगा कि एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपने सिद्धान्त पर वोट मांगे । एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपने सिद्धान्त के कारण उस नगर के बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ हो, लेकिन वह एक सिद्धान्त में विश्वास करता है, उसके कारण यदि उसको चुनाव में कोई गड़बड़ हुई नजर आती है तो उसको अधिकार होना चाहिए कि वह पेटीशन कर सके । हम पाबन्दी डाल दें कि १० आदमियों के दस्तखत कराने पड़ेंगे या वह कैंडिडेट होगा तो कर सकेगा नहीं तो नहीं कर सकेगा, यह मैं समझता हूँ अन्याय होगा और अन्याय को प्रोत्साहन देना होगा । अन्याय को न्याय में परिणित करने की चेष्टा करें तो यह गलत बात है ।

आप कहते हैं कि पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में ऐसी चीज़ ली है । पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट एक बड़ी चीज के लिये हैं । छोटे छोटे लोकल बोडी में इन चीजों को लागू नहीं कर सकते । उनमें कोई चीज अच्छी हो उसको लागू कर सकते है । विस्तृत होने के कारण सिद्धान्त में अच्छे हो सकते हैं, और बुरे भी हो सकते हैं । अच्छा यही होगा कि ५००० की आबादी में से कोई एक भी व्यक्ति यदि चाहे तो उसको इलेक्शन पेटीशन करने का अधिकार होना चाहिए । इसलिये दूसरी उपधारा जो है जिसमें यह प्रबन्ध है कि चुनाव याचिका केन्डिडेट या १० इलेक्टर कर सकते हैं । उस सारी व्यवस्था को दूर कर मन्त्रीजी उदार होकर हर व्यक्ति को अधिकार दें कि चुनाव कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को चुनाव के प्रति शिकायत है तो उसको दूर करने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है । और यदि हमने केन्डिडेट या १० आदिमियों के हस्ताक्षर की पाबन्दी लगाई तो ठीक है अभी तो आप बहुमत से इसे पास कर लेंगे लेकिन इसकी कोई सराहना नहीं करेगा । यदि ऐसा करेंगे तो आप जनतंत्र पर कुठाराघात करने की नीति अपनायेंगे । अन्त में यह कहता हुआ मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि किन शब्दों का समावेश हो सकता है, यह पढ़कर सुना दूं । उपधारा (२) का प्रश्न है उसमें से ये शब्द हटा दिये जांय, उसमें लिखा है;—

"A ptition may be presented by any condidate in whose favour votes have been recorded or by 10 or more electors-"

ऊपर से इतने शब्द रख लिए जांय:—

"A petition may be presented by any elector."कोई भी वोट देने वाला है वह पेटीशन पेश कर सकता है । जहां तक पहलेवाली धारा का प्रश्न है उसमें इतना संशोधन चाहता हूं कि नोमिनेशन के फार्म को लेकर इलेक्शन पेटीशन करना चाहिये । इसमें प्रोविजो एड करके व्यवस्था कर दें । वह इस प्रकार है;—

[श्री भैरूंसिंह]

"provided that an election petition under sub-clause [c] of clause 32 shall be presented within seven days excluding gazetted holidays from the date of the scrutiny of the nomination papers."

जिस दिन नोमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी हो उस दिन से लेकर ७ दिन के अंदर अंदर नोमिनेशन के संबन्ध में शिकायत हो तो इलेक्शन पेटीशन पेश कर दें। आगे यह भी रखा है कि चुनाव पिटीशन का फैसला चुनाव की तारीख से पहले ही कर दिया जाय ताकि चुनाव दुबारा कराने में कोई दिक्कत नहीं आवे। यह सजेशन आपको गाली देने वाला नहीं है, आपको चिढ़ाने वाला नहीं है। बल्कि एक कान्क्रीट सुझाव है जो जनता की तकलीफ को दूर करने वाला और चुनाव में सहूलियत लाने वाला है। मैं समझता हूं इसको स्वीकार करके मंत्रीजी उदारता का परिचय देंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं मैं आज इस स्थित में नहीं हूँ कि लिखे हुए संशोधन मूव करूं क्योंकि मैंने लिखित रुप में संशोधन नहीं दिये हैं लेकिन मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी यदि माननीय मंत्रीजी इन बातों के लिये लिखित संशोधन दें। अगर वे चाहें कि इन भावनाओं का समावेश करना है तो मैं निवेदन करूंगा कि वे इस क्लाज को डेफर करदें और बाद में वाजिब संशोधनों के साथ इसे फिर से रखें तो वाजिब होगा।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लाज ३३ के बारे में जो सदन के समक्ष बातें आई हैं उन के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहाता हूँ कि इस के अन्दर सबसे बडी जो कमी है यह है कि ३३(२) में लिखा है:—

"A petition may be presented by any candidate in whose favour votes have been recorded or by ten or more electors." हम यह कहते हैं कि एक कोन्स्टिटूएन्सी का प्रत्येक वोटर केन्डिडेट के रूपमें खडा हो सकता है लेकिन केन्डिडेट के रुप में खडा होने के बाद खडे होने वाले एक आदमी को सरकार इतना हक देती हैं कि वह तो अकेला भी इलेक्शन पेटीशन कर सकता है लेकिन जो आदमी उसी कोन्स्टिटूएन्सी के वोटर हैं उनमें से किसी को आपत्ति हो तो १० आदमियों को इकट्ठा होकर इलेक्शन पेटीशन पेश करनी पडेगी। चेयरमेन महोदय, इसके ऊपर काफी विस्तार से टांता रामगढ से आये हुए मित्र ने प्रकाश डाला है लेकिन मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि १० आदमियों को एक साथ इकट्टा होना, पेटिशन तैयार करना, फिर पेटिशन को लेकर जो पेटिशन सुनने वाला ट्रिब्युनल होगा उसके समक्ष जाना और वहां पर पेटिशन की की सुनवाई जितने दिन चले उतने दिन हाजिर रहना इस में १० व्यक्तियों का कितना धन और समय नष्ट होगा इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये। खाली यह कहने से काम नहीं चलने का है कि १० आदमी पेटिशन लेकर ट्रिब्यूनल के पास जाकर पेश करेंगे। उनके वहां तक आने जाने में कितना धन और समय नष्ट होगा इस ओर ध्यान दीजिये।

[श्री मानसिंह महार]

दूसरी बातें जो हैं उनकी ओर देखिये कि कितने दिनों तक उस पेटिशन की तारीखें चलेंगी कितनें दिनों तक उन दसों आदमियों को अदालतों में जाकर खड़े रहना पड़ेगा। एक वकील साहब कहते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है पर उनके जैसे वकील खड़े होकर कह सकते है कि आज उनमें से एक आदमी नहीं आया है इसलिये पेटिशन खारिज कर दी जाय।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

ऐसी सूरत में हम नहीं चाहते कि उन वकीलों को पैसा दें। आज दुनियां को जितना नुकसान पहुँचाया है इन वकीलों ने पहुंचाया है, दुनियां में जो चोरी बेईमानी भरी है वह इन वकीलों की वजह से भरी है। वे झूट को सच बना देते हैं और सच्चे को झूटा बना देते हैं और डाकू को ईमानदार बना देते हैं. इसलिये मैं तो यह कहता हूँ कि इन वकीलों पर पाबन्दी होनी चाहिये कि इनको अदालत में न जाने दिया जाय।

श्री **तेजमल बापना**—आपको भी तो वकील ने बचाया ?

श्री **मानसिंह महार**—कभी नहीं, मैं इस प्रकार के बेईमानों की चाल में कभी नहीं फसूंगा।

(हंसी)

१० वोटस की बात है, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करुंगा कि वे परफेक्ट बनें। इन कुर्सियों पर बैठते ही यह नहीं समझ लें कि यह स्वर्ग का तख्ता हमारे सामने आ गया है।

(घंटी)

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—It is a Report of the select committee and not of the Gevernment.

श्री **उपाध्यक्ष**—इसी के बारे में कहें।

श्री **मानसिंह महार**—मैं नहीं सुन सका कि माननीय मन्त्रीजी ने क्या फरमाया। वे थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं, जो अक्सर समझ में कम आता है। नहीं तो मैं जवाब देता।

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—गवर्नमेंट ने नहीं, सिलेक्ट कमेटी ने पेश किया है।

श्री **मानसिंह महार**—सिलेक्ट कमेटी में भी आपका बहुमत रहता है, आप ऐसे आदमियों को तो सिलेक्ट कमेटी में लेना ही नहीं चाहते जो सही बातें बता सकें।

[श्री मानसिंह महार]

जो १० वोटर्स की बात रखी है वह सरासर अन्यायपूर्ण है, बिलकुल गलत है। हमको वास्तविकता की ओर जाना चाहिये। कान्स्टीट्यूएन्सी में जिसको वोटिंग का हक है उसको इलेक्शन पेटिशन देने का भी उतना ही हक है जितना कि अधिकार इलेक्शन के लिये खड़े होने वाले केन्डीडेट को है।

मैं समझता था कि माननीय मन्त्री महोदय इसमें उदार हृदय दिखायेंगे, लेकिन इस तरह की आशा रखना ही व्यर्थ है, फिर भी आशा करता हूं कि इतने कहने पर वे जरूर विचार करेंगे १० वोटर्स की बात को हर एक अनुचित मानता है, यह बिलकुल नहीं रहना चाहिये। केन्डीडेट रखने की जरूरत ही क्या है........"any elector' कर दें।

किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो १५ दिन की मयाद रखी है उसे भी मैं अनुचित मानता हूँ, इसके लिये पैसा इकट्ठा करने में और तैयारी करने में टाइम लग ही जाता है। इसके लिए ३० दिन की मयाद ठीक है। १५ दिन की कर दी गई तो वकीलों को महन्ताना देने में, पैसा जुटाने में, पैसा लाने में दिक्कत हो जायगी। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि ३० दिन का सुझाव है उसको वैसा ही रखना चाहिये।

तीसरी बात जो मुझे इस क्लॉज के बारे में निवेदन करनी है वह है रिजेक्शन ऑफ नोमिनेशन पेपर के बाबत जो रोंगली नोमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं उनको चुनाव से पहले इलेक्शन पेटिशन का इन्तजाम नहीं करते हैं तो यह केन्डीडेट्स और वोटर्स के लिये, दोनों के लिये अन्याय की बात है। और इससे वोटर्स को दुबारा चुनाव के झगड़े में पड़ कर दिक्कत उठानी पड़ती है। तो जो मेरे मित्र ने ७ दिन का सुझाव दिया है उसको कम कर दीजिये पर जिनके नोमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो गये हैं इस कानून में जरूर रखिये कि वे लोग चुनाव से पहले अपनी चुनावयाचिका पेश करें और ऐसा इन्तजाम कीजिये कि चुनाव से पहले फैसला भी हो जाना चाहिये। इलेक्शन पेटिशन का मामूली मामला होता है, जितना जल्दी फैसला कर सकें उतना जल्दी कर दिया जाय। वाकई नोमिनेशन रोंगली हुआ है तो उस चुनाव को स्थगित कर दीजिये ताकि वहां की जनता को दुबारा चुनाव करने की दिक्कत न आये कि वह दुबारा वोट दे और एक महीने के बाद उस केन्डीडेट को रिजेक्ट होना पड़े। यह हिन्दुस्तान में एक गलत पद्धति पड़ गई है और इस तरह दुबारा चुनाव होने के कारण लोगों में चुनावों के प्रति उदासीनता पैदा हो गई है वे देखते हैं कि चुनाव तो रोज ही होते रहते हैं इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि इस चुनाव याचिका के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कीजिये और सोचिये कि चुनाव के पहले चुनाव याचिका हो जाती है और फैसला हो जाता है केन्डीडेट्स की, वोटर्स की और सरकार की कितनी दिक्त मिट जाती है।

इस प्रकार की व्यवस्था "Representation of the Peoples Act" में भी करने की बात है। तो फिर इसमें क्यों नहीं किया जाय। अगर हम चाहते है कि ऐसा करना चाहिये तो इसमें जनता, सरकार और सरकारी अफसरों को सबका फायदा है। चुनाव के लिए सरकारी अफसरों को दो दो बार इन्तजाम नहीं करने पडेंगे। शायद यह कहा जाय कि दूसरी जगहों में से ऐसी बात नहीं

[श्री मानसिंह महार]

होती तो मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें एक उदाहरण पेश करना चाहिये कि जो अच्छी बात है उसके राजस्थान में कर रहे हैं और दूसरे प्रान्तों के लिये भी मिसाल पेश कर रहे हैं कि जनता की सहूलियत को हम इतना देखते हैं, इलेक्शन का जो तरीका है उसमें हमने रिवोल्यूशन किया हैऔर जनता को सहूलियत दी है।

मैं मन्त्री महोदयसे आशा करूंगा कि वे मेरे इस छोटे सुझावको अवश्य स्वीकार करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति और खास तौरसे वे व्यक्ति जिनका रोग नोमिनेशन के आधार पर फार्म रिजेक्ट हुआ है, अच्छी तरह जानते हैं कि दुबारा इलेक्शनमें कितनी दिक्कतें आती हैं। मेरे एक साथी को ढाई वर्षतक मुकदमा लड़ना पड़ा। अगर चुनाव के पहले ही फैसला हो जाता तो जितनी दिक्कत हमको आई, वकीलों की, दीगर कामों की, गवाहों को गांव से लाने और उनको ले जाने की दिक्कत आई, उनके लिए खर्चा करना पड़ा। अगर जैसे कि मैंने सुझाव दिया पहले ही चुनाव याचिका हो जाती तो इतना खर्चा बच जाता और ढाई वर्ष तक जो मेन्टल वरी हुई वह भी नहीं होती।

मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा, सदन से निवेदन करूंगा कि इस पोइन्ट पर ठन्डे दिमाग से सोचेंगे और मंत्रीजी इस पर तो जरूर कुछ करेंगे ताकि हम समझ सकें कि जनता की सुविधाओं को निबाहने के लिए वे कुछ कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण क्लाज है। जब कोई नोमिनेशन केन्सल कर दिया जावे या किसी टेकनिकल ग्राउन्ड पर अस्वीकार कर लिया जाता है तो यह देखना है कि आया इलेक्शन पेटिशन रिजल्ट एनाउन्स होने के तीस दिन के अन्दर अन्दर की गई है। या यह भी मुमकिन है कि जब तक इलेक्शन पूरा न हो और इस प्रकार के टेक्नीकल ग्राउन्डस पर फार्म नामंजूर हो जाते हैं तो summarily by way of election petition. अभी अभी हमने देखा है कि पीपल रि. एक्ट में, पहले यह खामी थी कि इससे पैसा फालतू बरबाद होता है ? सरकार का और केन्डीडेट दोनों का पैसा बरबाद होता है और जब हाईकोर्ट या ट्रिब्यूनल का फैसला दूसरे व्यक्ति के फेवर में हो जाता है तो कामयाब केन्डीडेट को फिर परेशानी होती है। इसलिये इसमें सुधार किया गया है और खामियों को दूर करने के लिये ऐसा किया गया है ताकि इसका फैसला जल्दी हो जाए और वह व्यक्ति by way cf appeal इलेक्शन कोन्टेस्ट कर लेगा। सेक्शन ३३ में केवल शब्द है इलेक्शन पेटीशन के द्वारा Returning Officer के Result announce करने के बाद अपनी ग्रीवेन्स या ग्राउन्डस रखने का। आगे चल कर रूल्स फ्रेम किये जाते हैं। जहां पर किसी व्यक्ति को टेक्नीकल ग्राउन्ड पर रिजेक्ट किया जाता है तो उसका फैसला इलेक्शन होने के पहले पहले होना ठीक हो सकता है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यह किसी हद तक incontravention of the main provisions of clause 33 नहीं हो जावेगा और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसा है जिसपर गंभीरता से विचार करना चाहिये और हमारे रूल्स में प्रोवाइड करना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री इस पर कुछ भी फरमावें मैं नहीं कह सकता कि क्या कहेंगे लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इसको डेफर कर दिया जावे तो अच्छा होगा। इस पर लीगल एडवाइज भी पूरी तरह से ली जा सकेगी और आगे हाईकोर्ट में जाने की लोगों को गुंजायश पैदा नहीं होगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, फोर्म रिजेक्ट हो जाने के बाद जो केन्डीडेट रिजेक्ट हुआ है उसको चुनाव के पहले पहले ऐसा मौका दिया जाना चाहिये कि जिससे वह चुनाव में अगर उसकी पेटिशन मंजूर हो जाए तो खड़ा हो सके। मैं यह कहूँगा कि इस बात के लिये पहले भी इनकार किया गया गया था और दूसरी जगह इस सम्बन्ध में जो कानून हैं उन पर भी विचार किया गया था। मैं यह कहूंगा कि इलेक्शन पेटिशन होती ही है तब है जब इलेक्शन समाप्त हो जाते हैं। वह बाद में होती है और आम तौर से खर्चे के डिफरेन्स के लिये आती है। इससे पहले नों० पे० इसलिये रूल्स में रखने की बात कही और कहा कि यह पीपल्स एक्ट में मौजूद है और किसी उम्मीदवार का फोर्म रिजेक्ट हो गया उसको अपील करने का अधिकार दिया गया है। मैं यह कहूँगा कि जनरल इलेक्शन रूल्स में इस प्रकार की तजवीज की जा रही है कि चुनाव होने से पहले उनको हाईकोर्ट में रिट दायर करने का अवसर दिया जावे। मैं समझता हूँ कि मैंने कहा वह काफी है और अगर फिर भी दुबारा माननीय सदस्य इस पर सोचना चाहते हैं और यह कहें कि यह इललीगल है तो इसको डेफर कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—क्या इस क्लॉज को डेफर करने की सदन की अनुमति है?

(स्वीकृति)

यह क्लॉज डेफर किया गया।

(विराम)

क्लाज ३३ ए, श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज ३३ ए पर मेरा एमेन्डमेंट इस इस प्रकार है। "Substitute the following for clause 33A:—

"[1] The person whose election is questioned and where the petition claims that any other candidate shall be declared elected in the room of such person, every unsuecessful candidate who has polled more votes than such candidate shall be made respondent to the pettiion."

"[2] Every respondent may give evidence to prove that any person in respect of whom a claim is made, that such person be declared elected in his room or in priority to him, should not be dcelared so elected in the same manner as if he had presented a petition against the election of of such person."

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज ३३ (ए) में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई इलेक्शन पेटिशन हो तो उसमें जितने केन्डीडेट हों उन सब को एक साथ पार्टी बनाया जावे। मेरे संशोधन का आशय यह है कि यदि इलेक्शन पेटिशन इस तरह की है कि जिसमें यह मांग की गई हो कि जो केन्डीडेड इलेक्ट किये गये हैं उनको सब को पार्टी बनाया जावे तब तो यह आवश्यक है कि उनको पार्टी बनाया जावे। वरना जो संबन्धित हैं उनको ही पार्टी बनाया जावे। मूल धारा में

[श्री चांदमल मेहता]

यह है कि अगर कोई इलेक्शन पेटिशन करे तो ५, ७ या १० जितने भी हो उनको पार्टी बनाया जावे। तो मैं यह कहूंगा कि इससे अननेसेसरी खर्चा होता है। इस आइडिया को दृष्टिकोण में रखते हुए मैंने अपना यह संशोधन रखा है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, क्लाज (ए) ३३ में जो संशोधन क्लॉज नम्बर (२) है उस संबंध में मेरा निवेदन है कि जो प्रोविजन यहां पर रखा गया है वह क्लॉज ३५ के सब क्लाज (६) में कर दिया गया है। और क्लॉज (१) में जो आपने मांग की है उसको मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज ३३ (ए) में जो मेरा दूसरा एमेन्ड-मेंट है उसको मैं वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री चांदमल मेहता—क्लॉज ३३ (ए) में मेरा जो दूसरा एमेन्डमेंट है उसको मैं वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लाज ३३ ए पर संशोधन नम्बर १ जो श्री चांदमल मेहता ने रखा है, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३३ ए, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३३ ए, संशोधित रूप से विधेयक में अंगरूप से, जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३३ (बी), श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—वक्त हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—अभी चलेगा।

श्री चांदमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३३ बी विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३३ बी विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ३३ सी व ३४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३३ सी और क्लॉज ३४ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३३ सी व ३४ विधेयक में अंगरूप से जोड़े गये।

क्लॉज ३५

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, वक्त तो हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—अभी वक्त नहीं हुआ।

श्री वेदपाल त्यागी—उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि कल बहुत देर तक बैठे थे इसलिये आज ८ से १२ बजे तक का ही वक्त रखा जाय।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, ३५ में मेरा संशोधन इस प्रकार है—

"Substitute the following for the words" as nearly...petition "occurring in the sub clause (3)."

"So far as it not inconsistent with this Act or any rules and so far as it can be made applicaple, be followed in the hearing of election petitions."

मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है यह भाषा का इम्प्रूवमेंट है, आशा है माननीय मन्त्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

Page No 92

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ३५ पर जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३५, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३५, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से, जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३६ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३७

श्री भैंरूसिंह—उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री उपाध्यक्ष—आप इस पर कितना समय लेंगे?

श्री भैंरूसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण क्लॉज है और समय का तो प्रवाह के ऊपर निर्भर है, कम से कम २० मिनिट तो लेऊंगा ही।

श्री उपाध्यक्ष—तो फिर सदन की कार्यवाही दिनांक १३।४।५६ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १२ बजकर ५ मिनट पर, दिनांक १३-४-५६ के लिये स्थगित हुई।]

विधान सभा भवन,
जयपुर
११ अप्रेल, १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा

परिशिष्ट १

(वे प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्ता की अनुपस्थिति में सदन की मेज पर रक्खे गये और जिन्हें प्रकाशित करने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है)

४३६. (६६। ए. टी. एम.) श्री मोटाराम चौधरी, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १०४:—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) तहसील सिवाना में गुडानाला का जो नाला मेलिकबंद में डाला गया है उस पर कितना रुपया खर्च किया गया है और किस किस तरह से ?

(ख) क्या इस बांध के लगाने से पानी मेलिक बांध में जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये जिम्मेवार कौन कौन अधिकारी होगा ?

उत्तर

(क) तहसील सिवाना में गुडानाला को बांध कर मेलिक बंध में डाला जा रहा है जिस पर अभी तक १३,०१५) रुपये व्यय हो चुके हैं ये रुपये मिट्टी की खुदाई, पत्थर की चुना, सुखे पत्थरों द्वारा बोल्ड भराई बुनियाद में लाइम कंकरीट और सीमेन्ट पोइन्टिंग आदि में व्यय हुआ है इस काम का फाईनल बिल अभी तक बना नहीं है। क्योंकि काम बाकी है।

(ख) इस बांध के बनाने से पानी अगर वर्षा अच्छी हुई तो मेन बांध में जायगा। अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो रास्ते में ही लुप्त हो सकता है। यह बारिश पर निर्भर है। इसकी जांच सहायक अभियन्ता जोधपुर द्वारा कराई जा चुकी है। और अधिक भी अभियन्ता ने भी मौके पर जा २ कर देख भाल करली है।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ४३८ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING BALANCE UNDER VARIOUS HEADS
FOR N. E. S. BLOCK SAWAI MADHOPUR
IN YEAR 1955-56.

S. No.	Heads.	Balance.	Remarks.
	STAFF		
1.	Pay of officers.	410/13/-	
2.	Pay of Establishment.	998/3/-	
	ALLOWANCE AND HONORARIA.		
3.	Dearness Allowance.	750/10/-	
4.	Travelling Allowance.	383/-	
	OTHER CHARGES (RECURRING).		
5.	Stationary & Printing.	– (Invoices are under adjustment)	
6.	Postage & telegram.	–	
7.	Light & Water Charges.	23/15/6	
8.	Telephone & trunk.	100/- (Already surrendered)	
9.	Liveries.	–	
10.	Repairs to furniture and typewriter.	3/4/-	
11.	Miscellaneous.	55/11/-	
	SUPPLIES (RECURRING).		
12.	Maintenance & running of Jeep.	286/2/-	
	WORKS (NON-RECURRING).		
13.	Office Building & Garage	–	
14.	Houses for staff & V. L. Ws. (Loan).	80,000/-	The scheme is not yet sanctioned by the Govt.

S. No.	Heads.	Balance.	Remarks.
	SUPPLIES (RECURRING).		
15.	Seeds & Fertilizers.	2/7/-	
16.	Medicines for V. L. Ws. & Stockman.	35/7/-	
	WORKS (NON-RECURRING).		
17.	Laons, construction of wells tanks Bunds etc.	-	
	WORKS (NON-RECURRING).		
18.	Drinking Water supply.	-	
	SUPLIES (RECURRING).		
19.	Grant-in-aid to Hospital	3152/-	Since the A.G. raised an objection that aid can not be given to the regular deptts. This amount could not be utilised fully except suppling some material to village Dais.
20.	Medicine with V. L. Ws.	1076/12/-	Orders could not be complied by the firm.
	SUPPLIES (RECURRING).		
21.	Grant-in-aid to schools	209/3/-	
22.	Allowances & Honorarias.	590/-	
	EQUIPMENT (NON-RECURRING).		
23.	Radios.	-	
24.	Musical Instruments.	1/-	
25.	Magic Lantern, Camra etc.	42/7/-	
26.	Material for children's play.	2/4/-	
27.	Material for women work Centre.	44/13/-	
	SUPPLIES (RECURRING).		
28.	Prizes for best village	-	

S. No.	Heads.	Balance.	Remarks.
29,	Publicity.	26/12/-	
30.	Books and priodicals.	-	
	SUPPLIES (NON-RECURRING).		
31.	Material for cultural activities.	7/4/6	
32.	Books, slates, petromex etc.	11/8/-	
33.	Libraries attached to Recreation centres.	57/10/-	
34.	Training Orientation camps and prizes etc.	-	
	8-COMMUNICATION.		
	WORKS (NON-RECURRING.)		
35.	Roads hnd Culverts.		
	STAFF		
36.	Pay of Khallasi.	-	
37.	Dearness Allowance.	-	
	P-LOANS & ADVANCES.		
38.	Loans for wells pumps. tanks etc.	-	
39.	Short term finance come from Reserve Bank of India through Coop. Deptt.	4,850/-	
40.	Taccavi Loans from Grow More Food.	-	
41.	Taccavi Loans from Sugar Cane Seeds.	150/-	
42.	Allotment from Local Development Works.	-	

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ४४५ का उत्तर देखिये)

LIST OF DOCTORS C. A. S, CLASS I AND II WHO HAVE APPLIED FOR THEIR TRANSFERS IN THEIR HOME DISTRICT ETC.

S. No.	Name.	Present Posting.	Wants Transfer at.	Home Deptt.
CLASS I.				
1.	Dr. D. B. Chaturvedi.	Isolation Hospital, Jodhpur.	Jaipur.	Jaipur
2.	„ V. R. Mahajani.	Didwana (Nagaur Distt.)	Bikaner Division.	Bikaner.
3.	„ S. C. Gupta.	M. G. Hospital, Bhilwara.	Jaipur or Jaipur Distt.	Jaipur.
4.	„ G. S. Grewal.	Jhalawar.	Ganganagar Distt.	Ganaganagar.
5.	„ B. K. Chhaya.	Nagaur.	Jaipur or any 1st. Class Hosp.	Sirohi.
CLASS II.				
6.	Dr. Prabhu Lal Sharma.	Reserve List Bhilwara.	Kota or any Distt. Hospital for 2 years. Tr.	Kotah.
7.	„ S. S. Bhargava.	M. G. Hospital Bhilwara.	Jaipur or in Jaipur Distt. for Training.	Jaipur.
8.	„ J. P. Gaur.	Raipur Dispy. (Bhilwara).	Jodhpur Distt.	Jodhpur.
9.	„ Madhu Kant.	Jhalawar.	Kotah.	Kotah.

S. No.	Name.	Present Posting.	Wants Transfer at.	Home Deptt.
10. „	D. P. Mathur.	Saipura.	Jaipur Distt.	Alwar.
11. „	Dewan Chand.	Dungarpur.	Pratapgarh.	
12. „	H. L. Maheshwari.	Doongla Distt. Chittorgarh.	Nearly Ajmer.	
13. „	Sajjan Singh.	City Dispy. Kishangarh.	Ganganagar Distt.	Raisingh nagar.
14. „	Atam Prakash.	Sikrai Jaipur Distt.	Nandbai (Bharatpur)	Bharatpur.
15. „	Mahbood Ali.	Kotdla Udaipur, Distt.	Roopangarh Jaipur Distt.	Jaipur Distt.
16. „	J. M. Makheja.	Dholpur.	Jaipur.	Jaipur.
17. „	(Mrs.) R. Soni.	Gangapur.	Jaipur.	Jaipur.
18. „	(Miss) Rameshwari Bishnoi.	Taranagar. (Churu Distt.)	Jaipur.	Jaipur.

परिशिष्ट ४

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो सदन की मेज पर रखे गये)

१ (६। एच. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम, एल. ए. (८७)—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर जिले में कुल कितने सब इन्सपेक्टर्स ऑफ पुलिस हैं ?

(ख) १ जनवरी १९५५ के बाद किस २ सब इन्सपेक्टर के मातहत हल्के में कितनी २ चोरियां हुई और किस २ के मातहत कितनी २ बरामदगी की गई ?

(ग) अधिकतम बरामदगी किस सब इन्सपेक्टर की और न्यूनतम किस सब इन्सपेक्टर की है ?

उत्तर

१. जयपुर जिले में कुल १०४ सब इन्सपेक्टर पुलिस हैं।

२. इस सम्बन्ध में साथ लगा हुआ स्टेटमेन्ट देखिये।

३. सब इन्सपेक्टर श्री पदमसिंह, एम. एच. ओ, फुलेरा की अधिकतम तथा सब इन्सेपक्टर श्री बालारामसिंह, एस. एच. ओ, सरवाड की न्यूनतम बरामदगी रही।

Page No 100

APPPENDIX "A"

STATAMENT SHOWING THE NUMBER OF CASES OF THEFTS AND PROPERTY STOLEN AND RECOVERED IN JAIPUR DISTRICT IN THE YEAR * 1955.

S. No.	Poliee Sta.	Name of S. Is.	PERIOD From:	PERIOD To:	Thefts	Stolen Property	Property Recovered	% of Recovery	DETAILD HEADS Burglary	Other Thefts	Catte	Cycles	Pick-pockting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	P.S. Kotwali	Shri Sher Shingh	1-1-55	31-12-55	311	92522/7/3	9125/9/3	10%	138	84	4	69	19
2.	,, Manakchowk	,, Bahadursingh	-do-	-do-	287	67538/1/9	7927/10/9	11%	106	278	2	70	31
3.	,, Circle	,, Ram Parsad	-do-	-do-	91	16006/8	2406/-	15%	23	53	2	13	-
4.	,, Sadar	,, Sarwar	1-1-55	27-8-55	60	52625/-	3595/-	6%	26	23	1	10	-
5.	,, Sadar	,, Harish Chandra	28/8	31-12-55	52	20619/9/-	1635/6/-	7%	17	20	4	11	-
6.	,, Ramganj	,, Harish Chandra	1-1-55	27-5-55	45	15229/-	2936/8 -	19%	27	17	-	1	-
7.	,, Ramganj	,, Durga Prasad	28/5	31/12	72	23706/1/9	2028/5/-	8%	41	28	1	-	2
8.	,, Sanganer	,, Azaz Ali Abbasi	full year.		40	5328/4	1730/-	32%	24	12	3	-	1
9.	,, Chaksu	,, Karnidan Singh	-do-		52	8569/11/6	1543/-	18%	29	17	6	-	-
10.	,, Bagru	,, Girja Sahanker	-do-		31	7301/-	2056/-	28%	13	6	12		-
11.	,, Basi	,, Sawai Singh	-do-		29	7969/7/-	2692/-	34%	16	9	4	-	-
12	,, Amber	,, Balram Sharma	-do-		28	8060/8	4566/8/-	57%	12	9	5	1	1
13.	,, Chomu	,, Moolchand	-do-		42	11088/2/6	1334/14	12%	30	8	4	-	-
14.	,, Chendwaji	,, Tara Singh	-do-		24	3375/8	1281/-	38%	8	9	7	-	-
15.	,, J. Ramarh	,, Ram Sajansingh	-do-		33	11200/11	1856/-	17%	16	12	5	-	-
16.	,, Govindgarh	,, Gulammohinuddin	1-4-55	27-4-55	4	1160/7			1	-	3	-	-
17.	,, -do-	,, Janardan Pd.	28-4-55	27-7-55	6	1500/-	170/-	11%	2	1	3	-	-
18.	,, -do-	,, Gulammohinuddin	28-7-55	31-12-55	13	1192/8	167/-	14%	10	3	-	-	-
19.	,, Bairath	,, Kishan Saran	1-1-55	27-2-55	5	165/-	-	-	4	1	-	-	-
20.	,, -do-	,, Chaman Lal	28-2-55	27-9-55	18	8000/-	600/-	7.5%	8	7	3	-	-
21.	,, -do-	,, Vijai Singh	28-9-55	31-12-55	29	10928/-	1691/12	15%	19	8	2	-	-
22.	,, Pragpura	,, Amar nath	Full year		20	4602/1/6	2419/-	52%	12	4	4	-	-
23.	,, Kotputli	,, Sokaran Lal	-do-		40	15650/6/-	2194/4	14%	25	8	7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	„ Dausa	„ Harishanker	1-1-55	27-5-55	12	1170/-	463/-	39%	9	3	1	–	–
25.	„ -do-	„ Bunyad Ali	28-5-55	31-12-55	42	19978/14	11366/8	57%	17	13	12	–	–
26.	„ Lalsoth	„ Ganoshnarain	Full year.		66	16287/1	3265/4	20%	45	13	8	–	–
27.	„ Manpur	„ Gopal Lal	-do-		37	10431/8	4084/8	39%	16	9	12	–	–
28.	K.K. Bandi Kui	„ Satya Swaroop	1-1-55	27-6-55	25	18005/4/6	1371/12	7%	11	9	6	–	–
29.	„ -do-	„ Kailash Pd.	28-6-55	31-12-55	26	4235/1/3	2584/10/9	60%	17	2	7	–	–
30.	Kolwa -do	„ Himmat Singh	10-10-55	27-8-55	14	3742/12	400/-	10.6%	7	4	3	–	–
31.	„ -do-	„ Chamman Lal	28-9-55	31-12-55	1	–	–	–	1	1	–	–	–
32.	Sambhar	„ Om Parkpsh	Full year.		11	8432/7/6	620/-	7%	6	2	3	–	–
33.	Dudu	„ Jagmal Singh	-do-		25	3898/8	392/-	10%	13	5	7	–	–
34.	Phagi	„ Jai Singh	-do-		18	2911/14	239/6	8%	10	6	1	1	–
35.	Puhlera	„ Padam Singh	1-1-55	27-8-55	51	6000/-	4000/-	66%	32	11	8	–	–
36.	-do-	„ Gopi Kishan	28-8-55	31-12-55	50	12721/2/9	3803/11/9	29%	26	22	2	–	–
37.	Kishangarh	„ Gauri Shanker	1-1-55	27-8-55	6	9792/-	–	–	5	1	–	–	–
38.	-do-	„ Himmat Singh	28-8-55	31-12-55	13	4404/10/6	991/12/-	22.5%	10	3	–	–	–
39.	Madanganj	„ Bakunt Nath	Full year.		23	2413/5	754/13	31%	14	7	1	1	–
40.	Sarwar	„ Ballaram Singh	-do-		19	3368/2	126/-	3%	510	6	3	–	–
41.	Arain	„ Balbir Singh	18-3-55	31-12-55	11	2537/6	1012/5	30%	5	3	3	–	–
42.	Roopangarh	„ Hukam Chand	Full year.		20	17230/12	10457/9/6	60%	10	9	1	–	–
				Total	1805	532286/9/3	99889/1/-	11.25%	869	546	759	177	54

Percentage of detention ... 27%

Percentage of Conviction to cases decided ... 83%

Page No 102

२. (१६। एच. एम.) श्री घासीराम, एम. एल. ए. (४३)—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या श्री सुग्रीव नामक नायब थानेदार तिजारा (अलवर) जिनका स्थानान्तरण अब वहां से हो गया है के विरूद्ध श्री मसारी नामक मेव ग्राम बाघोर तहसील तिजारा की यह रिश्वत की शिकायत है कि वह पांच बकरी तथा सौ रुपये उनसे रिश्वत के ले गये?

(ख) क्या यह शिकायत गृह मंत्री, आई. जी, पी. सुपरिन्टेन्डेट पुलिस अलवर को भी हुई है ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेट अलवर ने जांच की है ?

(घ) क्या श्री सुग्रीव के विरूद्ध यह इलजाम भी है कि वह थाने में बिना रिपोर्ट दर्ज कराये दो सिपाहियों के साथ श्री मसारी मेव के गांव गया और बकरी पकड़ लाये तथा सौ रुपय रिश्वत में लिये ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि श्री मसारी मेव के विरूद्ध चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं है ?

(च) क्या नायब थानेदार के विरूद्ध ऐसी हालत में डाके का तथा रुपये ऐंठने का केस नहीं बनता ?

(छ) डी. एस. पी. की रिपोर्ट के बाजूबद भी यह नायब थानेदार मुअतिल क्यों नहीं हुआ है ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) जी हां।

(च) जी हां।

(छ) जी नहीं।

(ज) मामले की जांच कराई जा रही है।